चंदे पर सवाल

इलेक्टोरल बॉन्ड पर आया फैसला जितना प्रभावी है, उतना ही विचारणीय भी। सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों की पीठ ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड योजना को असांविधानिक करार दिया। भारतीय सियासत के लिए यह एक बड़ा फैसला है। आने वाले समय में न केवल इलेक्टोरल बॉन्ड के स्वरूप, बल्कि चुनावी चंदे के तौर-तरीकों में भी बदलाव आना तय है। वैसे सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के किसी स्वरूप को बनाए रखने के लिए कोई विधिगत परिवर्तन करे, तो आश्चर्य नहीं। हालांकि, जब चुनाव करीब हैं, तब इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए रास्ता संभव करना आसान नहीं है। फिलहाल, यह इतिहास में दर्ज हो चुका है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्याप्त सुनवाई और विमर्श के बाद अपना दोटूक फैसला सुना दिया है। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, सभी ने इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसले सुनाए हैं, अतः अदालत का रुख स्पष्ट रूप से सामने आ गया है।

अदालत के अनुसार, राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं। पारदर्शी निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी बेहद जरूरी है। इस मोर्चे पर चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) के भी प्रतिकूल है। यह संदेह बहुत पुराना है कि राजनीतिक दल अगर चाहें, तो किसी काम के बदले किसी से चंदा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चंदे के पीछे ऐसी भावना होती है, पर कुछ चंदों पर इसलिए भी शंका होती है, क्योंकि धन लेने या देने वाले पर्याप्त पारदर्शिता से काम नहीं लेते हैं। मोटे तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड से शिकायत की भी यह बड़ी वजह है। न्यायालय चंदे के मामले में गोपनीयता के पक्ष में नहीं है। यह तथ्य है कि 2018 के बाद से गुमनाम दानदाताओं ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भारत में राजनीतिक दलों को लगभग 16,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। यहां इस बात के विस्तार में जाना बहुत जरूरी नहीं है कि ऐसी किसी भी योजना का सर्वाधिक लाभ सत्ताधारी पार्टी को होता है। साल 2013 के पहले कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब उसके पास सर्वाधिक धन एकत्र होता था और वित्त वर्ष 2013-14 में भाजपा कुल 673.8 करोड़ रुपये के धन के साथ, कांग्रेस को मिले 598 करोड़ रुपये से आगे निकल गई।

क्या 15 दिन के भीतर सियासी दल अपने चुनावी बॉन्ड खरीदारों को वापस कर पाएंगे? ऐसे अनेक सवाल खड़े हो गए हैं, जिनसे राजनीतिक दलों को जूझना होगा।

अब यहां से आगे की राह सरकार को निकालनी है। किसी भी लोकतंत्र में अधिक से अधिक पारदर्शिता की ओर बढ़ना सराहनीय ही कहा जाएगा। वैसे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को मानना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। जब चुनाव का एलान होना है, तब कोई भी दल अपने खजाने को घटाना नहीं चाहेगा। कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जो लोग भारी-भरकम खर्च के साथ अपनी पार्टी को मैदान में जमाए हुए हैं, उनके लिए चिंता बहुत बढ़ गई है। क्या 15 दिन की वैधता अवधि के भीतर सियासी दल अपने चुनावी बॉन्ड खरीदारों को वापस कर पाएंगे? क्या भारत का चुनाव आयोग सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर सभी चंदे या दान को सार्वजनिक कर पाएगा? नए चुनावी बॉन्ड पर रोक तो लग ही गई है, साथ ही, अब भारतीय स्टेट बैंक को 6 मार्च तक चुनाव आयोग में सभी विवरण जमा करने होंगे? तय है, आगे की राह किसी के लिए आसान नहीं है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 16 फरवरी, 1949

रेलवे बजट

भारतीय लोकसभा में सदा की भांति इस वर्ष भी नये साल (१९४९-५०) का रेलवे बजट पेश हो गया। बजट पेश करते हुए रेलवे-मंत्री श्री गोपालस्वामी आयंगर ने जो भाषण दिया उसका ऊपरी रूप आकर्षक है परन्तु उसके अन्दर ऐसी बात अधिक नहीं जिससे आम लोगों को उत्साह हो।

बजट की आकर्षक बात यह है कि १९४९-५० के वर्ष में रेलों से जितनी आय का अनुमान किया गया था उससे १४ करोड़ ५ लाख रुपये अधिक आय होने की संभावना है। यह अनुमान भी आकर्षक है कि १९४९-५० के वर्ष में यह आय ५ करोड़, ५ लाख रुपये और बढ़ जायेगी। बचत की संभावना चालू वर्ष में १५ करोड़ ८३ लाख रुपये बताई गई है जो आरंभिक अनुमान से लगभग ६ करोड़ अधिक है। इसके विपरीत बात यह है कि अगले वर्ष आय अधिक होने पर भी बचत का अनुमान ९ करोड़ ४४ लाख से अधिक नहीं है। यात्रियों के किराये, माल भाड़े आदि में कमी का खयाल भी नहीं है; यही नहीं, यात्रियों को कष्टों से मुक्ति के भी केवल आश्वासन हैं, निश्चित रूप से किसी सुविधा या कष्ट-हरण का कोई उल्लेख नहीं है। इंजनों की और डिब्बों की कमी का राग सदा की तरह इस बार भी दुहराया गया है और केवल यह आश्वासन काफी समझा गया है कि विदेशों से इंजन और डिब्बे मंगाये जा रहे हैं तथा मिहिजाम (ई.आई. रेलवे) का 'चितरंजन' नामकरण करके वहां रेलवे इंजन बनाने का कारखाना खोलने की योजना है। सारे भाषण में ऐसा कोई अंश नहीं जिससे ज्ञात हो कि सामान्य यात्रियों को इस वर्ष कोई सहूलियत हुई है या १९४९-५० में कोई सहूलियत होने वाली है। ''हाल के वर्षों में रेल में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है,'' रेलवे मंत्री स्पष्ट स्वीकार करते हैं, ''किंतु रेलवे डिब्बों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकी है। इस कारण मुसाफिरों के यातायात में अभी कठिनाई बनी हुई है।''

सुविधाओं का जहां तक संबंध है केवल यह कहा गया है- ''यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए तीसरे दर्जे के मुसाफिर-खानों में बिजली के पंखे लगाने, स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर छत डालने, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने तथा यात्रियों के लिए सहायक नियुक्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।'' किंतु ये प्रयत्न कब सफल होंगे, यह रेलवे मंत्री के भाषण से स्पष्ट नहीं होता।

संदेशखाली से आया साफ संदेश

Join Magazine Group @ ₹60/m WhatsApp To 8969469464 Join Epaper Group @ ₹30/m WhatsApp To 8969469464

यहां स्कैन करें

प्रभाकर मणि तिवारी | वरिष्ठ पत्रकार

विवादों में आया यह गांव भले टापू पर बसा हो, लेकिन किसी किले से कम नहीं नजर आ रहा। ममता सरकार भरपायी में लग गई है, पर चुनाव के लिए विपक्ष को मुद्दा मिल गया है।

संदेशखाली। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24-परगना जिले में बांग्लादेश की सीमा से सटा एक अनाम-सा गांव। कोलकाता से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव तक पहुंचने के लिए मोटर चालित देशी नाव से कालिंदी नदी पार करनी होती है। हाल तक गुमनाम रहे इस गांव से महिलाओं की बगावत के जरिये जो संदेश उभरकर सामने आया है, उसने लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी तरह से लपक लिया है।

बीते सप्ताह संदेशखाली की महिलाओं ने बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के तीन नेताओं के खिलाफ अत्याचार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, उसके बाद हुई हिंसा और आगजनी के बाद धारा 144 और भारी तादाद में तैनात पुलिस बल के चलते इस इलाके में जमीनी स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, पर राजनीति असामान्य होती जा रही है। इस घटना की गूंज राज्य की राजधानी कोलकाता ही नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है।

महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके दो शागिर्दों पर स्थानीय लोगों की जमीन जबरन हड़पने और महिलाओं के साथ अत्याचार व बलात्कार के जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उसने लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के राजनीतिक माहौल को अचानक बेहद गरमा दिया है। दरअसल, वर्ष 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद यह पहला मौका है, जब उसके नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए किसी गांव या इलाके के लोगों ने विद्रोह का ऐसा बिगुल बजाया है। हालांकि, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ ही पुलिस ने भी बलात्कार के आरोपों को निराधार बताते हुए इसे भूमि पट्टे के एवज में दो साल से पैसों का भुगतान नहीं होने से उपजी नाराजगी करार दिया है। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि उपजा विवाद नियंत्रण में रहे, पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से 20 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की सुनवाई उसी दिन अदालत में होगी। उस दिन अदालत दो अलग-अलग मामलों पर सुनवाई करेगी। इनमें से पहला मामला गांव वालों की जमीन पर जबरन कब्जे से संबंधित है, तो दूसरा मामला, महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है।

महिलाओं की बगावत से शुरुआती दौर में असमंजस में पड़ी तृणमूल कांग्रेस ने हालात को संभालने की कवायद के तहत पार्टी के एक नेता उत्तम सर्दार को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करा दिया है और उसे छह साल के लिए पार्टी से निलंबित भी कर दिया है। राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी आंतरिक रूप से बहुत सक्रिय है, पर विपक्ष की ओर से लगातार बढ़ते दबाव के चलते अब पार्टी जवाबी हमले पर उतरते हुए ऐसे आरोपों को बंगाल विरोधी प्रचार बता रही है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि इलाके में महिलाओं के हवाले बलात्कार और उत्पीड़न के जिन आरोपों की बात कही जा रही है, वे निराधार हैं। उसका कहना है कि पुलिस की विशेष टीम और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने वाली किसी भी महिला ने ऐसे आरोप नहीं लगाए हैं।

दरअसल, यह पूरा मामला बीते महीने राशन घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के घर ईडी के छापे से शुरू हुआ था। तब कथित पार्टी समर्थकों के हमले में ईडी के तीन अधिकारी घायल हो गए थे। शाहजहां उसी दिन से फरार है। उसके जिन दो शागिर्दों पर यौन उत्पीड़न और जमीन पर जबरन कब्जे के आरोप लगे हैं, उनमें से एक उत्तम सर्दार तो शिकंजे में आ गया है, लेकिन दूसरा आरोपी शिव प्रसाद हाजरा भूमिगत हो गया, इससे भी विरोधियों को आरोप लगाने का मौका मिला।

तमाम विपक्षी दलों ने इसके लिए सत्तारूढ़ तृणमूल को कठघरे में खड़ा करते हुए संदेशखाली अभियान शुरू कर दिया है। गौर करने की बात है कि अनेक नेता संदेशखाली जाने की कोशिश में हैं, लेकिन किसी को भी इलाके में नहीं जाने दिया गया है। पुलिस ने बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में संदेशखाली जाने की कोशिश करने वाले नेताओं को बहुत पहले ही रोक दिया था। वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की के दौरान बेहोश होने के बाद मजूमदार को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराना पड़ा।

बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर काफी आक्रामक हो गई है। कोलकाता से दिल्ली तक उसके तमाम नेता इस मुद्दे पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने में जुटे हैं। विधानसभा में इस मुद्दे पर हंगामे और वॉकआउट के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत छह विधायकों को निलंबित किया जा चुका है। सीपीएम और कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। इलाके में हिंसा उकसाने के आरोप में माकपा के पूर्व विधायक निरापद सरकार को भी गिरफ्तार किया गया है। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा है कि संदेशखाली की घटना से साफ है कि गांव की महिलाएं अब तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वाले गुंडों के अत्याचारों के खिलाफ खुलकर सामने आ गई हैं, यह तो अभी शुरुआत है। भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता मौके पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गांव तक पहुंचने के रास्ते में ऐसी जबरदस्त किलेबंदी की गई है कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा। यह इलाका भले टापू पर बसा हो, फिलहाल यह किसी किले से कम नहीं नजर आ रहा है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी इस बगावत का पूर्वानुमान नहीं लगा सकी। इसीलिए शुरुआत के तीन-चार दिनों तक उसने चुप्पी साधे रखी। अब उसने इस घटना से हुए नुकसान की भरपायी की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन संदेशखाली ने लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक ठोस मुद्दा दे दिया है। सत्तारूढ़ तृणमूल को डर है कि विपक्षी दलों की मुहिम के कारण अगर संदेशखाली का संदेश राज्य के दूसरे इलाकों तक फैल गया, तो आने वाले दिनों में उसके लिए यह एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। संदेशखाली से एक बड़ा संदेश तो तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं के लिए भी है, राजनीति सेवा का माध्यम है, शोषण का नहीं। लोगों की भी सहने की एक सीमा होती है, जिसका ध्यान सियासी दलों को रखना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दुश्मनी और जंग का जारी रहना किसकी नाकामी

यहां स्कैन करें

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में अपने शीर्ष कमांडर जनरल वलेरी जालुजनी को पद से हटाते हुए उनकी जगह अनुभवी जनरल अलेक्जेंडर सिरस्क को सेना की कमान सौंप दी है। यह बदलाव इसलिए अहम है, क्योंकि कीव पर अब रूसी सेना का दबाव स्पष्ट महसूस किया जाने लगा है। हालांकि, बखमुत में हार की एक वजह सिरस्की को माना जाता है, लेकिन अपनी सैन्य क्षमता के कारण उन्हें व्यापक सम्मान भी हासिल है। अपनी इस योग्यता की झलक उन्होंने फरवरी, 2022 में दिखाई थी, जब रूस ने पूरी क्षमता के साथ यूक्रेन पर धावा बोल दिया था। इतना ही नहीं, जवाबी हमला करके खार्किव को रूसी कब्जे से छुड़ाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है।

बहरहाल, यूक्रेन कितनी भी कोशिश कर रहा हो, लेकिन नाटो में उसे शामिल करने को लेकर अब भी मतभेद है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि अमेरिका ने उसे वायदे के मुताबिक सैन्य मदद देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के निचले सदन ने कीव को दिए जाने वाले 110 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को रोकने का फैसला किया है, जिससे यूक्रेन के सामने एक गंभीर संकट पैदा हो गया है। कीव अब सीमित मात्रा में ही गोला-बारूद इस्तेमाल कर पा रहा है, जिससे विशेषकर पूर्वी यूक्रेन में उसकी रणनीति कमजोर पड़ने लगी है। चूंकि जंग के मैदान में यूक्रेन का प्रदर्शन पूरी तरह से अमेरिकी सहायता पर निर्भर है, लिहाजा उसके लिए संभावनाएं जटिल होती दिख रही हैं। डोनबास और क्रीमिया पर फिर से कब्जा करना तो दूर की बात है, कीव पर अपने कुछ और इलाके गंवाने का खतरा मंडराने लगा है। उसके लिए एकमात्र आशा की किरण यूरोपीय संघ की 50 अरब डॉलर की मदद है, जो हंगरी के नेता विक्टर ओरबान द्वारा यूक्रेन को अतिरिक्त मदद करने संबंधी अपने वीटो से पीछे हटने के कारण संभव हो सका है। हालांकि, यह धनराशि मुख्यतः यूक्रेन की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने, सरकार चलाने, बुनियादी ढांचों को सुचारू रखने के लिए है। इससे उसे कोई सैन्य मदद शायद ही मिल सकेगी। वैसे भी, यूक्रेन की सेना साल 2022 के आखिरी महीनों के बाद से किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं जमा सकी है।

उधर, इजरायल-गाजा संघर्ष में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सेना को रफा से नागरिकों को निकालने और हमास के शेष लड़ाकों के विरुद्ध एक विस्तृत कार्य-योजना बनाने को कहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 7 अक्तूबर को जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था, तब उसमें 1,139 इजरायली मारे गए थे, लेकिन इजरायल की जवाबी प्रतिक्रिया में अब तक करीब 28 हजार फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 67 हजार से भी अधिक लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन लगातार कह रहे हैं कि इस युद्ध को लंबे समय तक थामने के लिए उनकी सरकार सक्रिय है। माना यह भी जा रहा है कि बाइडन सरकार इजरायल के खिलाफ अधिक सख्त कदम उठा सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने कई तरह की घरेलू चुनौतियां भी हैं, विशेषकर आगामी राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए। फिर भी, जमीन पर अमेरिकी दबाव का खास असर नहीं दिखा है।

दुनिया के कई हिस्से इन दिनों लड़खड़ाते दिख रहे हैं, जो पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र की बेबसी का भी संकेत दे रहे हैं।

यहां संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने पिछले दिनों बयान दिया है कि गाजा की कुल 23 लाख आबादी में से आधी अब रफा में फंसी हुई है और उसके पास यहां से कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए इस युद्ध का अब अंत होना चाहिए। मगर ऐसा लगता है कि उनकी पूर्व की अपीलों की तरह इसे भी अनसुना किया जा रहा है। वैसे भी, पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सलाहकार की भूमिका में ही अधिक दिखा है। इसीलिए शायद आलोचक अब इसके अप्रासंगिक होने का दावा करने लगे हैं।

बहरहाल, दुनिया के कई हिस्से इन दिनों लड़खड़ाते दिख रहे हैं, लेकिन एक लिहाज से यह पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की रणनीतिक विफलता का भी संकेत है। ऐसे में, बस कामना ही की जा सकती है कि यह तस्वीर जल्द बदल पाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

नागसेन कहीं नहीं

ग्रीस का एक सम्राट था मिलिंद। बड़े-बड़े साम्राज्य जीत चुका था, ताकि स्वयं को महानतम शासक सिद्ध कर सके। मगर इतनी विजय पताकाएं फहरा लेने के बाद भी उसके भीतर तृप्ति नहीं थी। उसने भिक्षु नागसेन के विषय में सुना कि एक संन्यासी है, जो आनंद को पा चुका है। उसने नागसेन को अपने दरबार में आने का निमंत्रण देने के लिए एक विशेष दूत भेजा। नागसेन ने दूत से कहा, मैं आऊंगा जरूर, पर एक बात बता दूं कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। यह बस एक कामचलाऊ नाम है।

दूत ने लौटकर सम्राट मिलिंद से कहा, अजीब आदमी हैं वह। कहने लगे कि आऊंगा जरूर, पर ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कहीं कोई है नहीं, यह केवल एक कामचलाऊ नाम है। सम्राट ने कहा, अजीब बात तो है। मगर जब उन्होंने कहा है, तो वह आएंगे अवश्य। वह आए भी रथ पर बैठकर। सम्राट ने द्वार पर स्वागत किया और कहा- भिक्षु नागसेन, हम आपका स्वागत करते हैं। नागसेन हंसने लगे। उन्होंने कहा, स्वागत स्वीकार करता हूं आपका, लेकिन स्मरण रहे, भिक्षु नागसेन जैसा कोई है नहीं। सम्राट ने कहा, बड़ी पहेली की बातें करते हैं आप। अगर आप नागसेन नहीं, तो आप कौन हैं? कौन आया है यहां? कौन स्वीकार कर रहा है स्वागत? कौन मेरे प्रश्नों के उत्तर दे रहा है? नागसेन पीछे मुड़े और कहा, सम्राट, जिस पर मैं यहां आया, वह रथ है? सम्राट ने कहा, हां, यह रथ है। नागसेन के इशारे पर रथ से घोड़े अलग कर लिए गए। फिर नागसेन ने सम्राट से सवाल किया, ये घोड़े रथ हैं?

सम्राट ने कहा, घोड़े कैसे रथ हो सकते हैं? नागसेन ने फिर चाक निकलवा लिए और पूछा, ये रथ हैं? सम्राट ने कहा, यह चाक है, रथ नहीं। इस तरह एक-एक हिस्सा रथ का निकलता चला गया, और हर हिस्से पर सम्राट को कहना पड़ा, यह रथ नहीं है। अंत में शून्य बच गया। भिक्षु नागसेन ने पूछा- रथ कहां है? जितनी चीजें मैंने निकलवाईं, आपने यही कहा कि यह भी रथ नहीं। यह भी नहीं। फिर रथ कहां है?

फिर भिक्षु नागसेन ने सम्राट से कहा- महाराज, रथ एक जोड़ था। कुछ चीजों का संग्रह मात्र। रथ का अपना

भिक्षु नागसेन ने सम्राट मिलिंद से कहा, जो वास्तव में कहीं है ही नहीं, उसे आप महानतम सिद्ध करने चलेंगे, तो सिवाय विषाद के और क्या हाथ आएगा?

होना नहीं है कोई, कोई 'ईगो' नहीं है। रथ एक जोड़ है। आप ढूंढ़ें कि कहां है आपका 'मैं'? आप पाएंगे कि यह अनंत शक्तियों का एक जोड़ है; मैं कहीं नहीं है। जो वास्तव में कहीं है ही नहीं, उसे आप महानतम सिद्ध करने चलेंगे, तो सिवाय विषाद के और क्या हाथ आएगा? कभी सोचा आपने कि यह मैं है क्या? आपका हाथ? आपका पैर? मस्तिष्क या हृदय? क्या है आपका मैं? अगर आप शांत होकर भीतर खोजेंगे कि कौन सी चीज है मैं, तो वहां शून्य मिलेगा। यह व्यर्थ का बोझ है, जिसे आप ढो रहे हैं।

ओशो

राजनाथ सिंह | केंद्रीय रक्षा मंत्री

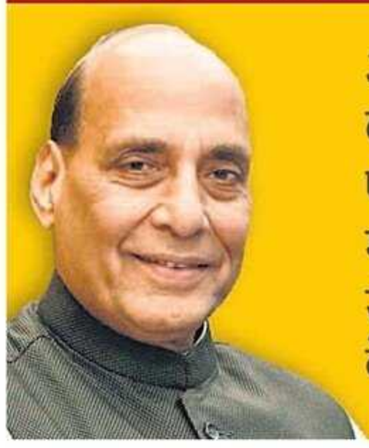

आज यदि भारत लगातार विकास कर रहा है, दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है, तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे सैनिक दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ देश की सुरक्षा कर रहे हैं।

खूब फल-फूल रहा हिंदी साहित्य

तंत्र की घातक उपेक्षा और हिंदी समाज की मनहूस उदासीनता के बावजूद हिंदी साहित्य न सिर्फ बचा हुआ है, बल्कि फल-फूल भी रहा है, तो यह हिंदी रचनाकारों और कुछ प्रकाशकों की आश्चर्यजनक जिजीविषा का सुफल है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि हिंदी रचनाकार किस प्रतिकूलता में अपनी हड्डी गलाकर लिख रहे हैं। वे क्या सह रहे हैं। हिंदी में किस तरह अछूते विषयों पर अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें छप रही हैं, पढ़ना तो दूर, लोग जानने को भी तैयार नहीं। प्रकाशन संस्थान ने चीन पर जो दुर्लभ विश्व-स्तरीय पुस्तकें प्रकाशित की हैं, संवाद प्रकाशन ने दस खंडों में चेखव की संपूर्ण कहानियों का जो संग्रह प्रकाशित किया है, इन सबकी कल्पना हम पिछले युग में नहीं कर सकते थे। बेशक, कचरा भी खूब छप रहा है, लेकिन ऐसा हिंदी में पहले कब नहीं होता था? हम 150-175 वर्षों की हिंदी की सर्वोत्तम रचनाओं को देखकर अतीत के वैभव का खूब गायन करते हैं, लेकिन अगर आपके पास साहित्य की समझ और तीक्ष्ण दृष्टि है, तो तमाम प्रतिकूलताओं की समग्रता में आज जैसा लेखन किसी युग में नहीं हुआ है। कविता में जैसा विषय और अनुभव का विस्तार हुआ है, गद्य में जो निखार आया है, तरुण पीढ़ी में समझ की जैसी संपन्नता दिखती है, यह सब पहले गिने-चुने रचनाकारों में देखने को मिलता था।

एकदम नए अनुभवों के साथ जो विविध विधाओं में रचनाकार आए हैं, उनकी विशाल उपस्थिति हमें बहुत ही आश्वस्त करती है। बस नजरिया बदलने और विकसित करने की जरूरत है। तरुण युवक-युवतियों पर भरोसा करना चाहिए। सरलीकरण करके नकारात्मक टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। पूरी जमात तो कभी श्रेष्ठ नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ उनके बीच से ही निकलते हैं। हिंदी में आई नई पीढ़ी असाधारण संभावनाओं से भरी हुई है। समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य के शरीर में सबसे जरूरी अंग हृदय और मस्तिष्क ही है। साहित्य, संगीत और कलाएं उसकी जरूरी खुराक हैं। उसका असर दूरगामी, लेकिन स्थायी पड़ता है। वह आपको मनुष्य बनाए रखता है। इसलिए किताबें न पढ़ें, फिर भी खरीदिए। आज न कल आपके परिवार में कोई ऐसा मनुष्य होगा, जिसको इसकी जरूरत पड़ेगी। मनुष्य बनने की गुंजाइश घर में बनी रहेगी। किताबें जीवन को और गहरा, व खूबसूरत बनाती हैं। इस बात की गांठ बांध लीजिए कि साहित्य और कलाएं मनुष्य की अंतिम शरणस्थली हैं। इनके फलने-फूलने में योगदान देना इसलिए भी जरूरी है कि आप, आपका परिवार व समाज और अधिक रुग्ण न हों।

कर्मेंदु शिशिर, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

हिंदी साहित्य

अब पहले जैसे साहित्यकार कहां

आज के हिंदी साहित्य और रचनाकार पर बात करने से पहले मैं एक कहानी बताता हूं। कहा जाता है कि एक बार रामधारी सिंह दिनकर और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संसद भवन की सीढ़ियों से एक साथ उतर रहे थे। अचानक नेहरू जी का पैर लड़खड़ा गया, लेकिन साथ उतर रहे दिनकर जी ने उन्हें तत्काल संभाल लिया। संभल जाने के बाद नेहरू जी ने दिनकर जी को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मुझे सहारा दिया। यह सुनकर दिनकर जी मुस्कराए और तुरंत जवाब दिया, इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, इतिहास गवाह है कि जब-जब राजनीति के कदम लड़खड़ाए हैं, तब-तब साहित्य ने ही उसे सहारा दिया है। यह सुनकर पंडित नेहरू मुस्कराए बिना नहीं रह सके। अब क्या कोई ईमानदारी से यह कह सकता है कि आज हमारे समाज में नेहरू जैसे राजनेता हैं और दिनकर जैसे साहित्यकार? अब तो यदि आपने किसी राजनेता पर या उसकी राजनीति पर प्रतिकूल टिप्पणी कर दी, तो आपको जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। राजनीति के पतन को देखकर भी यदि साहित्यकार उसे सहारा नहीं दे सकते, तो इसका एक अर्थ यह भी है कि अब ऊंचे दर्जे के रचनाकार बचे नहीं हैं।

वास्तव में, हिंदी साहित्यकार अब देश को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। देश की किसी भी प्राकृत क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्यकारों में अब भी दम है। ऐसे साहित्यकार यदि हिंदी में रचना करते हैं, तब भी उसमें कुछ हद तक मौलिकता दिखती है। मगर हिंदीभाषी लेखकों ने मानो कचरा लिखने और छपवाने का ठेका ले रखा है। अपवादस्वरूप कुछ नाम जरूर गिनाए जा सकते हैं, जिनका काम उम्दा है, लेकिन अधिक संख्या ऐसे लेखकों की ही है, जिनकी कलम में कोई दम नहीं। ऐसे रचनाकारों की हास्य कविताएं फूहड़, स्त्री-विरोधी या अश्लील होती हैं। गद्य की भाषा स्तरहीन होती है, और ललित निबंध मानो कहीं से चुराकर लिखी जा रही है। यह सब पढ़कर क्या लोगों का दिमाग खुलता है?

इसमें दोष प्रकाशकों का भी है। उनकी बढ़ती संख्या और बाजार में टिके रहने की मजबूरी के कारण वे स्तरहीन किताबें छापने लगे हैं। कुछ प्रकाशकों को छोड़ दें, तो अधिकतर के पास उम्दा हिंदी किताबें नहीं हैं। सस्ता साहित्य के नाम पर कुछ भी छापने की इस प्रवृत्ति ने उन लेखकों को भी बाजार में उतार दिया है, जिनका लेखन समाज पर किसी बोझ से कम नहीं है। हमें इन कमियों को दूर करना होगा, तभी हिंदी साहित्य अपने पुराने गौरव को छू सकेगा। मगर ऐसा हो सकेगा, इस पर संदेह है।

तिलक, टिप्पणीकार

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75 निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक स्थापना वर्ष : 1948

केवल हृदय परिवर्तन द्वारा ही दुनिया में वास्तविक परिवर्तन आएगा।
-दलाई लामा

करीब छह साल पुरानी चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला व्यापक राजनीतिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे चुनावी प्रक्रियाओं में स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता लागू हो सकेगी।

अब पारदर्शिता आएगी

करीब छह साल पुरानी चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताने और तत्काल प्रभाव से इसे रद्द करने का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न सिर्फ ऐतिहासिक, बल्कि देश में चुनाव सुधारों की दिशा में एक स्वागतयोग्य कदम भी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से दिए अपने फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा प्रदान करने वाली चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो काफी गंभीर मामला है, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता सही चयन के लिए अपने मत का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं, जब उन्हें राजनीतिक दलों को मिल रहे धन की जानकारी भी हो। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा 2018 में लॉन्च हुई चुनावी बॉन्ड योजना से पहले तक राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में काले धन का बोलबाला था, जिसे रोकने के लिए 2017 के बजट में तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यह योजना पेश की थी, इसके पीछे विवाद भी तभी से लगे हैं। चुनावी बॉन्ड योजना की पूरी प्रक्रिया दरअसल गोपनीयता पर आधारित थी, जिसमें न तो क्रेताओं को इन ब्याज-मुक्त बॉन्डों की खरीद घोषित करने की और न ही राजनीतिक दलों को प्राप्त धन के स्रोत की घोषणा करने की कोई बाध्यता होती थी। बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी गोपनीय रखने के पीछे सरकार बेशक दलील देती आई है कि वे किस राजनीतिक दल के प्रति झुकाव रखते हैं, यह उनकी निजी पसंद है, जिसकी गोपनीयता की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन चुनावी बॉन्ड योजना उस खतरे की ओर भी इशारा करती है, जिसे लैटिन में 'क्विड प्रो क्वो' कहते हैं, जिसका मतलब है कि दो पक्षों में ऐसा समझौता, जिसमें दोनों के एक-दूसरे को फायदा पहुंचाने की शंका हो। योजना की शुरुआत के समय से अब तक करीब 16 हजार करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं, जो एक बड़ी राशि है, जिसमें पारदर्शिता होनी ही चाहिए। नहीं भूलना चाहिए कि अदालत के इस फैसले से पहले देश की दो शीर्ष संस्थाएं-निर्वाचन आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक भी चुनावी बॉन्ड योजना की आलोचना कर चुकी हैं। लेकिन यह भी सच है कि सभी राजनीतिक दल खुद को मिल रहे चंदे के स्रोतों को लेकर असहज रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि शीर्ष अदालत का फैसला न केवल चुनावों की स्वतंत्रता व निष्पक्षता को सुनिश्चित करेगा, राजनीतिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में भी मददगार साबित होगा।

लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में

चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त करने का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मील का पत्थर बन सके, इसके लिए पार्टियों और नेताओं द्वारा पारदर्शी फंडिंग पर अमल जरूरी है। फंडिंग पर जोर कम होने से धन के बजाय कार्यकर्ताओं का मान बढ़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला दिया है। पिछले छह वर्षों में इस योजना से 16 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा धन सभी पार्टियों को मिला है। नोटबंदी के बाद तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2017 के वित्त विधेयक के माध्यम से इस योजना को पेश किया था। उसके लिए रिजर्व बैंक, आयकर, कंपनी, जनप्रतिनिधित्व और विदेशी चंदों से जुड़े कई कानूनों में बदलाव भी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के बाद इस योजना के साथ सारे कानूनी बदलाव भी निरस्त हो गए हैं।

चुनावी बॉन्ड लागू होने से पहले पार्टियों को लगभग 81 फीसदी रकम अज्ञात स्रोतों से मिलती थी। जेटली ने दलील दी थी कि चुनावी बॉन्डों से पार्टियों की फंडिंग और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आने के साथ काले धन पर अंकुश लगेगा। पुरानी कानूनी व्यवस्था के अनुसार, कंपनियां सालाना मुनाफे की अधिकतम सीमा के अनुसार ही दान दे सकती थीं। लेकिन कानून में बदलाव के बाद घाटे वाली कंपनियां भी बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को चंदा देने की हकदार हो गईं। मतदाताओं और पार्टियों को चुनावी बॉन्ड देने वाले की जानकारी नहीं मिल सकती थी। लेकिन सरकार को स्टेट बैंक के माध्यम से ये सारी जानकारियां हासिल थीं। कहा जा रहा था कि निजी कंपनियां और कॉरपोरेट्स चुनावी बॉन्ड में पैसा लगाकर सरकारों से अपने हित में अनुचित काम कराते हैं।

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

ऐसे अनेक कानूनी और सांविधानिक बिंदुओं पर इस योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन लोकतंत्र से जुड़े इस बड़े मामले की सुनवाई और फैसला आने में सात साल लग गए। सॉलिसिटर जनरल और अटार्नी जनरल ने इस योजना का अनेक तरीके से बचाव करने की कोशिश की। सरकारी दलीलों के अनुसार, वोटरों को ऐसे चंदे के बारे में जानने का कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसे बॉन्ड और विदेशों से मिल रहे चंदे पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। रिजर्व बैंक ने भी इन बॉन्डों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग होने की आशंका जाहिर की थी। केंद्र और राज्य सरकारों को चुनावी बॉन्ड में विशेष बढ़त मिलती है, इसलिए इस योजना को जजों ने समानता के विरुद्ध माना है।

भारत में लॉबिंग गैर-कानूनी है, लेकिन चुनावी बॉन्डों के माध्यम से निजी कंपनियां सरकारों से अनुचित लाभ ले रही हैं। इस बात को सरकार ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार किया। सरकारी वकील के अनुसार, चुनावी चंदे का खुलासा होने से चंदा देने वाली कंपनियों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ सकता है। जो लोग चुनावी बॉन्ड से सिर्फ भाजपा को फायदा होने की बात कर रहे हैं, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ एक राज्य में सरकार चलाने वाली टीएमसी को लगभग दस फीसदी फंडिंग मिली है। इसलिए अगले महीने चुनावी बॉन्ड का हिसाब-किताब सार्वजनिक होने पर लोकसभा चुनावों के पहले बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है। इस योजना के रद्द होने के बाद पुराने तरीकों से पार्टियों को फंडिंग जुटानी होगी। कानून के अनुसार, 20 हजार रुपये से कम की रकम गुमनाम तरीके से ली जा सकती है। पार्टियों को चेक के माध्यम से कंपनियों से चंदा मिल सके, इसके लिए आयकर विभाग ने वर्ष 2013 में ट्रस्ट की व्यवस्था बनाई थी।

अनुमानों के अनुसार, पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे। नियमों का उल्लंघन करके प्रत्याशी बड़े पैमाने पर काले धन का चुनावों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, सभी पार्टियों को कानूनी और गैर-कानूनी तरीके से चंदा मिलता है। पार्टियों के संगठित पैसे से कॉरपोरेट ऑफिस, चार्टर्ड फ्लाइट, रोड शो, रैलियां और नेताओं की खरीद-फरोख्त भी होती है। 30 साल पहले बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में नेता, अपराधी और कॉरपोरेट्स की मिलीभगत को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट माना गया था। वर्ष 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट में सरकार की तरफ से चुनावी खर्च देने की बात कही गई थी। विधि आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग ने चुनावी कानून दुरुस्त करने के लिए कई रिपोर्टें दी हैं। ऐसी सभी कमेटियों में हुए विमर्श को धता बताकर नेता चुनावों में काले धन का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं।

चुनावों में टिकट पाने के लिए हाय-तौबा मचाने और सरकार बनाने में रिसोर्ट पॉलिटिक्स से साफ है कि राजनीति सबसे बड़ा व्यापार है, जहां सफल होने के लिए आपराधिक तरीके से काले धन का निवेश होता है। सीबीआई और ईडी के छापों से साफ है कि नेताओं के संरक्षण में खनन, शिक्षा, रियल एस्टेट और नौकरी में माफिया सक्रिय और प्रभावी हैं। दिवालिया कानून की आड़ में अनेक कंपनियां सरकारी बैंकों का पैसा हजम कर रही हैं। ऐसी कंपनियों को चुनावी बॉन्ड की आड़ में फंडिंग की इजाजत देना देश के खजाने की लूट ही मानी जाएगी। विपक्ष में रहकर सभी पार्टियां चुनावी व्यवस्था को ठीक करने की बात करती हैं, लेकिन काले धन के बाहुल्य से सरकार बनाने की होड़ में शुचिता के संकल्प तिरोहित हो जाते हैं। नेताओं को चुनाव जीतने के बाद गाड़ी, बंगला और अनेक सुविधाएं मिलती हैं। पार्टियों के चंदे और आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता और उन्हें बेशकीमती सरकारी जमीन पर ऑफिस बनाने की सहूलियत मिलती है। चुनाव आयोग और आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, कई रजिस्टर्ड पार्टियां मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में लिप्त हैं। संविधान में जनता के शासन को मान्यता मिली है, लेकिन इस सांविधानिक व्यवस्था को पार्टियों ने अपहृत कर लिया है। चुनावों में काले धन के कैंसर को खत्म करके ही राजनीति में अपराध और सरकारों में भ्रष्टाचार का खात्मा हो सकता है।

हम यूरोप और अमेरिका के विकास मॉडल का अनुकरण करते हैं। एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें उनकी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं को भी अंगीकार करने की जरूरत है। अमेरिका में वर्ष 1910 से और यूरोपीय संघ में वर्ष 2014 से नेताओं की फंडिंग में पूर्ण पारदर्शिता के लिए परंपरा और कानून हैं। यह ऐतिहासिक फैसला लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मील का पत्थर बन सके, इसके लिए पार्टियों और नेताओं द्वारा पारदर्शी फंडिंग पर अमल जरूरी है। फंडिंग पर जोर कम होने से धन के बजाय कार्यकर्ताओं का मान बढ़ेगा। अनेक सुविधाएं और छूट लेने वाली पार्टियों को अब आरटीआई कानून के दायरे में आना चाहिए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में कई वर्षों से याचिका लंबित है। उस पर भी जल्द सुनवाई और सार्थक फैसला हो, तो न्यायपालिका के रसूख के साथ लोकतंत्र का मान और ज्यादा बढ़ेगा।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

ओशो रजनीश

'शायद' से प्रार्थना नहीं बनती। 'शायद' से समझदारी तो समझ में आती है, प्रेम समझ में नहीं आता। समझदारी से कोई कभी समझदार नहीं हुआ। समझदारी के कारण ही तो तुम नासमझ बने हो।

क्या प्रार्थना शून्य आकाश में खो जाती है?

जीवन की व्यर्थता जब तक प्रगाढ़ अनुभव न बन जाए, तब तक परमात्मा की खोज शुरू नहीं होती। जीवन की व्यर्थता का बोध ही उसकी तरफ पहला कदम है। जब तक ऐसी भ्रांति बनी है कि यहां कुछ पा लेंगे, कुछ मिल जाएगा सपनों की दुनिया में-तब तक परमात्मा भी एक सपना ही है। तब तक तुम उसे खोजने नहीं निकलते, जब तक तुम स्वयं को दांव पर नहीं लगाते। परमात्मा मुफ्त मिलने वाला नहीं है। तुम्हारी पूर्ण सत्ता जब तक दांव पर न लग जाए, तब तक परमात्मा से कोई मिलन नहीं। क्योंकि प्रेम इससे कम पर नहीं मिल सकता, और प्रार्थना इससे कम पर शुरू नहीं होती। यह काम जुआरियों का है, दुकानदारों का नहीं। यहां पूरी तरह खोने की हिम्मत चाहिए। दीवानगी चाहिए। मस्ती चाहिए।

लेकिन यह तभी संभव हो पाता है, जब जो तुम्हारे पास है, वह व्यर्थ दिखाई पड़ता है, तब तुम उसे पकड़ते नहीं। करोड़ों लोग परमात्मा के शब्द का उच्चार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उसकी कोई झलक नहीं मिलती। क्या पूजा व्यर्थ है? नहीं, करने वालों ने की ही नहीं। क्या प्रार्थना शून्य आकाश में खो जाती है, कोई प्रत्युत्तर नहीं आता? प्रार्थना थी ही नहीं, अन्यथा प्रत्युत्तर तत्क्षण आता है। इधर तुमने पुकारा कि उधर प्रत्युत्तर मिला। पर तुमने पुकारा ही नहीं। तुम सोचते हो कि तुमने पुकारा, तुम सोचते हो कि तुमने प्रार्थना की, लेकिन कभी तुमने हृदय को दांव पर लगाया नहीं। आधे-आधे मन से न होगा। पूरे-पूरे की मांग है। तो जब तक तुम्हें लगता है कि संसार में अभी कुछ मिल सकता है, रस कायम है, जब तक तुम जागे नहीं, सपने में उलझे हो। जब तक तुम्हें सपने में भरोसा है कि यह सच है-तब तक परमात्मा की तरफ आशाओं का प्रवाह, आकांक्षाओं का प्रवाह शुरू नहीं होता। जब तक प्रार्थना तुम्हारी अभीप्सा नहीं होती, तुम्हारे हृदय की भाव-दशा नहीं होती, तब तक तुम्हारी प्रार्थना भी तुम्हारी चालाकी, तुम्हारे गणित, तुम्हारी होशियारी का हिसाब होती है। तुम सोचते हो, 'चलो, हो न हो, कहीं परमात्मा हो ही न, प्रार्थना भी कर लो, पूजा भी कर लो, बिगड़ता क्या है? हानि क्या है? अगर लाभ हुआ, तो हो जाएगा, न हुआ तो, हानि तो कुछ भी नहीं।' मरते वक्त नास्तिक भी आस्तिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कौन जाने, शायद परमात्मा हो। लेकिन 'शायद' से प्रार्थना नहीं बनती। 'शायद' से समझदारी तो समझ में आती है, प्रेम समझ में नहीं आता। समझदारी से कोई कभी समझदार नहीं हुआ। समझदारी के कारण ही तो तुम नासमझ बने हो। तुम्हारी समझदारी ही महंगी पड़ रही है। तो परमात्मा की तरफ अगर तुम होशियारी से जा रहे हो, बही-खाते का हिसाब वहां भी फैला रहे हो, सोचते हो कि ठीक है, संसार को भी संभाल लें, परमात्मा को भी संभाल लें, दोनों नावों पर सवार हो जाएं-तो तुम मुश्किल में पड़ोगे। तुम मुश्किल में पड़े हो, क्योंकि मैं देखता हूं, तुम दोनों नावों में आधे-आधे खड़े हो।

भक्ति हृदय की भावना...

सूत्र

प्रेम में कहीं कोई भेद नहीं होता। प्रेम तो बस एक है। भेद तो बुद्धि से होते हैं, हृदय में भेद नहीं होते। हिंदू की बौद्धिक धारणा अलग, मुसलमान की बौद्धिक धारणा अलग, ईसाई का फलसफा अलग है। वे बुद्धि की बातें हैं। लेकिन जब हिंदू भक्ति से भरता है, मुसलमान भक्ति से भरता है और जब ईसाई भक्ति से भरता है, तो उनकी भक्ति में भेद नहीं है, वे एक हैं।

दूसरा पहलू

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार के खुलासे से देश के लिए मदद जुटाने में मुश्किलें खड़ी हो रही हैं।

यूक्रेन एक युद्ध भीतर भी लड़ रहा है

यूक्रेन में भ्रष्टाचार को लेकर हाल में जो खुलासे हुए हैं, वे एक जटिल कहानी कहते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक लाख मोर्टार गोले खरीदने के लिए चार करोड़ डॉलर का भुगतान तो कर दिया, पर ये गोले कंपनी ने कभी भेजे ही नहीं। हालांकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में यूक्रेन की सुधरी स्थिति बताती है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो कोशिशें कीं, उनसे थोड़ा फर्क तो पड़ा है। दूसरी ओर, यह हथियार घोटाला इस बात का संकेत है कि इस देश में भ्रष्टाचार व्यापक रूप ले चुका है और आला रक्षा अधिकारियों और हथियार सप्लायरों के दलालों ने मिलकर देश को ऐसे वक्त में हथियारों से वंचित कर दिया, जब वह अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है।

स्टीफन वॉल्फ

हथियार घोटाला इसका संकेत है कि आला रक्षा अधिकारियों और दलालों ने मिलकर देश को ऐसे वक्त में हथियारों से वंचित कर दिया, जब वह अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है।

इसके बावजूद यूक्रेन पिछले दो वर्षों से चल रही जंग के बीच अपने को बचाए हुए है और रूस के सामने डटा है। लेकिन शीर्ष स्तर पर होने वाले ये घोटाले और रोजमर्रा का भ्रष्टाचार देश के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। यह इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि युद्ध की वजह से हथियारों के लिए यूक्रेन काफी हद तक पश्चिम से मिलने वाली सैन्य और वित्तीय मदद पर निर्भर हो गया है।

यूरोपीय संघ के नेताओं ने भी यूक्रेन की मदद का विरोध करने के लिए भ्रष्टाचार को एक ठोस तर्क के रूप में सामने रखा है। जेलेंस्की अपने घर में भी काफी असुरक्षित हो गए हैं।

यूरोपीय संघ में संशयवादियों, खासकर हंगरी, स्लोवाकिया और जर्मनी के दक्षिणपंथी नेताओं ने भी यूक्रेन की मदद का विरोध करने के लिए भ्रष्टाचार को एक ठोस तर्क के रूप में सामने रखा है। अमेरिका में भी रिपब्लिकन सांसदों ने इस पर सवाल उठाया है। जैसे-जैसे यह बहस गरमाती जा रही है, वैसे-वैसे धन के दुरुपयोग का कोई भी कथित सबूत अंतरराष्ट्रीय मदद और समर्थन जुटाने में कीव के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है।

पश्चिम से समर्थन मिलते रहने की अनिश्चितता के अलावा जेलेंस्की अपने घर में भी काफी असुरक्षित हो गए हैं। यह साफ नहीं है कि क्या जेलेंस्की अपने कमांडर-इन-चीफ जालुजनी को हटा देंगे और सारी कमान अपने हाथ में ले लेंगे। हाल के महीनों में दोनों के रिश्ते खराब हुए हैं। ऐसी अटकलें भी हैं कि जालुजनी राजनीति में आ सकते हैं और राष्ट्रपति चुनाव में जेलेंस्की को टक्कर दे सकते हैं। आज ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यूक्रेन न केवल पूरी ताकत से भ्रष्टाचार से लड़े, बल्कि ऐसा करता हुआ दिखे भी, क्योंकि भ्रष्टाचार दूसरी समस्याओं को तो बढ़ाता ही है, घरेलू और बाहरी समर्थन को भी कमजोर करता है।

- साथ में टैटयाना मेलयारेन्को (द कन्वर्सेशन से)

आंकड़े

पर्यटन गंतव्य

वर्ष 2022 में हमारे देश से दो करोड़ से ज्यादा लोग विभिन्न देशों में गए। उनमें से सबसे ज्यादा लोगों का गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) था।

यूएई	27.93%
सऊदी अरब	11.48%
अमेरिका	7.98%
सिंगापुर	4.68%
थाईलैंड	4.41%

स्रोत : पर्यटन मंत्रालय

संत के वचन सुन राजा ने उसी समय संकल्प लिया कि वह भविष्य में किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा।

संत की सीख

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

एक राजा के अत्याचारों से प्रजा कराह उठी। कुछ दिन बाद राजा को इस बात के लिए आत्मग्लानि हुई। वह एक महात्मा के पास गया तथा हाथ जोड़कर बोला, 'महाराज, मैंने बहुत पाप किए हैं। मेरे कल्याण के लिए कोई रास्ता सुझाएं।'

महात्मा ने कहा, 'आप दोपहर तक निद्रादेवी की उपासना किया करें। इससे जहां आपके पापों में कमी आएगी, वहीं प्रजा का भी भला होगा।'

राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा जागने की जगह सोने को क्यों कह रहे हैं! उसने कहा, 'महात्मन, इतनी देर तक सोने से मेरा तथा मेरी प्रजा का कल्याण भला कैसे हो सकता है?'

संत बोले, 'जब तक तुम जागते रहते हो, प्रजा पर अत्याचार करते हो। जितना समय सोकर गुजारोगे, कम से कम उतने समय तक तो अत्याचार करने के पाप से बचे रहोगे और जनता भी सुखी रहेगी।'

संत के व्यंग्यपूर्ण वचन ने राजा की आत्मा को कचोट डाला। उसने उसी समय संकल्प लिया कि वह भविष्य में किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा।

कुछ दिन प्रजा से अच्छा बर्ताव करने के बाद राजा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए राजपाट त्यागकर वन चला गया।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 26 जनवरी, 1987

रंगभेद से पीड़ित देशों के लिए अफ्रीका कोष

अफ्रीका कोष स्था...
भारत ने ५० करोड़ रु. ...

गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंगभेदी नीति से पीड़ित उसके पड़ोसी देशों की मदद के लिए सात करोड़ डॉलर की प्रारंभिक पूंजी से अफ्रीका कोष का गठन कर ऐतिहासिक कदम उठाया।

सधी हुई ऊर्जा कूटनीति

हाल ही में भारत ने कतर के साथ एलएनजी आयात का समझौता किया है, जो शून्य कार्बन उत्सर्जन से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगा।

अरविंद कुमार मिश्रा | **समझौता**

बढ़ते पर्यावरणीय संकट के बीच वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। अनुमान है कि देश में प्राथमिक ऊर्जा मांग 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। भारत की मौजूदा आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत से अधिक है। आर्थिक तरक्की को गति देने और समावेशी विकास के लिए ऊर्जा की नई साझेदारियां विकसित करनी होंगी। इस दिशा में भारत ने कतर के साथ 20 साल के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात का समझौता किया है। 78 अरब डॉलर का यह समझौता ऊर्जा आपूर्ति के लिए निर्णायक हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयातक कंपनी पेट्रोनेट लि. हर साल 75 लाख टन गैस खरीदेगी।

प्राकृतिक गैस की मदद से देश में बिजली, उर्वरक और सीएनजी की उपलब्धता टिकाऊ होगी। देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए 35 हजार किलोमीटर लंबी 'वन नेशन-वन गैस ग्रिड' स्थापित की जा रही है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों तक पीएनजी और एलएनजी की उपलब्धता आसान बनाना है। हमारी ऊर्जा जरूरतों में अभी प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी छह प्रतिशत है। इस दशक के अंत तक इसे 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। प्राकृतिक गैस शून्य कार्बन उत्सर्जन से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायक होगी।

इस समझौते से वर्तमान भाव पर भारत को 0.8 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बचत होगी, जिससे 2048 तक देश को छह अरब डॉलर का लाभ होगा। साथ ही, भारत के एलएनजी आयात में कतर की हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत हो जाएगी। प्राकृतिक गैस आयात को लेकर इससे पहले दोनों देशों के बीच 1999 में समझौता हुआ था, जो 2028 में समाप्त होगा। अमेरिका के बाद कतर एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी अपनी क्षमता को 2027 तक बढ़ाकर 12.6 टन सालाना करेगी।

भारत और कतर गैस समझौता देश की सधी हुई ऊर्जा कूटनीति का परिणाम है। अभी हम अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत तेल आयात करते हैं। प्राकृतिक गैस के मामले में यह अनुपात लगभग 56 प्रतिशत है। तेल और गैस के लिए खाड़ी देशों पर हमारी निर्भरता अधिक रही है। इससे हमें ओपेक की मनमानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए पिछले वर्ष भारत ने सबसे अधिक कच्चे तेल की खरीदारी रूस से की। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वर्ष देश ने रूस से प्रतिदिन 16.6 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीदारी की है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत परिशोधित (रिफाइंड) पेट्रोलियम उत्पादों का न सिर्फ बड़ा केंद्र बना, बल्कि यूरोप को सस्ती दर पर परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी किया। इससे ऊर्जा क्षेत्र के बड़े बाजार में भारत की मौजूदगी बढ़ने से ओपेक की मनमानी घटेगी।

पिछले दिनों गोवा में आयोजित ऊर्जा सप्ताह के दौरान भारत की ऊर्जा विविधिकरण को दुनिया ने देखा। इस दौरान भारत-कतर गैस समझौते के साथ ही भारतीय कंपनियों ने कई नवाचार पेश किए। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्वदेशी अल्कलाइन (क्षारीय) इलेक्ट्रोलाइजर पेश किया, जो दुनिया में सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइजर है। भाभा परमाणु शोध संस्थान के सहयोग से इसका प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कर लिया गया है। इस प्रौद्योगिकी से औद्योगिक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन संभव है। भारत ने 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

ऊर्जा सप्ताह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ओएनजीसी द्वारा तैयार समुद्री सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। समुद्र में तेल एवं गैस परियोजनाएं सबसे जटिल अवसंरचना होती हैं। तेल और गैस उत्खनन तथा परिशोधन के दौरान जोखिम अधिक होता है। यहां मानव निर्मित हादसों के अलावा मौसमी बदलाव का खतरा बना रहता है। ऐसे में मानव जनित तथा प्राकृतिक हादसों का प्रभाव कम करने के लिए ओएनजीसी ने समुद्री सर्वाइवल सेंटर स्थापित किया है। इससे तेल एवं गैस के उत्खनन में लगे मानव संसाधन को समुद्र में उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह सर्वाइवल सेंटर हर साल 15 हजार लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। इससे भारत की दक्षिण एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी भी मजबूत होगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 1

सुधार का अवसर

सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ ने देश में चुनावी चंदे में आवश्यक पारदर्शिता लाने वाला निर्णय सुनाते हुए छह वर्ष पुरानी चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। उसने अपने निर्णय में कहा कि यह बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में निहित सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने खुले और पारदर्शी शासन और सूचनाओं तक मतदाताओं की पहुंच के मूल्यों को बरकरार रखा है। चुनावी चंदे का यह गोपनीय तरीका इनका उल्लंघन कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक जो इन बॉन्ड को जारी करने के लिए अधिकृत सरकारी बैंक है, उसे 12 अप्रैल, 2019 (जब इस विषय में अंतरिम आदेश पारित हुआ था) से अब तक जारी और खरीदे गए बॉन्ड का पूरा ब्योरा भारतीय निर्वाचन आयोग को देना होगा। निर्वाचन आयोग को छह मार्च से 13 मार्च के बीच यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। जिन चुनावी बॉन्ड की 15 दिन के भीतर की वैधता है उन्हें वापस लौटाना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 के वित्त अधिनियम के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 (3) के बारे में जो टिप्पणी की वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। यह धारा कंपनियों के राजनीतिक अंशदान के बारे में है। धारा 182 (3) के तहत ऐसे अंशदान को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए, यह नकद नहीं होना चाहिए और इसकी जानकारी नफा-नुकसान खाते में दी जानी चाहिए। वर्ष 2017 के संशोधन ने वह सीमा हटा दी थी जिसके तहत पिछले तीन वर्ष के मुनाफे का 7.5 फीसदी दान दिया जा सकता था। संशोधन ने इसका प्रकटीकरण करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया। न्यायालय ने सवाल उठाया कि राजनीतिक दलों को असीमित कारोबारी फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है और उसने काले धन पर नियंत्रण के मामले में चुनावी बॉन्ड की क्षमता पर भी संदेह जताया। उसने यह संकेत भी दिया कि यह संशोधन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 (सी) के साथ सुसंगतता में पेश किया गया जो राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से हासिल अंशदान का खुलासा करने से छूट देती है। मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने पाया कि 2020-21 में सत्ताधारी दल समेत सात राष्ट्रीय दलों की आय का 66 फीसदी हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आया। इस आय में चुनावी बॉन्ड का हिस्सा 83 फीसदी था।

सच यह है कि चुनावी बॉन्ड ने राजनीतिक चंदे को लेकर अस्पष्टता बढ़ाई है। मौजूदा कानूनों के तहत राजनीतिक दलों के लिए 20,000 रुपये से अधिक के चंदे का खुलासा करना जरूरी है। इस सीमा की वजह से ही बड़े चंदे को छोटे-छोटे रूप में बांटकर किया जाता है। राजनीतिक दलों के स्वतंत्र अंकेक्षण की व्यवस्था के अभाव में इन खुलासा नियमों से पार पाना आसान है। वर्ष 2013 में सरकार ने इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम पेश की थी जिसकी मदद से गैर लाभकारी कंपनियों को ऐसी संस्थाएं स्थापित करनी थीं जो अन्य कंपनियों और लोगों से धन जुटा सकें और उन्हें राजनीतिक दलों को वितरित कर सकें। इन प्रकटीकरण मानकों के लिए न्यास स्थापित करने वाली मूल कंपनी की घोषणा की भी आवश्यकता नहीं है। चुनी हुई गुमनामी पर सवाल उठाते हुए तथा यह सुझाते हुए कि कंपनियों के पास व्यक्तियों की तुलना में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की अधिक क्षमता होती है, अदालत ने इशारा किया कि राजनीतिक चंदे से संबद्ध कानूनों में जल्दी सुधार की आवश्यकता है। किसी भी लोकतंत्र में जहां पैसा राजनीतिक सफलता का वाहक है वहां यह जरूरी है। चुनाव प्रचार के लिए दानराशि से संबंधित कानून शायद कभी भी खामी रहित न हों लेकिन चुनाव आयोग को चुनावी चंदे के नियमों को पश्चिमी लोकतंत्रों के उत्कृष्ट मानकों के अनुरूप करने का यह अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।

अजय मोहंती

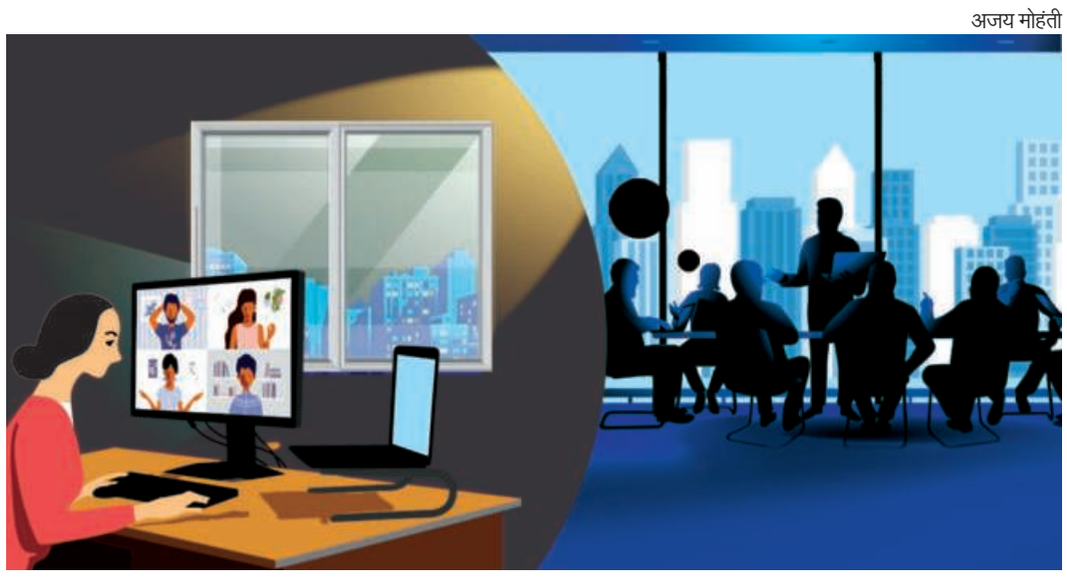

भारतीय प्रबंधक और कामकाज में बदलाव

क्या देश में 30 से अधिक और तकरीबन 40 वर्ष की उम्र वाले प्रबंधक धीरे-धीरे सक्रिय ढंग से काम करने के बजाय काम के नाम पर रस्म अदायगी करने लगते हैं। बता रहे हैं अजित बालकृष्णन

आप क्या इस बात से सहमत नहीं हैं कि भारतीय प्रबंधकों की आयु जब 40 के करीब होने लगती है तो वे वास्तविक काम करना बंद कर देते हैं और बैठक करने, समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करने जैसे अनुष्ठान रूपी काम करने लगते हैं?

मुझसे यह सवाल एक मित्र ने पूछा था जब हम बीकेसी मुंबई में एक बेहतरीन रेस्तरां में दोपहर का भोजन कर रहे थे। मेरे मित्र ने मुझे यह कह कर मिलने के लिए बुलाया था कि हमें मिले हुए लंबा वक्त हो चुका है। वह एक आईटी सेवा कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी हैं जहां 5,000 लोग काम करते हैं। हम लोग एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हमने काम करना शुरू ही किया था।

मैं अपने मित्र के सवाल को हजम करने की कोशिश कर रहा था और एक सही उत्तर की तलाश कर रहा था। इस बीच मेरे मित्र ने मेरे चेहरे पर उग आए सवाल को समझ लिया और पूछा, 'क्या आपने मेरा सवाल सुना?' मैंने उनसे कहा कि मैं दरअसल उन प्रबंधकों के साथ अपने अनुभव के बारे में सोच रहा हूं जो 30 की उम्र के पार थे। मैंने बताया कि मैं इस बारे में भी सोच रहा था कि क्या यही वह समय है जब उनके माता-पिता को उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं, उनके बच्चे उस समय शायद बेहतर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं...। शायद इन दबावों के कारण ही प्रबंधक इस आयु वर्ग में विचलित नजर आते हैं और काम को रस्मी तौर पर लेना शुरू कर देते हैं। मेरे मित्र ने कहा, 'मुझे नहीं लगता है कि पारिवारिक दबाव इसकी वास्तविक वजह है। मैं मानता हूं कि यह भारतीयों का पुराना व्यवहार है जहां वे वित्तीय रूप से सहज स्थिति में पहुंचते ही रोजमर्रा के कामों से दूरी बनाने लगते हैं।'

मेरे दिमाग में अपने जीवन के बीते दो दशक घूम रहे थे। मेरा मित्र एक बात तो सही कह रहा था: मैं भी यह याद कर सकता हूं कि जब मैं बिज़नेस स्कूल कॉन्फ्रेंस आदि में वरिष्ठ प्रबंधकों से मिलता हूं तो अक्सर एमबीए के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अपने भाषण में वे काम को दूसरों को बांटने पर जोर देते हैं, बजाय कि खुद काम करने के। हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू के हवाले से कहें तो, 'नेतृत्व करने वालों के लिए सबसे कठिन बदलाव होता है काम करने वाले से नेतृत्व करने वाला बनना...। इसका अर्थ है दूसरों के विचारों को आकार देना और अपनी प्राथमिकताओं को दूसरों के प्रेरित कदमों के जरिये जीवंत बनाना।' दूसरे शब्दों में प्रबंधक बनने का अर्थ है खुद काम करना बंद करना और केवल दूसरों के विचारों को आकार देना। मैंने इस सवाल को चैटजीपीटी के सामने पेश किया: 'अनुष्ठान क्या हैं और उनका उद्देश्य क्या है?' मुझे जो जवाब मिला वह इस प्रकार है: 'अनुष्ठान में प्रतीकात्मक कदम और समारोह शामिल होते हैं। ये विविध संदर्भों में कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। सांस्कृतिक स्तर पर वे सामाजिक पहचान को परिभाषित करते हैं और उस पर जोर देते हैं। ऐसा करके वे साझा विरासत के साथ तमाम पीढ़ियों को जोड़ते हैं। धार्मिक स्तर पर अनुष्ठान लोगों को उच्च शक्तियों से जोड़ते हैं, भक्ति प्रकट करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और आध्यात्मिक लक्ष्यों को चिह्नित करते हैं। वहीं भावनात्मक स्तर पर अनुष्ठान एक शांत और जमीनी प्रभाव प्रदान करते हैं, चिंता को कम करके और नियंत्रण की भावना के जरिये समग्र कल्याण में योगदान करते हैं।' इससे मेरे दिमाग में चीजें बेहद साफ हुईं लेकिन मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि हम मनुष्य हर रोज जिन ढेर सारी चीजों में शामिल रहते हैं वे आनुष्ठानिक ही होती हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता।

उदाहरण के लिए अनेक पर्यवेक्षकों का मानना है कि भारतीय कारखाने और कार्यालय आईएसओ, सिग्मा आदि प्रमाणन हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन इन कारखानों और कार्यालयों को अधिकांश समय इन मानकों को हासिल करने की दिशा में मेहनत करने और कई सौ पन्नों के दस्तावेज तैयार करने में बीतता है जिनमें इन मानकों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाता है जबकि गुणवत्ता में वास्तविक सुधार की दिशा में काम नहीं किया जाता है। प्रमाणन मंत्रों की तरह होते हैं और इनके द्वारा दी जाने वाली व्यवस्था को पवित्र माना जाता है।

जब बात भारत में शिक्षा की आती है तो इस बात पर आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि क्या अपने शैक्षणिक संस्थानों को शीर्ष पर ले जाने की चाह के कारण हम प्रवेश परीक्षाओं पर कुछ ज्यादा ही जोर देने लगे हैं। कोटा के बारे में हमें जो खबरें सुनने को मिलती हैं वे इस बात का उदाहरण हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ट्यूशन देने वाले कॉलेजों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। क्या मौजूदा प्रवेश परीक्षाओं में रटने पर जोर दिया जाता है? क्या रटने की इस संस्कृति में यह खतरा शामिल है कि पढ़ना एक रस्मी प्रक्रिया में बदल जाएगा?

शायद देश में सबसे बड़ी त्योहारी रस्म दीवाली, क्रिसमस, नया साल, पोंगल या ओणम नहीं बल्कि जीडीपी की समय-समय पर होने वाली घोषणा है। इसके बारे में माना जाता है कि यह हमारे आर्थिक जीवन की बेहतरी का द्योतक है। आमतौर पर सत्ताधारी दल जश्न मनाता है और विपक्षी दल चुनौती देते हैं। जोसेफ स्टिगलिट्ज और अमर्त्य सेन जैसे विद्वान बता चुके हैं कि जीडीपी का पैमाना नागरिकों की बेहतरी के आकलन के लिए खासा कमजोर है। इसके बावजूद यह रस्म जारी है: संवाददाता सम्मेलन, सार्वजनिक भाषण और सोशल मीडिया पर होने वाले शोर की तुलना आसानी से दीवाली, ओणम, पोंगल और अन्य अवसरों से की जा सकती है। आखिर में शायद यह सही है कि जैसे-जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे रोज तैयार होकर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक काम पर जाने की रस्म भी कमजोर पड़ने वाली है। क्या अधिकांश लोगों के लिए काम का मतलब घर से काम करना होता जा रहा है? क्या शानदार मुख्यालय बनाना भी जल्दी ही मंदिर और चर्च तथा मस्जिद बनाने जैसा बन जाएगा, मानो बेहतर कारोबार चलाने के लिए ऐसा करना जरूरी हो।

शायद मेरे सामने ये कठिन सवाल रखने वाले मित्र सही थे। इस बात पर शोध करना उपयोगी होगा कि आखिर 30 से अधिक आयु के प्रबंधक रस्मी जीवन क्यों जीने लगते हैं।

(लेखक इंटरनेट उद्यमी हैं)

सड़कों पर कैसे हो सुरक्षित सफर

व्हाट्सऐप पर 21 जनवरी को एक क्लिप वायरल हुई जिसमें एक भीषण सड़क हादसा कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हुआ था। यह हादसा मुंबई में अटल सेतु पर हुआ था। अटल सेतु शिवड़ी और न्हावा शेवा को जोड़ने वाला 21 किलोमीटर लंबा ट्रांस हार्बर लिंक है, जिसे हाल ही में वाहनों के लिए खोला गया है। क्लिप में दिखा कि मरून रंग की एक तेज रफ्तार मारुति इग्निस कार आगे चल रही कार को बाईं तरफ से ओवरटेक करने की कोशिश करती है। मगर इग्निस का संतुलन बिगड़ जाता है और डिवाइडर से टकराकर वह कई पलटियां खा जाती है। शुक्र है कि उसमें सवार लोग बाल-बाल बच गए। मैं इस हादसे के बमुश्किल एक घंटे बाद ही वहां से गुजरा।

उल्वे से मुंबई वापसी के दौरान मैंने देखा कि दुर्घटनाग्रस्त कार को मौके से हटाया जा रहा था। यह हादसा और भी अधिक गंभीर हो सकता था। पुल पर दोनों ओर कारें लाइन से खड़ी थीं और लोग यहां के खूबसूरत नजारे को सेल्फी में कैद कर रहे थे। खास बात यह कि इस पुल पर रुकने या गाड़ी खड़ी करने की पूरी तरह मनाही है, लेकिन लोग एक घंटे पहले हुए भीषण हादसे के बावजूद यहां खतरे से पूरी तरह बेपरवाह दिख रहे थे। यहां तैनात पुलिस अधिकारी लोगों से पुल पर कारें नहीं रोकने की गुजारिश करते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मशक्कत कर रहे थे।

डराने वाले तथ्य : हम खूब आधुनिक एक्सप्रेसवे, राजमार्ग और बड़े-बड़े पुल बना रहे हैं, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा सड़क हादसे और मौतों वाला देश होने का अपमानजनक धब्बा अपने ऊपर से नहीं हटा पा रहे हैं। पूरे विश्व में हर घंटे होने वाली लगभग 150 घातक सड़क दुर्घटनाओं में से लगभग 10 प्रतिशत भारत में होती हैं। इनमें आधे से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों और हाइवे पर होती हैं। देश में ओवरस्पीड, सड़कों की खराब इंजीनियरिंग एवं डिजाइन तथा पर्याप्त ट्रामा केंद्रों का अभाव जैसे कारक घातक सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं।

सड़क की खराब इंजीनियरिंग और डिजाइन के कारण ही 4 सितंबर, 2022 को टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की भीषण कार हादसे में जान चली गई थी। शुरुआती रिपोर्ट में हादसे का कारण तय सीमा से अधिक गति को बताया गया था, लेकिन बाद में अंतरराष्ट्रीय सड़क संगठन (आईआरएफ) द्वारा की गई गहन जांच में हादसे का असली कारण सामने आया, जिसमें बताया गया कि यह हादसा सड़क के गलत डिजाइन की वजह से हुआ था। आईआरएफ की रिपोर्ट से पता चला कि तीन लेन वाला अहमदाबाद- मुंबई हाइवे हादसे वाली जगह अचानक दो लेन हो जाता है। रिपोर्ट में एक तथ्य यह उभर कर आया कि कार की पिछली सीट पर बैठे मिस्त्री और उनके मित्र ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, यदि उन्होंने सीट बेल्ट लगाई होती तो उनकी जान बच सकती थी।

पिछले कुछ वर्षों में भीषण दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़कों में खराब इंजीनियरिंग व डिजाइन समेत अन्य खामियों को दूर करने की अनेक कोशिशें हुई हैं। लगभग 9,000 ब्लैकस्पॉट (जहां बार-बार सड़क हादसे होते हैं) चिह्नित किए गए। इसके अलावा, 'शून्य घातक हादसा कॉरिडोर' विकसित किए गए। इसी प्रकार का एक कॉरिडोर पुराने मुंबई-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बनाया गया है। इन प्रयासों का असर भी दिखा और 2021 तक इनकी वजह से तीन साल की अवधि में सड़कों के घातक हादसों में मौतों की संख्या 56 फीसदी तक कम हो गई।

सेव लाइफ फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठनों ने हादसे रोकने के लिए लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाए। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ सहभागिता से सबूत आधारित जागरूकता कार्यक्रम चलाए। लोनावाला की हालिया यात्रा के दौरान हमने पाया कि अब बॉडी से बाहर तक सरिया लादे चलने वाले ट्रक दिखाई नहीं देते। देश के अन्य हिस्सों में ट्रकों पर बाहर तक सरिया लादकर चलने की प्रवृत्ति भले अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई हो, लेकिन सेव लाइफ फाउंडेशन जैसे संगठनों का धन्यवाद करना होगा, जिनके जागरूकता कार्यक्रमों की वजह से ऐसे लापरवाहीपूर्ण तरीके से सामान लादकर चलने की आदतों में कमी आई है। यही नहीं, वाहनों पर खतरनाक तरीके से सरिया आदि के लदान को रोकने के लिए 2014 में बनाए गए नियमों को राज्य सरकारों ने भी आगे बढ़कर सख्ती से लागू किया।

रणनीतिक कदम

इंद्रजित गुप्ता

इन सब प्रयासों के बावजूद सबसे मुश्किल काम लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है। अटल सेतु पर मैंने 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से मध्य लेन में गाड़ी चलाने का निश्चय किया था, लेकिन दायीं लेन में गाड़ियां करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थीं, जबकि इस पुल पर अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रतिघंटा ही है। कई बार इन तेज रफ्तार गाड़ियों के किनारे से अचानक मध्य लेन में आ जाने के कारण मुझे अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी करनी पड़ी।

लाइव स्पीड गन और ई-चालान के माध्यम से जुर्माना लगाकर चालकों को ओवरस्पीड में गाड़ी चलाने से रोकने की कोशिश की जाती है। परंतु असली मुद्दा यह है कि लोग एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के खतरों को नजरअंदाज क्यों करते हैं। व्यवहार डिजाइन फर्म फाइनल-माइल, जो अब फ्रैक्टल समूह का हिस्सा है, का तर्क है कि गाड़ी चलाना एक गैर-संवेदी या लापरवाहीपूर्ण गतिविधि है। जब लोग एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाते हैं, तो उनमें अन्य चालकों के साथ दुर्घटना होने के खतरे या उनके प्रति सहानुभूति की भावना नहीं होती। परिणामस्वरूप, चालक हादसे रोकने के लिए पारंपरिक सड़क सुरक्षा संकेतों को भी नजरअंदाज करते चलते हैं। तेज रफ्तार के हिसाब से डिजाइन एक्सप्रेसवे पर लोगों को दुर्घटना के बारे में सचेत करने के लिए विशिष्ट संकेत लगे होते हैं। यहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र होने का एहसास दिलाने के लिए कुछ ब्लैकस्पॉट पर सफेद धारियां बनाई जाती हैं, ताकि यहां चालक अपनी गाड़ी की रफ्तार कुछ धीमी कर ले और संभलकर चले। यही नहीं, इन एक्सप्रेसवे पर चालकों को सचेत करने के लिए अधिक से अधिक ग्राफिक और दृश्यात्मक संकेत भी लगाए जाते हैं।

ऐसे में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने के लिए क्या किया जाए? स्पष्ट रूप से इसका जवाब पुलिस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व्यवस्था में सुधार करना, बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित करना और सुरक्षित कारें सड़कों पर लाना ही है। हमें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में भी अधिक कठोर नियमों को अपनाना होगा। इसी के साथ बेहतर सुविधाओं वाले ट्रॉमा सेंटर बनाने की जरूरत है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या को कम किया जा सके। इन सबसे ऊपर सड़कों पर चलते हुए सबकी सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए लोगों में व्यापक स्तर पर जागरूकता लानी होगी।

(लेखक फाउंडिंग फ्यूल के सह-संस्थापक हैं)

आपका पक्ष

प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सटीक कदम

सकारात्मक समाचार है कि भर्ती सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और गड़बड़ियां रोकने के वास्ते नए कानून के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। इस विधेयक के दायरे में जहां केंद्रीय स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं आएंगी, वहीं इसके प्रावधानों को राज्य भी अपना सकेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होना या चुनिंदा अभ्यर्थियों के लिए नकल की व्यवस्था करना या किसी भी किस्म की गड़बड़ी लाखों छात्रों का जीवन प्रभावित करती है। लेकिन यह परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरे कई और कारण हैं जिनकी वजह से लाखों छात्रों का जीवन प्रभावित हो रहा है। परीक्षाओं में देरी उनमें से एक कारण है। लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियों में पद खाली हैं लेकिन सरकारें भर्ती नहीं कर रही हैं। गौर करने वाली बात है कि

केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए नए कानून के निर्माण हेतु कई कड़े फैसले लिए हैं

राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती के लिए आयोजित कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट, गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती, बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने से परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। पिछला अनुभव बताता है कि सिर्फ सख्त कानून से परीक्षा में न तो नकल रोकी जा सकती है और न प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है और न भर्तियों में होने वाले घोटाले रोके जा सकते हैं।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

महंगाई काबू करने के लिए दीर्घकालिक समाधान जरूरी

हाल में थोक महंगाई में 0.27 प्रतिशत की गिरावट, खासकर खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण बढ़ती लागत के खिलाफ हमारी लड़ाई में उम्मीद की किरण जगाती है। यह स्वागत योग्य कमी चिंता के कई महीनों बाद आई है और इसे संभव बनाने के लिए किए गए प्रयासों को स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है। हालांकि महंगाई में कमी का स्वागत है, यह अभी एक छोटी राहत है, जीत नहीं। वैश्विक दबाव और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं इस रुझान को तेजी से पलट सकती हैं। इसलिए सरकार को महंगाई को हमेशा के लिए नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक समाधानों जैसे कृषि को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए।

तौकीर रहमानी, मुंबई

तेल व राजनीति से आगे बढ़ते भारत और यूएई के रिश्ते

अबू धाबी में आयोजित 'अहलान मोदी' कार्यक्रम और मंदिर उद्घाटन भारत-यूएई के बढ़ते संबंधों को दर्शाता है। भारत यूएई को एक प्रमुख आर्थिक भागीदार और पश्चिम एशिया का प्रवेशद्वार मानता है। स्वतंत्र व्यापार समझौता द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखता है। यह संबंध घरेलू राजनीति से परे है और वैश्विक बदलावों को दर्शाता है। यूएई तेल से परे विविधीकरण चाहता है, भारत एक स्थिर बाजार और निवेश के अवसर प्रदान करता है। प्रवासी भारतीय और सॉफ्ट पावर सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।

इब्ने फारूक, मुंबई

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे (दाएं) ने गुरुवार को अमेरिका के सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज से मुलाकात की। जनरल पांडे चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर फोर्ट मायर्स में पहुंचे और अमेरिकी सेना के सलामी गारद का निरीक्षण किया। यह भारत के किसी सैन्य प्रमुख की कई वर्षों बाद अमेरिकी यात्रा है।

Join Magazine Group @ ₹60/m WhatsApp To 8969469464 Join Epaper Group @ ₹30/m WhatsApp To 8969469464

कल्पमेधा

धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है।

- डेल कारनेगी

पारदर्शिता के हक में

चुनावी बांड के रूप में अलग-अलग स्रोतों से धन लेने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है और लोकतंत्र बचाने के लिहाज से इसे उम्मीद की एक किरण के तौर पर देखा जा सकता है। यों चंदा लेने के नाम पर चल रही इस व्यवस्था पर तमाम सवाल उठते रहे और इस पर रोक लगाने की मांग भी होती रही। साथ ही इसकी संवैधानिकता के संदर्भ में भी स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर चुनावी बांड की व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने यह व्यवस्था दी है कि चुनावी बांड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है और इसके सहारे राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। पांच न्यायाधीशों की पीठ में सर्वसम्मति से अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और आयोग इस जानकारी को इकतीस मार्च तक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

दरअसल, एक विचित्र तर्क यह भी दिया जा रहा था कि चुनावी बांड की व्यवस्था के जरिए भ्रष्ट तरीके से जमा किए जाने वाले धन पर काबू पाया जा सकता है। जबकि इसमें जिस स्तर पर पारदर्शिता की अनदेखी की जाती रही, वह अपने आप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक परोक्ष तरीका रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाने वाली ज्यादातर पार्टियों को भी इससे कोई गुरेज नहीं था कि चंदे के रूप में धन का गोपनीय तरीके से लेनदेन हो। गौरतलब है कि इस योजना के तहत आम लोगों को यह पता नहीं चल पाता था कि किसने कितने रुपए के बांड खरीदे और किस पार्टी को दिए। हालांकि संबंधित बैंक के पास इसका पूरा ब्योरा होता था कि किसने बांड किसने खरीदा और किस पार्टी को दान में दिया। ये सवाल भी उठे कि चुनावी बांड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान चूंकि गुप्त रखी गई है, इसलिए इससे भ्रष्ट तौर-तरीकों से हासिल धन को बढ़ावा मिल सकता है। इसकी एक आलोचना यह भी थी कि यह योजना बड़े कारपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद के लिए बनाई गई थी।

विडंबना यह है कि भारतीय राजनीति में चुनावी पारदर्शिता की मांग तो अक्सर की जाती है, मगर इसके लिए जरूरी कारकों को सुनिश्चित करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखती है। हैरानी की बात यह भी रही कि इस क्रम में सूचना के अधिकार कानून को भी दरकिनार कर दिया गया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से चुनावी बांड की व्यवस्था को सूचना के अधिकार कानून का भी उल्लंघन माना। इस बात की आशंका निराधार नहीं रही है कि बड़ी कारपोरेट कंपनियां किसी पार्टी को मदद के तौर पर धन देने के लिए किस तरह की अघोषित सुविधाओं की मांग कर सकती हैं और ऐसे में चुनावी बांड के जरिए धन मुहैया कराने का नियम किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसका सीधा असर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ सकता है। अब लोकसभा चुनाव के पहले पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिहाज से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक महत्त्व का और याद रखने लायक कहा जा सकता है।

हिंसक होते बच्चे

पिछले कुछ समय से बच्चों के भीतर बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें कम उम्र के बच्चे भी अपने सहपाठियों और यहां तक कि शिक्षकों पर जानलेवा हमला कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दो नाबालिग लड़कों ने जिस तरह एक स्कूल के अध्यापक को गोली मार दी, उससे यही पता चलता है कि समाज और व्यवस्था के स्तर पर एक गंभीर विकृति अपने पांव जमा रही है। खबरों के मुताबिक साकीपुर गांव में स्कूल से थोड़ी दूर पर हुई घटना में गनीमत बस यह रही किसी तरह शिक्षक की जान बच गई। वरना हमले की प्रकृति को देखते हुए कहा जा सकता है कि आरोपी छात्रों का मकसद शिक्षक की हत्या करना रहा होगा! सवाल है कि इतने उम्र में बच्चे किसी मामूली बात पर हत्या करने जैसे अपराध करने पर क्यों उतर जा रहे हैं! इस घटना को कुछ बिगड़े हुए नाबालिग बच्चों की करतूत मान कर गुजर जाने दिया जा सकता है, मगर नाबालिग और कम उम्र के बच्चों के भीतर आक्रामकता और हिंसा के सहारे अपनी मंशा पूरी करने की बढ़ती प्रवृत्ति न सिर्फ ऐसे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, बल्कि यह समाज और सरकार के लिए भी चिंतित होने का विषय है।

अव्वल तो शिक्षक पर हमला करने वाले नाबालिग छात्रों के भीतर एक जघन्य स्तर के अपराध को अंजाम देने की बात क्यों आई! फिर इतनी कम उम्र के बच्चों के पास बंदूक जैसा जानलेवा हथियार कहां से आया? जाहिर है, हमलावर बच्चे ऐसे लोगों के दायरे या संपर्क में अपना वक्त गुजार रहे होंगे, जिनके लिए अपराध एक सामान्य बात है। ऐसे बच्चों के अभिभावकों और उन्हें जानने वाले आस-पड़ोस के लोगों के लिए बच्चों की रोजमर्रा की संगति और गतिविधियां अनदेखी करने लायक क्यों होनी चाहिए? इसके अलावा, कानून-व्यवस्था का आलम ऐसा क्यों है कि किसी पर जानलेवा हमला करने वाले लोगों या बच्चों के भीतर पुलिस की कार्रवाई का खौफ काम नहीं करता? अगर समाज के ढांचे में पलती विकृतियों और बच्चों के भीतर बढ़ती आपराधिक हिंसक प्रवृत्ति को लेकर सरकार और आम लोग गंभीर नहीं हुए तो इस तरह के बच्चों की जिंदगी की दिशा सबके लिए जटिल हालात पैदा कर दे सकती है।

आर्थिक सुधार और मौजूदा दौर

आर्थिक सुधारों का एक सच यह है कि इन्हीं के चलते आम भारतीयों के सपनों को पंख लगे, अन्यथा आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में यह संभव नहीं था।

परमजीत सिंह वोहरा

इन दिनों एक बार फिर से 1991 के आर्थिक सुधारों का जिक्र होने लगा है। आर्थिक सुधारों को भुलाया नहीं सकता। उसी के चलते आज भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की इस दौड़ में हमने जीडीपी को आधार बनाया है, जबकि तस्वीर का दूसरा पक्ष यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विकसित होने में हम खुद 2047 तक का समय लेकर चल रहे हैं।

24 जून, 1991 को संसद में तत्कालीन वित्तमंत्री डा मनमोहन सिंह ने अपने बजट भाषण में कहा था कि 'इस पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस विचार को रोक सके, जिसके आने का समय निश्चित हो।' तत्कालीन सरकार उस समय की दुर्बल आर्थिक स्थिति को देखते हुए बहुत दृढ़ संकल्प थी कि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत अभी कर देनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। हालांकि, यह प्रश्न अब भी कई बार उठता है कि क्या आर्थिक सुधार भारत में देरी से नहीं हुए थे? मगर उस खबर को भुला देना बहुत गलत होगा कि 'भारत बहुत विकट आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है और इसके चलते भारत सरकार को अपने देश का सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ रहा है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सके।' इससे भारतीय समाज में तब खासी हलचल मच गई थी। तब लोकतांत्रिक विरोधों के पूर्वानुमान को भांपते हुए तत्कालीन सरकार ने आर्थिक सुधारों को लागू कर दिया था। उन्हीं सुधारों की देन है कि तब के 270 अरब अमेरिकी डालर से चलते-चलते आज भारत का जीडीपी चार खरब अमेरिकी डालर के आसपास पहुंच चुका है।

उन आर्थिक सुधारों का एक सच यह है कि इन्हीं के चलते आम भारतीयों के सपनों को पंख लगे, अन्यथा आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में यह संभव नहीं था। और तो और, अगर ये आर्थिक सुधार इस मुल्क में कुछ समय पूर्व लागू कर दिए गए होते तो यकीनन आज भारत प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भी विश्व की बड़ी आर्थिक महाशक्ति होता। याद करिए, आजादी के बाद के पहले तीन-चार दशकों तक भारत की आर्थिक विकास दर तकरीबन तीन से चार फीसद के बीच ही थी, जबकि नब्बे के बाद से यह दर सात फीसद या उससे अधिक रही। इसी कारण आज आजाद भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधि अपने आप को पूर्व की दो पीढ़ियों से अधिक आर्थिक संपन्न पाती है और इसीलिए उन आर्थिक सुधारों को बड़ी आर्थिक ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में लिया जाता है।

एक बार फिर से पीछे चलें और जरा याद करें वह दौर, जब घर में टेलीफोन लगाने के लिए दो से तीन वर्ष तक का इंतजार करना पड़ता था और आज हम विश्व में मोबाइल पर इंटरनेट के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद से आमजन का जीवन पूरी तरह बदल गया, जिसमें उसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सुविधा आ गई है। वह बहुत पुरानी बात नहीं, जब घर में एक टीवी हुआ करता था और उसे

देखने के लिए छत पर जाकर दूरदर्शन का एंटीना कई बार हिलाना पड़ता था। अब तो सेटेलाइट टीवी का दौर है और चैनलों की संख्या अनगिनत है। बड़े शहरों में 'मल्टीप्लेक्स' का जमाना है। इन सबके बीच मनोरंजन क्षेत्र में हुई क्रांति ने 'ओटीटी प्लेटफार्म' को एक बेहतरीन जगह दे दी है।

> यह अचंभित करने वाली बात है कि जीडीपी के हिसाब से विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला मुल्क विश्व की गरीबी में तकरीबन बीस फीसद का हिस्सा रखता है। हमने इंग्लैंड को जीडीपी में पीछे तो छोड़ दिया, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम उससे आज भी बहुत पीछे हैं। यहां भारत की विशाल जनसंख्या को एक नकारात्मक पक्ष मानना तार्किक नहीं लगता, क्योंकि इसी जनसंख्या के मध्यवर्ग की क्रय क्षमता आर्थिक विकास की मुख्य आधारशिला है।

अब दिवाली और धनतेरस पर आम उपभोक्ता की खरीदारी का चलन हर वर्ष बड़ी तेजी से बदल रहा है। अगर इन त्योहारों पर दुपहिया वाहनों और कारों की बिक्री कम हो जाए तो आर्थिक विश्लेषक भारत में मंदी की सुगबुगाहट देखने लगते हैं।

भारत का विशाल बाजार, जिसमें उसके उपभोक्ता की क्रय क्षमता सबसे बड़ी सत्ता रखती है, का आकर्षण पूरे विश्व में है। वर्तमान समय की इस सच्चाई के पीछे का आधार, नब्बे के आर्थिक सुधारों की मुख्य सोच 'एलपीजी' है। यह भी समझना होगा कि तब के सुधारों में सबसे अधिक महत्त्व उदारीकरण को इसलिए दिया गया था, कि उसी के माध्यम से सबसे पहले निजी निवेश तथा उसके बाद विदेशी निवेशकों को भारत में प्रोत्साहन मिले। उसी के चलते आज भारतीय अर्थव्यवस्था उस कगार पर खड़ी है, जहां केंद्र सरकार खुद पूंजी निवेश के लिए बजट में दस लाख करोड़ की बड़ी राशि आबंटित करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे निजी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। इन सबके चलते ही विदेशी निवेशकों के लिए आज भारत सबसे आकर्षक जगह है।

हालांकि, कई अर्थशास्त्री इस बात के भी बड़े पक्षकार रहे हैं कि शेयर बाजार की तरक्की अर्थव्यवस्था की वास्तविक तरक्की को प्रदर्शित नहीं करती। इसके बावजूद अब यह समझना होगा कि आज भारत का पूंजी बाजार कुछ हद तक आत्मनिर्भर हो रहा है। अब भारतीय निवेशकों में 'एसआइपी' यानी 'सिस्टमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान' में निवेश करने का अपना एक अलग ही आकर्षण है। म्युचुअल फंड के माध्यम से 'एसआइपी' में निवेश से शेयर बाजार में जोखिम तुलनात्मक रूप से काफी कम हो जाता है। इसी कारण अब विदेशी निवेशकों की भारतीय पूंजी बाजार के प्रति सोच भी बदली है। इन सबके बावजूद, आज अगर भारत गरीबी का वास्तविक विकल्प नहीं निकाल पा रहा, तो इसका एक कारण यह भी है कि नब्बे के आर्थिक सुधारों से सबसे अधिक फायदा निजी क्षेत्र को मिला है। इसी के चलते भारत में आर्थिक विषमता जैसी समस्या, जिसे अमीरों और गरीबों के बीच में खाई के रूप से जाना जाता है, बहुत बढ़ गई है।

यह अचंभित करने वाली बात है कि जीडीपी के हिसाब से विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला मुल्क विश्व की गरीबी में तकरीबन बीस फीसद का हिस्सा रखता है। हमने इंग्लैंड को जीडीपी में पीछे तो छोड़ दिया, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम उससे आज भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि नब्बे के आर्थिक सुधारों में शायद प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के संबंध में कोई ठोस विकल्प नहीं था। यहां भारत की विशाल जनसंख्या को एक नकारात्मक पक्ष मानना तार्किक नहीं लगता, क्योंकि इसी जनसंख्या के मध्यवर्ग की क्रय क्षमता आर्थिक विकास की मुख्य आधारशिला है। फिर, जनसंख्या के गरीब तबके का निवारण क्यों न अपेक्षित हो? शायद इस प्रश्न का उत्तर आर्थिक सुधारों के निर्माता और उसे वास्तविक रूप में क्रियान्वन करने वालों के पास है।

अब चुनावों की गहमागहमी शुरू हो गई है और इस समय राजनीतिक निर्णयों और चर्चाओं में अगर आर्थिक मुद्दों की बातें अपना असर डाल रही हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। मगर आमजन कहां तक इस राजनीति को समझेगा, क्योंकि मौजूदा सरकार जहां आर्थिक सुधारों के निर्माता पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देती है, तो वहीं आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह सरकार के दस साल को श्वेत पत्र के जरिए भारत की आर्थिक प्रगति में सबसे नीचे रखती है।

अहं और वहम के चेहरे

अलका 'सोनी'

अहं और वहम एक दूसरे समांतर एक कमाल की चीज है। विरले ही ऐसे लोग होंगे जो इन दोनों से अछूते बच पाते हों। मगर अहं हो या वहम, इन दोनों में कोई अगर किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा गहरे पैठ गया तो दुनिया उसे अजीब नजरों से घूरने लगती है। दोनों की ही मनोस्थितियां विचित्र होती हैं। जो वहम में होता है, उसे रास्ता काटती बिल्ली, आसमान से टूटता तारा और हरेक की शक्ल शकुनी-अपशकुनी तक नजर आ सकती है। मीलों दूर से छींक आती सुनाई पड़ सकती है। अगर वह कुछ नहीं देख या सुन पाता है तो बस अपने आपको और अपने दिमाग की आवाज को। उसे आसपास की दुनिया भी ठीक से कहां नजर आ पाती है! यही वह सिरा होता है, जब व्यक्ति अपने आप पर विश्वास खो देता है और धारणाओं के आधार विकसित सोच की दुनिया में गुम होकर अंधविश्वास का शिकार हो जाता है। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति अहं में होता है, उसे भी 'मैं' और 'मेरा' छोड़ कर कुछ और नहीं दिखता, किसी अन्य की बेहद जरूरी बात भी बेमानी और अनदेखी करने लायक लगती है। ऐसा व्यक्ति अपने में ही इतना मग्न होता है कि बाहरी दृश्य उसे आकर्षित नहीं कर पाते। वह अपने ज्ञान, रूप या पैसे के अहं में चूर समाज से कटा रहता है।

दरअसल, अहं का हर एक टुकड़ा एक नया आकार ले लेता है और हम सब उसे पाल-पोस कर बड़ा करते रहते हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि अहं हर स्वरूप में एक बेकार की चीज है। कायदे से देखा जाए तो किसी भी इंसान में थोड़ी मात्रा में अहं होती है और कई बार यह वक्त की जरूरत भी होती है। उदाहरण के लिए खुद पर भरोसे का अहं व्यक्ति को झुकने नहीं देता है, लेकिन इस स्तर के अहं को स्वाभिमान कहा जाता है। इस तरह हर किसी के पास इस तरह का अहं का होना जरूरी भी है, लेकिन बस उतना ही, जितना दाल में नमक की जरूरत होती है। दाल में नमक ज्यादा होने से जिस तरह दाल का स्वाद बिगड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति के अंदर अहं ज्यादा हो जाने पर उसका चरित्र बिगड़ जाता है। अहंकार पनपने लगता है। अहंकार अत्यधिक महत्त्वाकांक्षा और स्वयं को सर्वोत्कृष्ट मानने और दिखाने की भावना है। इस भावना के गहराने का नकारात्मक असर व्यक्ति के आचरण पर पड़ता है और वह किसी भी अन्य के अस्तित्व को खारिज करने तक पर उतर जाता है।

कई बार अहं और अहंकार के बीच एक कड़ी होती है, जो दोनों को जोड़े रखती है। जब हम कहते हैं कि 'मैं वहां नहीं जा सकता, जहां मेरी कद्र न हो', तो यह स्वाभिमान है। इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। मगर जब हम कहते हैं 'मुझे सब कुछ आता है, मुझे ज्ञान मत दो' तो यह हमारा अहंकार बन जाता है। स्वाभिमान और अहंकार के अंतर को कालिदास से जुड़ी एक कहानी से समझा जा सकता है। कालिदास की विद्वता को भला कौन नहीं जानता, लेकिन उन्हें भी एक बार अहंकार हो गया, जब खूब सारी प्रसिद्धि और सम्मान पाकर उन्हें गर्व हो गया कि उनसे कोई शास्त्रार्थ में नहीं जीत सकता। इसी क्रम में एक बार शास्त्रार्थ के लिए जाते समय भीषण गर्मी के कारण उन्हें तेज प्यास लग गई। रास्ते में एक जगह कुएं पर एक बच्ची पानी भरती दिखी।

उन्होंने उससे पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन बच्ची ने बदले में उन्हें अपना परिचय देने कहा। तब कालिदास को घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने बच्ची से कहा कि तुम मुझे नहीं जानती! मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। यहां दूर-दूर तक लोग मुझे जानते हैं। इसके बाद भी उस बच्ची ने कहा कि मैं तो नहीं जानती आपको। बिना अपना परिचय दिए आपको पानी नहीं मिलेगा। फिर दोनों के बीच शास्त्रार्थ की बातें हुईं। कालिदास चकित रह गए। बड़े-बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े थे। इसका कारण उनके भीतर घर कर गया वह अहंकार ही था, जिसमें डूबने के कारण कथा के मुताबिक, वे अपने समक्ष खड़ी मां सरस्वती को भी नहीं पहचान पाए थे। बाद में उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने मां सरस्वती से क्षमा मांग प्रस्थान किया।

अहंकार ऐसा ही होता है। वह हमारे ज्ञान चक्षुओं को बंद कर देता है, जिसके कारण हमें अपने आसपास की चीजें दिखाई पड़नी बंद हो जाती हैं। हम अपने से अलग कुछ नहीं जान पाते। जीवन भर इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि हमारी तरह महान कोई नहीं है। यही सोच विनाश का कारण बनती है।

संस्कृत के 'अहम' यानी 'मैं' में केंद्रित होने वाला व्यक्ति अहंकार रूपी रोग से ग्रस्त हो जाता है। संसार में जब शिशु जन्म लेता है तो वह निर्दोष होता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, वैसे-वैसे बच्चे में प्रतिस्पर्धा का भाव प्रबल होता जाता है। कुछ अलग करने की, दूसरों से बड़ा होने-दिखने की सोच मस्तिष्क पर हावी होती जाती है। इसी से अहंकार का बीज पनपने लगता है, जिसे जाने-अनजाने हम ही पोषित करते हैं। अहं में डूबे इंसान को यह वहम हो जाता है कि उससे महान कोई और है ही नहीं। अगर इस भावना का समय पर शमन न किया जाए तो यह अपने आश्रयदाता का विनाश कर देता है। इसलिए अहं और वहम हमसे दूर रहे तो ही बेहतर है।

दुनिया मेरे आगे

> संसार में जब शिशु जन्म लेता है तो वह निर्दोष होता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, वैसे-वैसे बच्चे में प्रतिस्पर्धा का भाव प्रबल होता जाता है। कुछ अलग करने की, दूसरों से बड़ा होने-दिखने की सोच मस्तिष्क पर हावी होती जाती है।

दबाव का खेल

भारतीय क्रिकेट की सीनियर टीम हो या अंडर-19 की टीम हो या महिला टीम, उन सभी का टैस्ट प्रदर्शन मैच, वनडे अथवा टी-20 के मैच में इन दिनों काफी अच्छा रहा है, जो बेहद सराहनीय है। मगर फाइनल मैच में और खासकर आस्ट्रेलिया के विरुद्ध हमारी टीमें न जाने किस मानसिक दबाव में आ जाती हैं। हालांकि यह भी देखने और समझने का विषय है कि आस्ट्रेलियाई टीम कई तरह के रणनीतियों पर काम करती है। वह निश्चित रूप से फाइनल मैच खेलने के लिए एक अलग रणनीति बनाती है, जिसकी भनक उसके प्रतिद्वंद्वी टीम को नहीं लग पाती है। वे फाइनल में अचानक तुरुप का पत्ता खोलते हैं तो उस रणनीति से मुकाबला करने के लिए प्रतिद्वंद्वी टीम अपने को सक्षम नहीं पाती है। शायद यही कारण है कि वह टीम बुरी तरह से हार जाती है। जरूरत इस बात की है कि फाइनल मैच के लिए हम भी कुछ विशेष रणनीति बनाएं, जिसके जरिए हम आस्ट्रेलिया जैसी टीमों पर हावी हो सकें। ऐसा देखने में अक्सर यह आ रहा है कि हमारी भारतीय टीम हमेशा आक्रामक रहती है, लेकिन फाइनल मैच में आते ही बचाव की मुद्रा में चली जाती है।

- मुकेश कुमार वर्मा, कुर्जी, पटना

अतिक्रमण की जमीन

उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध अतिक्रमण को हटाने गए नगर निगम एवं पुलिस टीम के ऊपर हमला और पुलिस थाना को आग के हवाले करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का खेल दशकों से चला आ रहा है। अतिक्रमण के दौरान प्रशासन एवं समाज मूकदर्शक की भूमिका में बना रहता है। जब पानी सिर से ऊपर बहने लगता है और सरकारी जमीन पर सरकारी निर्माण की आवश्यकता होती है या अदालत के आदेश के उपरांत प्रशासनिक महकमा की निद्रा खुलती है, तब अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रारंभ होता है। अक्सर अवैध सरकारी जमीन को हड़पने के लिए भूमाफिया द्वारा धार्मिक स्थल का निर्माण कराया जाता है, ताकि आसानी से जन समर्थन हासिल किया जा सके। ऐसे मामलों में शीर्ष अदालत तक का सहारा लेना चाहिए। अतिक्रमण के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

- हिमांशु शेखर, केसपा, गया

वसंत का संदेश

प्रकृति का सर्वोत्तम ऋतु चक्र वसंत है। वसंत का आगमन माघ माह की पंचमी से होता है। वसंत प्रेम का पराग है। सृजन का ऋतुराज है। ऋतुराज वसंत प्रकृति के नए स्वरूप को धारण करने का अवसर है। यह शीत और उष्णता का संधिकाल है। वसंत में चारों तरफ प्रकृति का उल्लास बिखरने लगता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसे नकार नहीं सकते। वसंत हमें यही संदेश देता है। यों भी, एकरसता से सभी ऊब जाते हैं। दैनिक क्रियाओं में भी परिवर्तन हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। वसंत का महोत्सव राग और फाग का उत्सव है। सरसों की पीली चुनर, पेड़-पौधों के नए पल्लव मन को मोहने वाले हैं। इस मौसम में हमें भी अपने मन में नए सुविचारों का संचरण करना चाहिए।

- राजेंद्र कुमावत, जयपुर

राहत की कूटनीति

खाड़ी के देश कतर में भारत के पूर्व नौ सैनिकों की स्वदेश वापसी सभी देशवासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। सभी देशवासियों को याद है कि जब इन आठ पूर्व सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई थी तो सभी को बहुत दुख भी हुआ था और इन परिवारों पर जो आफत आई थी, वह बेहद कष्टपूर्ण था। अब पूरे देशवासियों के बीच राहत का माहौल है। हाल के वर्षों में भारत की विदेश नीति में गुणात्मक परिवर्तन आया है। भारत में जी-20 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इस बात का गवाह है और ऐसे अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत में हुए हैं। हम कह सकते हैं कि भारत की आवाज को विश्व का कोई भी देश और संगठन दबा नहीं सकता है। यह भी संभव है कि आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र में भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थायी सदस्य के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

Join Magazine Group @ ₹60/m WhatsApp To 8969469464 Join Epaper Group @ ₹30/m WhatsApp To 8969469464

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 16 फरवरी 2024

निष्पक्षता पर फोकस

चुनावी बॉन्ड स्कीम को बैन करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला तात्कालिक और दूरगामी, दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और उसके तरीके पर तो तुरंत असर पड़ेगा ही, राजनीति में पारदर्शिता और लोकतंत्र में जनता के सूचना के अधिकार की अहमियत भी रेखांकित हुई है।

समय सीमा बताई | लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले आए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लाने के लिए कानूनों में किए गए बदलावों को असंवैधानिक ही नहीं घोषित किया है, इन प्रावधानों के असर को काटने वाले उपायों के साथ समय सीमा भी जोड़ी है। फैसले के मुताबिक, 12 अप्रैल 2019 के बाद चुनावी बॉन्डों के जरिए आए चंदे से जुड़े सारे डीटेल्स 13 मार्च 2024 तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक हो जाने चाहिए। मतलब यह कि अप्रैल-मई में संभावित चुनावों में राजनीतिक दलों की प्रचार शैली पर भी इस फैसले का कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष असर हो सकता है।

चुनावी बॉन्ड पर रोक

चुनाव सुधारों की दिशा | मगर फैसले की ज्यादा अहमियत इस बात में है कि इसने चुनाव सुधार के मार्गदर्शक सिद्धांतों को एक बार फिर स्पष्ट किया है। ध्यान रहे, चुनावी बॉन्ड स्कीम के पक्ष में एक दलील यह भी थी कि इससे राजनीतिक दलों को कैश में चंदा देने की प्रवृत्ति कमजोर होगी। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का फैसले में यह दर्शाना महत्वपूर्ण है कि मूल बात पारदर्शिता है और नागरिकों को पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को कौन पैसा दे रहा है।

लेवल प्लेइंग फील्ड | अगर विपक्षी दल इस फैसले से अति उत्साहित दिख रहे हैं तो उसकी अपनी वजह है। उन्हें लग रहा था कि चुनावी बॉन्ड स्कीम फंड के फ्लो को सत्ताधारी पार्टी की तरफ मोड़ने और उनके स्रोतों को सुखा देने के कथित मकसद से प्रेरित है। उनका यह भी कहना है कि इसी वजह से सरकार ने रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग की राय की अनदेखी की। 2017 में रिजर्व बैंक ने आगाह किया था कि शेल कंपनियां चुनावी बॉन्ड का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कर सकती हैं। 2019 में चुनाव आयोग ने भी इस स्कीम को चंदों में पारदर्शिता के लिहाज से पीछे ले जाने वाला कदम बताया था। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर स्थापित किया है कि लोकतंत्र में सभी दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करना जरूरी है।

विश्वसनीयता बढ़ाई | कुल मिलाकर देखा जाए तो आरोप-प्रत्यारोप से अलग, इस फैसले ने उन शिकायतों को दूर किया है, जिनसे कुछ लोगों के मुताबिक चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो रही थी। इस लिहाज से फैसले ने लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बढ़ाया है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

ग्लोबल नज़रिया

व्यापार की ताकत

शैलेंद्र पांडेय

अमेरिकी इतिहासकार जेम्स ट्रसलो एडम्स ने अपनी किताब 'द एपिक ऑफ अमेरिका' के जरिये एक टर्म को मशहूर कर दिया, 'अमेरिकन ड्रीम'। यह सपना कहता है कि एक बेहतर और संपन्न जीवन हर किसी का हक है और सभी को उसकी योग्यता के हिसाब से मौके मिलने चाहिए। आज यह सपना दुनिया में अमेरिका की हकीकत है। हर जगह छाप दिखती है इसकी। इसने अमेरिका को एक नया चेहरा दिया, आर्थिक तरक्की का चेहरा। दुनिया में सबसे ज्यादा मल्टिनैशनल कंपनियां अमेरिका से शुरू हुईं। वहां हर साल लाखों स्टार्टअप बनते और बिगड़ते हैं।

अमेरिकी ख्वाब एक अदद नौकरी, अच्छा घर और बड़ी गाड़ी भर नहीं, बल्कि एक आर्थिक विरासत खड़ी करने का है। इसके सबूत हर जगह दिख जाते हैं। एमेजॉन से जब कोई डिलिवरी घर पहुंचती है, तो क्या एक पल भी दिमाग में आता है कि यह कंपनी जिसका डिलिवरी बॉय हाथ में पैकेट थामे सामने खड़ा है, विदेशी है? या गूगल पर सर्च करते समय क्या खयाल आता है कि एक विदेशी कंपनी हमारे देश के बारे में हमसे ज्यादा जानती है? शायद नहीं। अमेरिकी सपना अब केवल अमेरिकी नहीं रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कांधे पर सवार होकर अब वह हर एक देश का सपना बन चुका है। एक मल्टिनैशनल कंपनी जब किसी नई जगह पहुंचती है, तो वह अपने साथ ले जाती है अपने यहां की संस्कृति, इतिहास, भाषा, काम करने का ढंग। लेकिन, यह गुंजाइश भी रखती है कि वह नई जगह के हिसाब से ढल जाए। व्यापार का बेसिक फंडा ही यही है कि जिनके साथ व्यापार करना है, उनके साथ घुलमिल जाइए।

वैसे भी तिजारत का मतलब केवल पैसे बनाना नहीं है। यह तरीका है अपनी सॉफ्ट पावर दिखाने का। जब दुनिया में पैसा बोल रहा हो, तब व्यापार वह सबसे बड़ा जरिया है जिससे इसकी आवाज और ऊंची की जा सकती है। आर्थिक महाशक्तियां यही तो कर रही हैं। अमेरिका और चीन को छोड़ दीजिए, जापान और यूरोप के कई छोटे देशों की ग्लोबल मौजूदगी की एक बड़ी वजह है उनकी आर्थिक हैसियत। भारत भी इसका अनुभव कर रहा है। सदियों की विरासत को हर जगह पहुंचाने और अपनी पहचान को पुख्ता करने का एक उपाय यह है कि भारतीय उत्पाद हर जगह पहुंचें। शुरुआत इसकी हो चुकी है। टाटा ग्रुप, मुकेश अंबानी और गौतम अडाणी जैसे उद्योगपति नुमाइंदगी कर रहे हैं इस पहचान की। रिलायंस या अडाणी या टाटा किसी सरहद तक सीमित नहीं रहे। जिस सपने ने अमेरिकी कंपनियों को पंख लगाए, उसी ने भारतीय कंपनियों को भी उड़ना सिखाया। इसने भारतीय शब्द के अर्थ को विस्तार दिया। इसका मतलब केवल उन लोगों से नहीं, जो भारत में रहते हों। अब भारतीय शब्द एक ब्रैंड है, जिसकी साख और धाक है। अच्छी बात यह है कि सिलसिला तो अभी बस शुरू ही हुआ है।

एकदा

रानी रासमणि की तरकीब

19वीं सदी में पश्चिम बंगाल में एक महान महिला समाजसेवी हुईं रानी रासमणि। उनका जन्म बंगाल के 24 परगना जिले में एक मल्लाह परिवार में हुआ था। 11 साल की उम्र में उनकी शादी कलकत्ते के एक धनाढ्य परिवार में रामचंद्र दास से हुई। शुरू से ही उनमें समाजसेवा कूट-कूट कर भरी हुई थी। सन 1840 की घटना है। अंग्रेजी हुकूमत ने हुगली नदी में मछली मारने पर टैक्स लगा दिया था। इसके पीछे अंग्रेजों का तर्क था कि मछुआरों के कारण मालवाहक स्टीमर को रोकना पड़ता है जिससे ईंधन और समय बेकार जाता है, इसलिए टैक्स लगाना पड़ रहा है। लेकिन टैक्स लगाने से मछुआरे परेशान थे। उन्होंने बड़े अधिकारियों और अंग्रेजी शासन में मजबूत पकड़ रखने वाले समाज के प्रभावशाली लोगों से टैक्स लगाने का फैसला बदलवाने की गुजारिश की। जब उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने रानी रासमणि से मुलाकात की। रानी ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। रानी ने अंग्रेजों के साथ डील कर 10 हजार रुपये में हुगली नदी के 10 किलोमीटर के हिस्से को पट्टे पर ले लिया। इतनी दूरी तक रानी ने लोहे की जाली से हुगली नदी पर बाड़ बनवा दिया और मछुआरों को मछली पकड़ने की छूट दे दी। अंग्रेजों को टैक्स के तौर पर एक बार में रुपये मिल गए थे। लेकिन यह सौदा उनके गले की हड्डी बन गया। अब जब स्टीमर उस 10 किलोमीटर के दायरे में आता तो फंस जाता था। स्टीमर पर लदे सामान को ले जाना कठिन हो गया। जाहिर है, अंग्रेज अफसर परेशान हो गए। उन्होंने रानी पर हुगली से बाड़ हटाने के लिए दबाव बनाने की भरसक कोशिश की। लेकिन रानी टस से मस नहीं हुईं। वह अपने सौदे पर कायम रहीं। आखिरकार अंग्रेजों को हुगली नदी में मछली पकड़ने पर लगाया गया टैक्स हटाना पड़ा।

Subrata Dhar

संकलन : **दिलीप लाल**

औपचारिकताओं और कानूनी प्रक्रियाओं में उलझे बगैर न तो ये रिश्ता शुरू किया जा सकेगा और न खत्म

क्या UCC से लिव-इन पर लटक गई तलवार

राजेश चौधरी

उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान कर दिया गया है। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने और इससे बाहर निकलने (ब्रेकअप) को रेग्युलेट करने से यह बहस शुरू हो गई है कि कहीं यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता में दखल तो नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या इन रिश्तों को बदलते सामाजिक परिवेश की कसौटी पर नहीं कसा जाना चाहिए। आखिर तो ये बदलते सामाजिक परिवेश से ही इस तरह के नए रिश्तों का आधार बन रहे हैं।

UCC में लिव-इन पर क्या है पेच
- लिव-इन का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य
- रजिस्ट्रेशन न कराना दंडनीय अपराध
- प्रतिबंधित रिश्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं

रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य | उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा गया है कि जो लोग भी लिव-इन रिलेशनशिप में हों, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड में रहने वाले ऐसे सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होगा, चाहे वे स्थानीय निवासी हों या न हों। लिव-इन रिलेशनशिप शुरू करने के एक महीने के भीतर उन्हें अपने इलाके के रजिस्ट्रार के सामने धारा-381(1) के तहत बयान दर्ज कराना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रार ऐसे कपल के वेरिफिकेशन के लिए आदेश पारित कर सकता है।

प्रतिबंधित संबंध | लिव-इन में रहने वाले ऐसे ही लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जो प्रतिबंधित संबंध में न हों। कपल में अगर कोई एक पार्टनर पहले से शादीशुदा हो या वह पहले से किसी और के साथ लिव-इन में हो या नाबालिग हो तो यह रिश्ता प्रतिबंधित संबंधों के दायरे में आएगा। ऐसा हुआ तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वहीं, अगर लिव-इन में रहने वाले सभी शर्तें पूरी करते हों तो वेरिफिकेशन के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

जेल और जुर्माना | अगर कोई एक महीने तक लिव-इन में रहता है और इस बारे में रजिस्ट्रार के सामने बयान दर्ज नहीं कराता है तो उसे तीन महीने कैद और 10 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। लिव-इन रिलेशनशिप के टर्मिनेशन का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए भी रजिस्ट्रार के सामने बयान दर्ज कराना होगा। यानी बिना किसी औपचारिकता के न तो लिव-इन रिश्ता शुरू हो सकता है और न खत्म। इस रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे वैध संतान होंगे। अगर कोई पार्टनर लिव-इन रिलेशनशिप में महिला को छोड़ देता है तो वह मुआवजे के लिए संबंधित कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन | सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को पहले से मान्यता दे रखी है। 2010 में उसने लिव-इन रिलेशंस पर महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि ऐसे रिश्ते में रह रही युवतियां चार शर्तें पूरी होने की स्थिति में गुजारा भत्ता पा सकेंगी। एक, कपल खुद को पति-पत्नी की तरह पेश करे। दो, दोनों पार्टनरों की उम्र कानून के अनुसार शादी के लायक हो। तीन, दोनों शादी करने की पात्रता रखते हों, जिनमें अविवाहित होना शामिल है। चार, वे अपनी मर्जी से साथ रह रहे हों।

AI Image

AI Image

निजता के दायरे में | पहले बेवफाई यानी एडल्टरी कानूनी तौर पर अपराध था, लेकिन अब यह अपराध नहीं रहा। इसे भी व्यक्तिगत स्वायत्तता के नजरिये से देखा गया। पहले IPC की धारा-497 में इसे अपराध माना गया था। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाए और उस महिला के पति को ऐतराज हो, वह शिकायत करे तो संबंध बनाने वाले युवक के खिलाफ इस कानून के तहत केस बनता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को निरस्त कर दिया।

मील का पत्थर | सुप्रीम कोर्ट ने जब निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना तब भी पर्सनल लिबर्टी के बारे में काफी कुछ कहा था। 24 अगस्त 2017 का यह फैसला इस मायने में मील का पत्थर साबित हुआ है और आगे भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि निजता का अधिकार संरक्षित अधिकार है, जो व्यक्तिगत आजादी और जीवन के अधिकार के तहत अनुच्छेद-21 में ही समाहित है।

यौन पसंद व्यक्तिगत मामला | निजता के मूल में व्यक्तिगत घनिष्ठता, पारिवारिक जीवन, शादी, प्रजनन, घर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन सबकुछ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2009 में होमो सेक्सुअलिटी को अपराध से बाहर करार देते हुए कहा था कि निजता के अधिकार के तहत किसी व्यक्ति का अधिकार है कि वह दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी मर्जी से संबंध में रहे। इसमें किसी बाहरी लोग या राज्य का दखल नहीं होना चाहिए।

ताक झांक की इजाजत न हो | भारतीय समाज में दो दशक पहले तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को बड़े शहरों में भी किराए का घर नहीं मिलता था। लेकिन समय के साथ सामाजिक नजरिया भी बदलने लगा और हाल के सालों में ऐसे रिश्ते रखने वालों की संख्या काफी बढ़ी है। हालांकि बेडरूम के रिश्तों को लेकर बहस चलती रहती है। लेकिन अदालती फैसलों पर अगर गौर करें तो साफ हो जाता है कि अदालत निजता के अधिकार को सर्वोच्च देती रही है। इसके तहत कोर्ट कई बार कह चुका है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन निजता के दायरे में है। यानी कोई वयस्क बंद कमरे में अपनी सहमति से क्या करता है इससे दूसरों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए।

व्यक्तिगत आजादी | कोर्ट के ये फैसले बेहद तार्किक, प्रगतिशील और व्यक्तिगत आजादी की अवधारणाओं के अनुरूप हैं। शीर्ष अदालत फैसले में कह चुका है कि स्वायत्तता का अधिकार, व्यक्तिगत इच्छा का अधिकार और गरिमा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। इस दायरे में सेक्सुअल स्वायत्तता भी है। इस पूरे मामले को संवैधानिक नैतिकता के चश्मे से देखा गया है। इससे साफ है कि अगर कानून के दायरे में कोई संबंध में है तो बंद कमरे में किसी और को ताक-झांक की इजाजत नहीं होनी चाहिए।

उत्तर भारत के किसान ही क्यों कर रहे प्रदर्शन

शायद ही कोई सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने से पीछे हट पाए। कृषि नीति का लक्ष्य इसकी आपूर्ति के साथ खाद्य की उचित कीमत तय करना होना चाहिए

नरेंद्र पाणि

दिल्ल-NCR में किसानों का विरोध-प्रदर्शन फिर शुरू हो गया है। आर्थिक नीतियां बनाने वालों का मानना है कि किसानों को मिलने वाली कीमत बाजार को तय करने देना चाहिए। किसान आर्थिक मुश्किलों से घिरे हैं। उनसे आदर्श अर्थव्यवस्था की बात करने का मतलब होगा, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देश की खाद्य सुरक्षा से समझौता करना। किसानों के विरोध को तीन बड़े परिवर्तनों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

बेहतर आय | पहला, GDP में खेती-किसानी की हिस्सेदारी घटती जा रही है। गैर-कृषि क्षेत्रों से होने वाली आय कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के मुकाबले भारत में कृषि उत्पादकता काफी कम है। लेकिन, अगर यह अंतर खत्म हो जाए, तो भी तेजी से बढ़ते इंफोटेक जैसे सेक्टर की तुलना में खेती से होने वाली आय कहीं नहीं टिकेगी। किसान चाहते हैं कि यह अंतर कम हो।

बढ़ती आकांक्षाएं | दूसरा, ग्रीन रिवॉल्यूशन से उन इलाकों को ज्यादा फायदा हुआ, जहां सिंचाई की व्यवस्था थी। दूसरे इलाके पीछे छूट गए। हरित क्रांति से फायदा उठाने वाले क्षेत्रों की आकांक्षा बढ़ चुकी है। वहीं, जो क्षेत्र हरित क्रांति का लाभ नहीं ले पाए, वहां के लोग अब खेती-किसानी के बाहर के रास्ते तलाश रहे हैं।

ग्लोबल वॉर्मिंग | तीसरा, जलवायु परिवर्तन का दुनिया पर प्रभाव। ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते उत्तरी गोलार्ध के बड़े क्षेत्रों में ठंड कम होगी। इससे वहां कृषि की संभावनाएं बढ़ेंगी। कनाडा सरकार की एक वेबसाइट पर बताया है कि किसान गर्म मौसम वाली फसलें उगाकर लंबी गर्मियों का फायदा उठा सकते हैं। इससे किसान समुदाय के इमिग्रेशन के लिए कनाडा और खुल गया है। विरोध-प्रदर्शनों में पंजाब सबसे आगे है।

बाजार के पास जवाब नहीं | अर्थशास्त्री कहेंगे कि इन तीनों परिवर्तन के असर पर कोई फैसला बाजार को लेने दीजिए। लेकिन बाजार कृषि उत्पादन को फूड सिक्यॉरिटी से अलग राह पर ले जा सकता है। जो इलाके कृषि के नजरिये से पिछड़े हैं, वहां उत्पादन और गिरने की आशंका है। वजह यह है कि बाजार की मांग के अनुसार, खेतों में काम करने वाले लोग खेती छोड़कर ज्यादा आकर्षक मौकों की ओर चले जाएंगे।

AI Image

कॉमन रूम

फूड सिक्यॉरिटी | हो सकता है भोजन की औसत उपलब्धता के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा पर इन रुझानों का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण न लगे, लेकिन कुछ जटिलताओं से इसे महसूस किया जा सकता है। प्रोडक्शन साइकल से खाद्यान्नों की कीमत में उछाल आ सकता है। अगर प्रति व्यक्ति खाद्य तेजी से नहीं बढ़ता, तो कीमतें तेजी से बढ़ने लग जाएंगी। कुछ संकेत यह भी हैं कि गेहूं का प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो सकता है।

तर्क से परे | जिस देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त भोजन देना हो, वहां सरकार से खाद्य कीमतों में तेज उछाल को नजरअंदाज करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। बाजार के पक्ष में खड़े अर्थशास्त्रियों को निराश करते हुए सरकारें समय-समय पर निर्यात पर अंकुश लगाती रहती हैं, ताकि बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। इससे तात्कालिक मकसद तो पूरा हो जाता है, लेकिन किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

खेती को बढ़ावा | व्यावहारिक राजनीति के दायरे से बाहर बाजार के लिए खुली छूट के साथ आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा पर ध्यान लगाना। शायद ही कोई सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने से पीछे हट पाए। ऐसे में कृषि नीति का लक्ष्य इसकी आपूर्ति के साथ यह पक्का करने पर होना चाहिए कि बाकी आबादी के लिए बुनियादी खाद्य की उचित कीमत हो। सरकार कृषि प्रबंधन सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहित कर सकती है। ये समितियां बिना कोई फीस लिए और जमीन पर बिना कोई अधिकार जताए, ऐसे खेतों को मैनेज कर सकती हैं जहां अभी प्रोडक्शन कम है।

किसानों के हितों की रक्षा करते हुए दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन, किसानों के बारे में बैठकर कोई धारणा बनाने से बेहतर है कि आगे बढ़ने का रास्ता तलाशा जाए।

(लेखक नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, बेंगलुरु में सामाजिक विज्ञान के डीन हैं)

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें hindi.speakingtree.in

जो जीवन का रहस्य नहीं जानते वही मृत्यु से डरते हैं

सुरक्षित गोस्वामी

श्मशान घाट या किसी शवयात्रा में अक्सर हम बुजुर्ग लोगों को युवाओं की तुलना में कम देखते हैं। आमतौर पर होता यह है कि जब किसी परिचित की मृत्यु होती है तो उसकी शवयात्रा से लेकर श्मशान घाट तक के लिए बुजुर्ग लोग अपने घर से जवान बच्चों को भेज देते हैं। इसका कारण बस इतना ही होता है कि जैसे-जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे ही मौत का भय भी गहरा होता जाता है। श्मशान घाट जैसी जगह पर अपनी मौत के आने का डर और भी अधिक उभरकर मन में आ जाता है। फिर यह डर लंबे समय तक इंसान की मनोदशा में बना रहता है। इसलिए जो ज्यादा जीने की इच्छा रखते हैं, वे अपने को शादी-विवाह, party जैसे मनोरंजन में लगातार लिप्त रखना चाहते हैं।

इसका अर्थ इतना सा ही है कि मौत का डर हमारे मन के काफी अंदर जाकर बैठा है और वहीं बैठकर हमें सता रहा है। लंबा जीवन तो हर व्यक्ति के हृदय की इच्छा है, लेकिन जीवन को तो तभी जिया जा सकता है, जब मौत को भी ठीक से समझ लिया जाए। बिना मौत को ठीक से समझे जीवन को जीते रहना एक तरह से बेहोशी में जीना है। ऐसा जीवन देखने में तो लगता है कि जीवन है, लेकिन उसमें जीवन के साथ भय बना रहता है। यह एक ऐसी अवस्था है जैसे शराबी शराब पीकर नशे की गिरफ्त में अपने रोजमर्रा के सारे काम कर रहा हो! ऐसे में उसके सारे काम बेहोशी के होंगे।

ऐसे ही जब तक हमने अपने जीवन के गहरे पक्ष को नहीं जाना है, तब तक हमारा जीवन भी बेहोशी से भरा होता है। बेहोशी से भरा यह जीवन हर समय मौत से डरता रहता है। हां, बेहोशी जितनी गहरी हो जाती है, मौत का डर उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाता है। लेकिन जो लोग जागरूक हैं, वे मौत के रहस्य को समझ लेते हैं। यह कोई गुप्त रहस्य नहीं है। जन्म और मौत तो शरीर से ताल्लुक रखने वाली क्रियाएं हैं जबकि जीवन तो निरंतर बहने वाली अविरल धारा है। जीवन न कहीं आता है और न ही कहीं जाता है, बस बहता रहता है। मौत उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और इस बिंदु को समझना होगा। चूंकि जीवन निरंतर बहने वाली एक धारा है, मृत्यु इसे रोक नहीं सकती। इसीलिए शरीर जब जीर्ण-क्षीण हो जाता है तो प्राण शरीर बदल लेता है।

इसे एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति अपने घर से अमेरिका जाने के लिए निकला। वह कार में बैठकर airport जाता है। Airport के अंदर बस में बैठकर plane तक जाता है। Plane से फिर US airport पर उतरता है। फिर वहां से वह कार में बैठकर अपने गंतव्य तक पहुंचता है। इस पूरी यात्रा में व्यक्ति वही है, लेकिन उसकी यात्रा के साधन बदलते जा रहे हैं। ऐसे ही जीवन सतत बह रहा है। वृद्ध शरीर का सामर्थ्य न होने के कारण नया शरीर उस जीवन यात्रा को फिर से आगे बढ़ा देता है। फिर भी हम इसी शरीर को पकड़कर बैठे रहते हैं, जैसे किसी train में सफर करता हुआ यात्री train को ही पकड़ कर बैठ जाए। अपना station आ जाने की बावजूद वह व्यक्ति train को पकड़ कर रखे, तो देखने वाले लोग उसको मूर्ख ही कहेंगे। ऐसे ही हम भी जब एक ही शरीर को पकड़कर बैठ जाते हैं, तो अज्ञानी कहलाते हैं।

विशुद्ध राजनीति पॉलिटॉक

कमलनाथ का नया दांव

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर कमलनाथ को लेकर पार्टी के अंदर सस्पेंस है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी ने उन्हें हाशिए पर डाल दिया। तबसे वह सक्रिय नहीं थे। लेकिन कुछ समय से वह अचानक फिर से हरकत में आ गए हैं। उनके करीबियों के अनुसार, अब कमलनाथ आर-पार के मूड में हैं। वह खुद के लिए राज्यसभा टिकट मांग रहे थे। साथ ही, बेटे नकुलनाथ को वह छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। नकुलनाथ उसी सीट से अभी सांसद भी हैं। लेकिन पार्टी ने कमलनाथ को राज्यसभा सीट नहीं दी। पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग मानता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी सुस्ती और किसी की न सुनने की प्रवृत्ति का बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। लेकिन कमलनाथ भी आसानी से अपनी बात से हटते नहीं दिख रहे हैं। अब वह राज्य में विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में सुगबुगाहट है कि कांग्रेस के अंदर क्या राज्यसभा चुनाव एक बार फिर कोई सियासी तूफान लाएगा? हालांकि पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम का एलान कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि इन हालात में क्या पार्टी के विधायक एकजुट रह पाएंगे? जाहिर है, सबकी नजरें कमलनाथ और उनके करीबी नेताओं पर टिकी हुई हैं।

All AI images

क्या करेंगे उद्धव

जब से बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी NDA खेमे में आए हैं, यह सवाल सियासी फिजां में तैरने लगा है कि क्या महाराष्ट्र में भी खेला होगा? कहा जा रहा है कि आम चुनाव से पहले BJP महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। इसका एक पहलू राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब मार्च के दूसरे हफ्ते में राहुल की यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी, खेला तभी होगा। हालांकि अभी दोनों खेमे ऐसी किसी संभावना से इनकार कर रहे हैं। लेकिन तमाम सर्वे में यह बात सामने आ रही है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का गठबंधन राज्य में NDA को कड़ी चुनौती दे सकता है। जाहिर है, बीजेपी नेतृत्व के लिए इस स्थिति को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि BJP उद्धव को अपने पाले में करने के लिए संभावनाएं टटोल सकती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा पेच एकनाथ शिंदे हैं, जो कुछ महीनों में राज्य में मजबूत मराठा नेता के रूप में उभरकर सामने आ चुके हैं। जब से भारत रत्न का सिलसिला शुरू हुआ है, एक हिस्से में कहा जा रहा है कि सावरकर को भारत रत्न देने की संभावित घोषणा उद्धव और BJP के बीच पुल का काम कर सकती है। अशोक चव्हाण को अपने खेमे में करके BJP कांग्रेस को बड़ा झटका तो दे ही चुकी है।

भाभी जी वेटिंग लिस्ट में

यूपी के राजनीतिक गलियारों में तय माना जा रहा था कि एक और 'भाभी जी' पॉलिटिक्स में आ रही हैं। जयंत चौधरी जब तक अखिलेश यादव के साथ थे, तब तक यह कयास लग रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ेगी, उनमें से एक पर चारु सिंह चुनाव लड़ेंगी। बस कशमकश इस बात की थी कि उनके लिए सबसे सेफ सीट कौन सी रहेगी- बागपत या मुजफ्फरनगर? डर का कारण यह था कि ये दोनों सीटें पिछले दो लोकसभा चुनावों से BJP जीत रही है। फिर जब BJP से बात चली तो यह हुआ कि वह राष्ट्रीय लोकदल को एक राज्यसभा सीट देगी, जिस पर 'भाभी जी' जाएंगी। लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि इस सौदे में एक 'कैच' था। इसलिए पिछले हफ्ते जब BJP ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किए तो उनमें से कोई भी सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए नहीं छोड़ी गई जिस पर जानकारों का यह तबका चौंका भी। अब यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए भाभी जी को थोड़ा इंतजार करना होगा। जयंत चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जब जीत जाएंगे, तो वह राज्यसभा की अपनी सीट से इस्तीफा दे देंगे जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीती थी। ऐसे में यह सीट BJP राष्ट्रीय लोकदल को दे देगी, जिस पर 'भाभी जी' चुनाव लड़ेंगी। यानी मामला तय नहीं है। देखना होगा कि भाभी जी का इंतजार कब खत्म होता है।

आगाह किया मोदी ने

आम चुनाव करीब हैं और BJP सहयोगियों के साथ 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BJP के लिए 370 सीटें जीतने का दावा किया है। लेकिन इन दावों का मतलब यह नहीं है कि बीजेपी चुनावी लड़ाई की हकीकत नहीं समझ रही। दावों के बीच भी पीएम मोदी अपने लोगों को सावधान रहने के लिए भी कह रहे हैं। पिछले दिनों एक मीटिंग में उन्होंने अपने लोगों से कहा कि यह सोचकर सुस्त न पड़ जाएं कि इस बार आराम से जीत होने वाली है। अपने क्षेत्र में लगातार मौजूद रहें और याद रखें कि थोड़ी सी भी सुस्ती की कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल, BJP के स्थानीय नेताओं, खासकर मौजूदा सांसदों के प्रति स्थानीय स्तर पर एंटी-इनकंबेंसी पार्टी के लिए चिंता की बात है। इसे देखते हुए पार्टी इस बार रेकॉर्ड तादाद में मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है।

नर हो, न निराश करो...

राज्यसभा की 56 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बात 'विश्वास' के साथ कही जा रही थी कि एक बड़े कवि को BJP राज्यसभा भेज सकती है। आग में घी का काम किया सोशल मीडिया पर कवि महोदय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ में एक तरह से रेड कार्पेट बिछा देना। जन्मदिन के बहाने लोगों में इस बार उन्हें भावी सांसद के रूप में बधाई देने की होड़ भी दिखी। लेकिन जब रविवार को BJP की लिस्ट आई तो इस बार भी कवि का नाम उसमें नहीं था। इसके बाद कई वट्सऐप ग्रुप में एक संदेश वायरल होने लगा कि BJP ने जिसका 'विश्वास' तोड़ा है, उसे एक 'प्रफेसर' भरोसा दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी यह बात विश्वास के साथ कह रहे हैं कि कवि को BJP ही राज्यसभा पहुंचाएगी। कवि का कद इतना बड़ा है कि उन्हें चुनाव वाली सीट से राज्यसभा भेजते तो वह पार्टी के सांसद कहलाते। चर्चा है कि वह आने वाले दिनों में राज्यसभा में मनोनीत किए जाएंगे।

रीडर्स मेल www.edit.nbt.in

■ बढ़ती सक्रियता

15 फरवरी का संपादकीय 'रिश्तों में नई ऊंचाई' पढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UAE और कतर की तीन दिवसीय यात्रा कई मायनो में अहम है। दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। अबुधाबी में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाना और कई अहम द्विपक्षीय समझौते होना दोनों देशों की बढ़ती करीबी दिखाते हैं। वहीं कतर से आठ पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया जाना भारत और कतर के सर्वोच्च नेतृत्व के स्तर पर बने गुडविल को रेखांकित करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पीएम मोदी की इस कतर यात्रा से दोनों देशों की दोस्ती तो मजबूत होगी ही, आपसी व्यापार भी नए लेवल पर पहुंचेगा।

पैंथर तोमर, किशन गंज

■ कृषि में विकास

यह पत्र 14 फरवरी के संपादकीय 'MSP पर गलत मांग' से संबंधित है। किसानों की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए किया जा रहा विरोध प्रदर्शन कृषि में आय संबंधी समस्याओं को उजागर करता है। MSP भले ही एक अस्थायी समाधान हो, लेकिन इसका वित्तीय भार बजट को असंतुलित कर सकता है। इसके बजाय हमें व्यापक नीतिगत बदलावों के जरिए कृषि क्षेत्र में ढांचों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इससे लाखों लोगों को रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र में गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। गारंटीशुदा MSP की मांग पूरे देश में नहीं, उत्तर भारत के एक छोटे से इलाके में ही उठाई जा रही है।

तौकीर रहमानी, ईमेल से

■ अवसरवाद का नमूना

बिहार में RJD-JDU गठबंधन से बाहर आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीतिक अवसरवाद का नया नमूना पेश किया है। एक जमाने में लोग राजनीति में आयाराम-गयाराम की बात करते थे, अब नया विशेषण चला है और वह है पलटूराम। स्वाभाविक ही नीतीश विरोधी इसका ज्यादा इस्तेमाल करते देखे जा रहे हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या जेडीयू-बीजेपी गठबंधन को नीतीश कुमार के इस फैसले का फायदा आने वाले चुनावों में मिलेगा। उनके फैसले का औचित्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता है। लेकिन इसके प्रामाणिक जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

कांतिलाल मांडोत, ईमेल से

nbteditpage@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

कोटा के लिए हैदराबाद कितनी बड़ी चुनौती - एक खबर
- 'ना कर किसी से उम्मीदें बेहिसाब, यहां वक्त के साथ एहसास बदल जाते हैं'

रोहिणी कुमारी

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

Join Magazine Group @ ₹60/m WhatsApp To 8969469464
Join Epaper Group @ ₹30/m WhatsApp To 8969469464

विपक्ष में टकराव

कांग्रेस को झटका

विपक्ष में जारी टकराव के चलते आम आदमी पार्टी-आप ने 'इंडिया' समूह की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली में एक सीट का प्रस्ताव कर उसका मजाक उड़ाया है। यह कांग्रेस को झटका है। आप ने हाल ही में कांग्रेस को दिल्ली से केवल एक सीट देने का प्रस्ताव कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। उसके अनुसार कांग्रेस ज्यादा सीट की हकदार नहीं है। इस बयान से आम चुनाव के पहले राजनीतिक गठबंधनों में उलटफेर पर चर्चा को हवा दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप के प्रस्ताव से दिल्ली में कांग्रेस को उसकी औकात बताने का संकेत मिलता है। इसके साथ ही आप लगातार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-एनसीआर में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। कांग्रेस को केवल एक सीट का प्रस्ताव कर आप स्वयं को राजधानी में भाजपा के मुख्य विरोधी के रूप में पेश कर रही है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य और निगम के स्तर पर आप एक मजबूत शक्ति है। लेकिन संसदीय चुनाव में यही बात जनता पर उसकी पकड़ के बारे में नहीं कही जा सकती है। 2019 में वह दिल्ली की सभी सीटों पर लड़ी थी, लेकिन एक पर भी नहीं जीती थी। उसके नवीनतम कदम से भाजपा को लाभ हो सकता है जिसने राजधानी की सभी सीटों पर कब्जा किया था। वास्तव में आप और कांग्रेस के बीच समझौता टूटने से भाजपा प्रसन्न होगी। लेकिन बात केवल दिल्ली लोकसभा सीटों की नहीं है, बल्कि इसके 'इंडिया' समूह तथा विपक्षी एकजुटता प्रयासों पर दूरगामी परिणाम होंगे। नीतीश कुमार के पालाबदल के बाद 'इंडिया' समूह अस्तित्व पर संकट का सामना कर रहा है। आप के इस कदम से

सवाल उठता है कि क्या 'इंडिया' समूह एकजुट होकर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है? हालांकि, संयुक्त विपक्ष का विचार आकर्षक लगता है, पर विचारधारा और नेतृत्व में मतभेदों के कारण इसकी प्रभाव घटता है।

कांग्रेस को आप का प्रस्ताव चुनावी राजनीति की मजबूरियां प्रदर्शित करते हुए रेखांकित करता है कि सीट-साझा बहुत नाजुक मामला है। विखंडित राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन बनाना आसान काम नहीं है। हालांकि, दोनों पार्टियों का साझा लक्ष्य भाजपा को सत्ता से हटाना है, पर उनके बीच गहरी प्रतिद्वंद्विता तथा वैचारिक मतभेद हैं। इसके अलावा 'इंडिया' समूह की सफलता केवल राजनीतिक पार्टियों के सहयोग ही नहीं, बल्कि उनकी इस क्षमता पर भी निर्भर करती है कि वे मतदाताओं को कितना लामबंद कर जनता का समर्थन प्राप्त कर सकती हैं। लोकसभा चुनाव बहुत निकट आने के साथ विपक्षी दलों को अपने मतभेद दूर कर प्रशासन के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण पेश करना चाहिए ताकि वे वर्तमान सरकार का विश्वसनीय विकल्प बन सकें। लेकिन इस संबंध में विपक्ष की तैयारी बहुत कमजोर दिख रही है। जहां हालिया वर्षों में भाजपा ने काफी चुनावी सफलतायें प्राप्त की हैं, प्रमुख राज्यों में विजय पाई है तथा सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की है, वहीं विपक्षी पार्टियां एक सुसंगत व प्रभावी चुनौती देने के लिए संघर्ष कर रही हैं। आगामी चुनाव विपक्ष के समक्ष अपनी एकता, प्रतिबद्धता तथा प्रशासनिक क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर देता है। इसके लिए जरूरी है कि वे भारत के भविष्य के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें जिसमें मतदाताओं की महत्वाकांक्षायें ओर सरोकार निहित हों। देखना होगा कि विपक्ष संयुक्त मोर्चा बना पाता है या नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि यदि वे चुनाव के पहले जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो उनको भविष्य में आराम का काफी समय मिलेगा।

महिलाओं हेतु समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता-यूसीसी को अक्सर मुसलमानों पर हिंदू विधि थोपने का प्रयास समझा जाता है। लेकिन मुख्य मुद्दा महिला अधिकारों के संबंध में पर्सनल कानूनों में भिन्नताओं का है।

प्रफुल्ल गोराडिया
(लेखक, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं)

समान नागरिक संहिता-यूसीसी को अक्सर मुसलमानों पर हिंदू विधि थोपने का प्रयास समझा जाता है। लेकिन मुख्य मुद्दा महिला अधिकारों के संबंध में विभिन्न धर्मों के पर्सनल कानूनों में भिन्नताओं का है। समान नागरिक संहिता-यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर खबरों में आ गया है। इसका कारण उत्तराखंड सरकार द्वारा विधानसभा में समान नागरिक संहिता कानून पास करना है। इसे महिला अधिकारों हेतु कानून में संशोधन के रूप में देखा जाना चाहिए। विडंबना है कि समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी करने वाले लोग अक्सर इसे हिंदू-मुस्लिम मुद्दे के रूप में देखते हैं।

कुछ विशेषज्ञ तो इस सीमा तक चले गए हैं कि वे समान नागरिक संहिता-यूसीसी को मुसलमानों पर हिंदू विधि थोपने का प्रयास बताने लगे हैं, जबकि मुसलमान लंबे समय से अपने शरीया कानूनों का पालन करते रहे हैं। भारत में अनेक मुस्लिम विद्वान अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि पैगंबर मुहम्मद ने महिलाओं के कल्याण की बात हिंदू ऋषियों तथा अधिकांश ईसाई पोप के पहले ही सोच ली थी। उनका दावा है कि अन्य धर्मगुरुओं की तुलना में पैगंबर मुहम्मद ने संपत्ति पर महिलाओं को अधिकार दिया था, जबकि अन्य धर्मानुयाइयों ने इसे बहुत बाद में स्वीकार किया। इस दृष्टिकोण से वे इस्लामी शरीया कानूनों को हिंदू विधि से बेहतर बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर समकालीन व वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए व्यापक दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए महिलाओं की स्थिति व महिला अधिकारों को वरीयता मिलनी चाहिए।

हालांकि, संपत्ति पर महिला अधिकारों के संबंध में उनका दावा गलत नहीं है। हिंदू महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार 1955 में हिंदू कोड बिल पास होने पर मिला। लेकिन मुसलमानों के इस तर्क का कोई अर्थ नहीं है कि बहुविवाह 21वीं शताब्दी में भी बना रहना चाहिए। मुस्लिमों का पक्ष लेने वाले अनेक लोग अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि कितने मुसलमानों की एक से अधिक पत्नियां हैं। लेकिन यह सवाल उस समय तक तार्किक नहीं कहा जा सकता है जब तक मुसलमानों को अपनी इच्छानुसार बार-बार विवाह करने और तलाक देने का अधिकार मिला रहता है। वर्तमान यथार्थ की तुलना में यह खतरा ज्यादा भयंकर है। यदि यह खतरा एक हजार विवाहों में एक मामले में भी यथार्थ में नहीं बदलता है तो भी यह असंख्य पत्नियों के सिर पर लटकती तलवार की तरह बना रहता है। इस खतरे से उनका पूरा वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। अनेक पत्नियां इस भय से अपना पूरा जीवन बिताती हैं जो एक प्रकार से महिलाओं के प्रति क्रूरता है। इसके कारण अनेक निर्दोष महिलाओं को अकारण दंड मिल सकता है जिन्होंने अपने पति या परिवार के प्रति कोई अपराध न किया हो। इस परिदृश्य की तुलना में कम से कम एक पाकिस्तानी महिला को उस समय तक शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार मिलता है जिसका पति वास्तव में तलाक की मांग न करे। पाकिस्तान में तलाक की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाती है और बिना मजिस्ट्रेट की सहमति के कोई तलाक वैध नहीं हो सकता है।

किसी मुसलमान का कोई हिंदू मित्र संभवत: समान नागरिक संहिता का विरोध करने में उसका साथ दे सकता था, बशर्ते कि उसने बड़े इस्लामी धर्मगुरुओं द्वारा भारत में मुस्लिम कानूनों के आधुनिकीकरण का कोई प्रयास देखा होता। लेकिन इसके कोई प्रयास नहीं हुए हैं। अधिकांश मुस्लिम धर्मगुरुओं ने 'इज्तिहाद' या पुन: व्याख्या के बजाय 'तक़लीद' या कट्टरपन को वरीयता दी है। ऐसे में मुस्लिम पुरुष के लिए तो जीवन स्वर्ग के समान हो सकता है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को नरक की तरह भय का सामना करना पड़ता है। पैगंबर हजरत मुहम्मद मनोविज्ञान में माहिर थे और उन्होंने शताब्दियों तक पुरुषों को ऐसी दुनिया के प्रति आकर्षित करने में सफलता पाई है जो पुरुषों की दुनिया हो। उनकी इसी प्रतिभा के कारण इस्लाम का लगातार विस्तार सुनिश्चित हुआ है। केवल पिछले कुछ दशकों से इस विश्वास को प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके पहले तक इस्लाम ने पुरुषों को आश्चर्यजनक प्रसन्नता प्रदान की है, भले ही मुस्लिम महिलाओं को तनाव और भय के माहौल में अपना जीवन गुजारना पड़ा हो।

केवल इतना ही नहीं कि मुस्लिम महिलाओं को पति द्वारा तलाक देने का खतरा बना रहा जो पुरुषों के लिए बहुत आसान था। इसके अलावा महिलाओं को पुरुष से अलगाव के लिए 'खुला' के अंतर्गत बहुत कठिन विकल्प मिला था जो काफी लंबा, जटिल तथा खर्चीला था। दूसरी ओर पुरुषों का विशेषाधिकार बहुत सरल था। केवल तीन महीने से कम समय में वह 'तलाक' बोल कर महिला को उसके बच्चों समेत अपने घर के बाहर धकेल सकता है। विडंबना है कि अधिकांश मुस्लिम महिलायें किसी खास कौशल से वंचित होती हैं। ऐसे में वे अपने और अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए क्या कर सकती हैं। 'निकाह' के समय 'मेहर' भुगतान की व्यवस्था के कारण पति को तलाकशुदा महिला के भरण-पोषण पर खर्च की जरूरत नहीं होती है। मुस्लिम महिला शाहबानो इस्लामी कानूनों की इस विसंगति का शिकार बनी थी।

उत्तराखंड विधानसभा द्वारा हाल ही में पास विधेयक में निकाह के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य किया गया है। इसके अभाव में मुस्लिम लड़की के रजस्वला होने पर विवाह की व्यस्था है जो 8, 9 या 10 साल में भी हो सकता है। कितनी आयु में लड़की का विवाह किया जा सकता है। पहले लड़की की शिक्षा या उसके कौशल प्राप्त करने का सवाल नहीं उठता था। इसके साथ ही मुस्लिम लड़की के सिर पर तलाक की तलवार हर समय लटकी रहती है। आखिरकार सवाल उठता है कि मुस्लिम लड़कियों ने क्या गलती की है जो उनको इस दुर्भाग्य में धकेल दिया जाता है? ऐसे में 'निकाह हलाला' को भी भुलाया नहीं जाना चाहिए जो किसी अन्य उत्पीड़न की तुलना में ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि तलाक के बाद वही युगल दोबारा विवाह करना चाहे तो महिला को इस असाधारण व अमानवीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। महिला को पहले दूसरे व्यक्ति से विवाह कर संभोग करना पड़ता है। इसके बाद उसे तलाक मिलने पर ही पुन: महिला अपने पहले पति से विवाह कर सकती है। 'हलाला' शब्द का अर्थ किसी चीज को हलाल या वैध बनाना है। तलाक आमतौर पर पति द्वारा दिया जाता है, लेकिन पुन: विवाह के लिए महिला को एक अनजाने व्यक्ति से संभोग की अमानवीय पीड़ा सहनी पड़ती है। शरीया बनाने के समय इसे शामिल करने का क्या औचित्य था?

जब संपत्ति या अन्य वस्तुयें बांटने का सवाल आता है तो भी इस्लाम में लड़कों और लड़कियों को अलग श्रेणियों में रखा जाता है। लड़कियों को संयुक्त रूप से लड़कों का आधा हिस्सा ही मिलता है। क्या यह किसी वरिष्ठ धर्मगुरु के आदेश का असर है जो महिलाओं के प्रति असीम घृणा का शिकार था? इस बारे में हमें इस्लाम के शुरुआती इतिहास से ही जानकारी मिल सकती है। इससे पता चल सकता है कि उस समय सी सामाजिक परिस्थितियां विद्यमान थीं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ इतने व्यापक भेदभाव की अनुमति दी थी। इस संबंध में पुरानी पुस्तक 'किताब अल-निकाह' से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्रारम्भिक इस्लामी इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझी जाने वाली इस किताब संख्या 2045 में एक घटना का विवरण दिया गया है। इसके अनुसार, एक व्यक्ति पैगंबर हजरत मुहम्मद के पास गया और उसने पूछा कि क्या उसे ऊंचे दर्जे वाली बहुत सुंदर महिला से विवाह करना चाहिए? इस पर पैगंबर मुहम्मद ने उसे ऐसा करने से मना करते हुए सलाह दी कि 'केवल ऐसी महिला से विवाह करो जो प्रेम करने वाली और उर्वर हो। मैं चाहता हूं कि उसके माध्यम से दूसरे लोगों की तुलना में तुम्हारी संख्या ज्यादा हो।' वर्तमान परिस्थितियों में महिला अधिकारों के दृष्टिकोण से इस कथन का निहितार्थ समझा जा सकता है।

बजट में जलवायु संबंधी सरोकार

स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ऊर्जा और परिवहन से आगे बढ़कर समग्र पर्यावरण प्रबंधन तक फैली हुई है।

कविराज सिंह
(लेखक, स्तम्भकार हैं)

गौरीपुर के शांत गांव में, बदलाव की फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी। प्रिया खबर लेकर पहुंची कि सूरज ग्रामीणों का दृढ़ साथी बनने के लिए अस्त हो गया है। अंतरिम बजट 2024 में छतों को सौर ऊर्जा से सुसज्जित करने, हर घर में मुफ्त बिजली पहुंचाने का वादा किया गया था। गाँव, जो कभी धुंधली रोशनी वाली शामों का आदी था, अब एक सौर सिम्फनी की दहलीज पर खड़ा है जो जीवन को रोशन करेगा और एक स्थायी सुबह की शुरुआत करेगा।

2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम में, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा तैयार करते हुए प्रमुख पहलों का खुलासा किया। बजट में सौर ऊर्जा अपनाने, अपतटीय पवन क्षमता और अन्य टिकाऊ प्रथाओं पर जोर दिया गया है, जो हरित भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रमुख घोषणाओं में से एक में दस मिलियन घरों के लिए छतों का सौर ऊर्जाकरण शामिल है, जिसका लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल न केवल परिवारों को सशक्त बनाएगी बल्कि वितरण कंपनियों को अधिशेष सौर बिजली बेचकर सालाना 18,000 रुपये की महत्वपूर्ण बचत में भी योगदान देगी। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) का सुझाव है कि यह प्रयास 20-25 गीगावाट छत सौर क्षमता की स्थापना का समर्थन कर सकता है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, यह कदम देश की लगभग 7,600 किलोमीटर की व्यापक तटरेखा का लाभ उठाने के लिए तैयार है, विशेष रूप से गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर, जहां अनुमानित 70 गीगावाट अपतटीय पवन क्षमता की पहचान की गई है। इसी तरह, परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए, सरकार ने परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक गैस (पीएनजी) में संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) के चरणबद्ध मिश्रण की घोषणा की। इस संबंध में, जैव-विनिर्माण और जैव-फाउंड्री के लिए एक नई योजना का उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना है।

सरकार का लक्ष्य विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे का समर्थन करके इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जिससे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में ई-बसों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके। यह रणनीतिक कदम 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्रोतों से 50त्न संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसलिए बजट इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के विस्तार और मजबूती की योजना के साथ, इलेक्ट्रिक गतिशीलता पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र। भुगतान सुरक्षा तंत्र द्वारा समर्थित ई-बसों का बड़े पैमाने पर रोलआउट, गतिशीलता क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने और भारत को ईवी विनिर्माण के लिए एक संभावित केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है। 1 लाख करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण कोष की घोषणा से स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और अनुसंधान में निजी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, ब्लू इकोनॉमी 2.0 योजना की शुरुआत करते हुए, बजट जलवायु-लचीली गतिविधियों और तटीय क्षेत्रों में सतत विकास पर केंद्रित है। पुनर्स्थापना, अनुकूलन उपायों को प्राथमिकता देना और एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि का विस्तार करना, यह पहल समग्र पर्यावरण प्रबंधन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

अंतत:, विवादास्पद होते हुए भी, बजट 2030 तक 100 मिलियन मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित करने के लिए संसाधनों का आवंटन भी करता है। इस कदम का उद्देश्य प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के आयात को कम करना है, जिससे वैश्विक बदलावों के बीच भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की जा सके। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर।

इस संबंध में, बजट की हरित पहल की सराहना करते हुए, विशेषज्ञ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पहल के लिए विस्तारित जनादेश को प्रतिबिंबित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को आवंटन में वृद्धि का आग्रह करते हैं। पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ वित्तीय आवंटन के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए मुद्दा-आधारित बजटिंग प्रक्रियाओं के तीसरे स्तंभ के रूप में ग्रीन बजटिंग की वकालत पर जोर दिया गया है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भी राजकोषीय संयम और राजकोषीय समेकन लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए अंतरिम बजट की प्रशंसा की है। छत पर सौर योजना, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं, और विद्युत गतिशीलता पर जोर भारत को सतत विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत की उपलब्धियों की वैश्विक मान्यता, स्वच्छ, हरित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। निष्कर्षत:, भारत का अंतरिम बजट 2024 देश की नेट-शून्य अर्थव्यवस्था की खोज में एक मील का पत्थर बनकर उभरा है। सौर ऊर्जा, अपतटीय पवन क्षमता, टिकाऊ परिवहन और पर्यावरण संरक्षण को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ, बजट एक लचीले और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार भविष्य की नींव रखता है। उल्लिखित पहल न केवल जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भारत को सतत विकास की दिशा में वैश्विक परिवर्तन में एक नेता के रूप में स्थापित करती हैं।

आप की बात

बिखरता विपक्ष

लोकसभा चुनाव भाजपा के खिलाफ एकजुट हो कर लड़ने की विपक्षी कोशिशें ढहती नजर आ रही हैं। विपक्ष लगातार बिखर रहा है। बसपा और बीजू जनता दल जैसी कुछ पार्टियाँ तो पहले ही इंडिया गठबंधन से बाहर थीं, अब ममता, नीतीश, जयंत चौधरी और पंजाब में आप भी विपक्षी गठबंधन से अलग हो चुके हैं। विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अपना ही घर नहीं संभाल पा रही है। कद्दावर नेताओं में पार्टी छोड़ने की होड़ मची हुई है। मिलिंद देवड़ा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के पालाबदल ने उसे करारा झटका दिया है। दूसरी ओर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। जदयू और रालोद एनडीए में जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अकाली दल, तेलगू देशम और तमिलनाडु की कई छोटी पार्टियां भी एनडीए जुड़ सकती हैं। ने की संभावना है। विचारधारा विहीन और सिर्फ सत्ता के लिए बने विपक्षी गठबंधन का चुनाव से पहले का यह अंतर्द्वंद 2024 में चुनाव हारने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के रूप में फूटेगा। ऐसे में कांग्रेस और राहुल लाख कोशिश कर लें इंडिया गठबंधन की अवश्यम्भावी असफलता का सेहरा उनके सिर ही बंधेगा। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ ही कांग्रेस गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी भी है।

– **बृजेश माथुर,** गाजियाबाद

मुस्लिम देश में मंदिर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देश में नए भव्य मंदिर का शुभारंभ कर अपने चुंबकीय व्यक्तित्व का प्रभाव दिखा दिया हैं। एक मुस्लिम राष्ट्र में सरकार से भूमि प्राप्त कर विशाल हिंदू मंदिर बनाना अकल्पनीय माना जाता था। वैसे संयुक्त अरब अमीरात-यूएई के शाशक अनेक अन्य मुस्लिम देशों की तुलना में ज्यादा उदारवादी हैं। लेकिन इसके बावजूद स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा वहां मंदिर की स्थापना आसान काम नहीं था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इस मंदिर को हिंदू धर्म की व्यापकता, सर्व-स्वीकार्यता तथा विश्व बंधुत्व का प्रतीक बताते हुए इसे हिंदू-मुस्लिम सद्भावना का भी प्रतीक बताया। उन्होंने इस अवसर पर अयोध्या में जन्मस्थान पर बने भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की याद दिलाते हुए कहा कि स्वामीनारायण मंदिर के शुभारंभ से यह आनन्द दो गुना हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दस साल में इस खाड़ी देश की 7 बार यात्रा की है और इन यात्राओं से द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। भारत-यूएई संबंधों तथा वहां भव्य मंदिर बनने से अन्य इस्लामी देशों में भी हिंदू धर्म के प्रति समझदारी, सद्भावना और प्रेम बढ़ेगा।

– **सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

जापान में मंदी

जापान समेत दुनिया के तमाम आर्थिक विषेशज्ञों ने मान लिया है की कुछ समय पहले तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला जापान अब पूरी तरह तकनीकी रूप से मंदी का गिरफ्त में आ चूका है। पिछली तिमाही में 3.3 प्रतिशत गिरावट के बाद जापान की जीडीपी में वार्षिक आधार पर 0.4 प्रतिशत गिरावट आई है। कुछ विश्लेषक चालू तिमाही में एक और संकुचन की चेतावनी दे रहे हैं। चीन में कमजोर मांग, सुस्त खपत और टोयोटा मोटर कॉर्प की एक इकाई में उत्पादन रुकने से आर्थिक चुनौती के नए संकेत मिलने लगे हैं। जापान में मंदी के कारण चौथे स्थान पर रहने वाला जर्मनी अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन जर्मन अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकता है । ऐसे में उसका तीसरे पायदान पर बने रहना कठिन हो सकता है। जापान को यह झटका केवल मांग और घरेलू निवेश में कमी के कारण ही नहीं लगा है, बल्कि वहां आबादी में लगातार आ रही गिरावट भी इसका एक प्रमुख वजह है। जापान अब वृद्धों का देश बनता जा रहा है और कामकाजी युवा जनसंख्या घट रही है। इसी कारण जापान ने आप्रवास नीति सरल कर विदेशों से कुशल श्रमिकों तथा अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुलाना शुरू कर दिया है।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

मातृभाषा का महत्व

बच्चे प्रारंभिक अक्षर ज्ञान से लेकर ज्यादातर शिक्षा अपनी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में करते हैं। सीखने में मातृभाषा का महत्व देखते हुए अब हमारे देश में डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई भी हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से संभव बनाई जा रही है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं। उन्हें हम जैसा ढालेंगे वह वैसे ही बन जाएंगे। बच्चों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बातचीत व पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब प्ले स्कूल से ही बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर शुद्धतम रूप से हर भाषा को सिखाया जा सकता है। अब मोबाइल में आप जिस भाषा में भी बोलें, सुनने वाला उसे अपनी भाषा में सुन सकेगा। भारत सरकार का भाषिणी व अन्य साफ्टवेयर इसे अंजाम दे रहे हैं। इससे विश्व स्तर पर हर जगह हर भाषा बोलने वाले अपनी भाषा में दूसरी भाषा बोलने वालों से संवाद कर सकते हैं। ऐसे में अब उच्च स्तर तक सारी पढ़ाई उच्च स्तर तक मातृभाषा में होनी चाहिए और किसी बच्चे पर जबरन अंग्रेजी थोपने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

Join Epaper Group @ ₹30/m WhatsApp To 8969469464
Join Magazine Group @ ₹60/m WhatsApp To 8969469464

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 16 फरवरी, 2024

दैनिक जागरण
मधुर वाणी कड़ी स्थितियों को भी सुलझा देती है

चुनावी चंदे का जटिल सवाल

चुनावी बांड योजना को लेकर जैसे सवाल उठ रहे थे, उसे देखते हुए इस पर आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस योजना को असंवैधानिक करार दिया। इसी के साथ उसने स्टेट बैंक को चुनावी बांड संबंधी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करने का निर्देश दिया। इससे यह पता चलेगा कि किन व्यक्तियों और कारोबारी समूहों ने किस दल को चुनावी बांड के जरिये कितना चंदा दिया? अभी तक राजनीतिक दल यह जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि संबंधित कानून में इसका प्रविधान ही नहीं रखा गया था। जब यह कानून लाया गया था तो यह वादा किया गया था कि समय के साथ चुनावी बांड की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा, लेकिन पिछले छह वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया गया। चुनावी बांड योजना इसलिए लाई गई थी, क्योंकि इसके पहले राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की प्रक्रिया अपारदर्शी तो थी ही, उसमें नकदी का भी जमकर इस्तेमाल होता था। ऐसा इसलिए होता था, क्योंकि राजनीतिक दलों को यह बताना आवश्यक नहीं था कि उन्हें 20 हजार रुपये से कम राशि का नकद चंदा किससे मिला? इसके चलते कुछ दल यह दावा करते थे कि उन्हें अधिकांश चंदा 20-20 हजार रुपये से कम राशि के जरिये ही मिला। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि इस व्यवस्था में कालेधन का इस्तेमाल हो रहा होगा।

यह अच्छा नहीं हुआ कि चुनावी चंदे की पुरानी प्रक्रिया से जुड़ी खामियों को दूर करने के नाम पर चुनावी बांड की जो योजना लाई गई, वह न तो विसंगतियों से मुक्त हो सकी और न ही पारदर्शी बन सकी। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा तो सरकार की ओर से यह विचित्र तर्क दिया गया कि नागरिकों को राजनीतिक चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं। आखिर इस जरूरी जानकारी को सूचना अधिकार कानून से बाहर रखने का क्या औचित्य? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह कहना कठिन है कि चुनावी चंदे की कोई पारदर्शी व्यवस्था बन पाएगी या नहीं, लेकिन यह समय की मांग है कि जनता को यह पता चले कि राजनीतिक दलों को कौन कितना चंदा दे रहा है? देश के छोटे-बड़े उद्योगपति न जाने कब से राजनीतिक दलों को चंदा देते आ रहे हैं। यह मानने का कोई कारण नहीं कि वे गोपनीय तरीके से ही चुनावी चंदा देना पसंद करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के भले के लिए चुनावी चंदे की प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाना और राजनीति में कालेधन का इस्तेमाल रोकना आवश्यक है। इसमें विपक्ष को भी सहयोग देना होगा। वह यह कहकर अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसकी जीत हुई, क्योंकि यह एक तथ्य है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की तरह राज्यों में शासन कर रहे दल भी चुनावी बांड हासिल करने के मामले में बढ़त पर थे।

सहयोग जरूरी

शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार बेहतर काम कर रही है। सुधार की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सभी अनुमंडलों में डिग्री कालेज खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन चिंता की बात यह है कि जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से नौ अनुमंडलों में डिग्री कालेज नहीं खुल पाए हैं। जिन अनुमंडलों में ऐसा हो रहा है, वहां के लोगों को चाहिए कि वे इसके लिए जमीन चिह्नित कर जिलाधिकारी को बताएं। सरकार की ओर से कहा गया है कि जिन अनुमंडलों में डिग्री कालेज नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर खोला जाएगा। संबंधित अनुमंडलों में जहां भी डिग्री कालेज के लिए जगह मिल जाएगी, वहां कालेज खोले जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं कि इसके लिए स्थानीय लोगों को भी आगे आना होगा। समाज के समृद्ध लोगों को सरकार का सहयोग कर मिसाल पेश करनी चाहिए। महाविद्यालय खुलने से उनके बच्चों को ही लाभ होगा। क्षेत्र के विद्यार्थियों को घर के नजदीक उच्च शिक्षा की सुविधा मिल जाएगी। अधिकारियों को भी चाहिए कि वे अनुमंडलों में खाली सरकारी जमीन की तलाश करें। एक आंकड़े के मुताबिक, राज्य में बिहार बोर्ड से प्रति वर्ष 10.6 लाख विद्यार्थी इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और 8.37 लाख विद्यार्थियों का नामांकन स्नातक में हो पाता है। हालांकि कुछ विद्यार्थी दूसरे प्रदेशों में भी पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के कई विद्यार्थी नजदीक में स्नातक की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। खासकर गरीब परिवार की छात्राओं को अधिक परेशानी होती है। बहरहाल सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईमानदार प्रयास कर रही है। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हो रही है। स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। नियुक्तियों का दौर अभी चल भी रहा है। विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए भी राशि जारी की जा रही है। जिन विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया है, वहां भवन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सात हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजना को स्वीकृति दे दी गई है।

कई समस्याओं का समाधान हाइड्रोजन ईंधन

सुजन पाल सिंह

हाइड्रोजन ईंधन से जहां हम न केवल स्वच्छ हवा सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि तेल आयात के खर्चे को बचाकर आर्थिकी को भी एक बड़ा सहारा दे सकेंगे

दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 14 भारत में हैं। हम सभी सर्दियों की दस्तक के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कई अन्य शहरों में प्रदूषण के बारे में समाचार सुनते हैं। इस दौरान शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआइ खतरनाक स्तर को लांघ जाता है। फिर बहस शुरू होती है। दोषारोपण होने लगता है। इसमें राजनीतिक दल बहुत मुखर होते हैं। हर एक दल दूसरे को दोष देने लगता है। इस बहस के बीच कुछ तथ्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे भारत में वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 23 लाख लोगों की मौत होती है। यह कोविड-19 से हुई कुल मौतों का चार गुना अधिक है। क्या इस स्थिति का कोई ठोस समाधान है जो जीवन की सुगमता के साधनों से समझौता किए बिना पर्यावरण को भी क्षति न पहुंचाए। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में ऐसा एक समाधान हमारी पहुंच में दिख रहा है।

हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद प्राप्ति के स्तर पर यह कुछ दुर्लभ भी है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अधिकांश हाइड्रोजन पानी के एक प्रमुख भाग के रूप में मौजूद है। प्रत्येक पानी के अणु में आक्सीजन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं। यदि पानी को इलेक्ट्रोलिसिस नामक एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें उसमें करंट प्रवाहित किया जाता है, तब पानी का अणु टूट जाता है और हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन संभव हो सकता है। हाइड्रोजन एक शून्य-उत्सर्जन ईंधन है। यानी उसे जलाने से कोई प्रदूषण नहीं होता। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसे आक्सीजन के साथ जलाया जाता है। ऐसा करने में सिर्फ जल वाष्प इंजन से बाहर निकलता है। हाइड्रोजन ईंधन को व्यापक स्तर पर उपयोग में लाने से पहले हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हाइड्रोजन ईंधन को उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली सौर और पवन ऊर्जा जैसे हरित नवीकरणीय स्रोतों से हो। इस प्रकार के हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत कार्बन डाईआक्साइड या कोई अन्य हानिकारक कण नहीं बनता। साथ ही हवा की गुणवत्ता यानी एक्यूआइ को नुकसान नहीं पहुंचता।

भारतीय उद्योग जगत में भी ग्रीन हाइड्रोजन को व्यापक स्तर पर अपनाया जा रहा है। रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी इसमें अरबों रुपये का निवेश कर रही है। टाटा और महिंद्रा के साथ टोयोटा और कमिंस जैसी कंपनियां कारों और ट्रकों के लिए हाइड्रोजन इंजन विकसित करने पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यह सिलसिला इसी प्रकार कायम रहा तो आप वर्ष 2030 तक प्रतिदिन एक हाइड्रोजन बस, एक हाइड्रोजन ट्रेन की सवारी करने और एक हाइड्रोजन ईंधन कार के मालिक होने की उम्मीद कर सकते हैं। इससे निकलने वाला पानी भी इतना साफ होगा कि उसका सेवन तक किया जा सकता है। गत वर्ष नई दिल्ली में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाइड्रोजन ईंधन की राह पर चलने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। भारतीय कंपनियां इस प्रक्रिया को सफल बनाने में विश्व का नेतृत्व भी कर रही हैं। प्राकृतिक गैस से भी हाइड्रोजन ईंधन बनाया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे पेट्रोलियम समृद्ध देश भी अब यही विकल्प अपना रहे हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में हानिकारक कार्बन डाईआक्साइड निकलती है। इसीलिए इसे 'ग्रे हाइड्रोजन' कहा जाता है। भले ही कार्बन डाईआक्साइड को किसी टेक्नोलाजी से वायुमंडल में जाने से कुछ हद तक रोका जाए, तब भी यह पूरी तरह से स्वच्छ प्रक्रिया नहीं है।

अवधेश राजपूत

विश्व के 24 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिए परिवहन क्षेत्र को जिम्मेदार माना जाता है। दिल्ली जैसे शहर में तो यह आंकड़ा 30 प्रतिशत से ऊपर है। ग्रीन हाइड्रोजन वाहनों से हम इस प्रदूषण को शून्य कर देंगे। केवल इसी से दिल्ली की हवा प्रदूषण के गंभीर स्तर से मध्यम स्तर पर आ जाएगी। केवल इस पहल से सालाना 23 लाख लोगों की जान बचाने में मदद मिल सकती है और प्रत्येक भारतीय की औसत आयु लगभग 5.8 वर्ष बढ़ जाएगी। इसके आर्थिक निहितार्थ भी कम महत्वपूर्ण नहीं। तेल और गैस का आयात हमारी आर्थिकी पर एक बड़ा बोझ है। भारत ने वर्ष 2022 में पेट्रोलियम आयात के लिए 12 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह शिक्षा पर किए गए खर्च का 18 गुना या स्वास्थ्य देखभाल पर हमारे कुल खर्च का 14 गुना है। कल्पना करें कि जो धन हम तेल समृद्ध देशों को देने पर मजबूर हैं, उसे हम अपने विकास पर निवेश करें तो इसका प्रभाव कितना व्यापक होगा। साथ ही इससे हमारे स्थानीय उद्योगों का निर्माण भी होगा। हाइड्रोजन ईंधन की इस वैज्ञानिक क्रांति से बहुत सारी नौकरियां पैदा हो सकती हैं और हमें इन देशों पर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा। तेल समृद्ध कुछ देशों की नीतियां भी हमारे अनुकूल नहीं।

भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बेहतर और शत प्रतिशत स्वच्छ है, लेकिन किसी भी महत्वाकांक्षी मिशन की तरह इसमें भी चुनौतियां हैं। पहला है कुशल इंजन का निर्माण और किफायती वाहन विकसित करना जो इस नए ईंधन पर चल सकें। हमारे घरेलू उद्योग इतने मजबूत हैं और हमारा बाजार इतना बड़ा है कि नए इंजन का उत्पादन तेज गति से हो सकता है। दूसरा, ऐसे इंजनों में सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन पेट्रोल या किसी अन्य पारंपरिक ईंधन की तुलना में अधिक विस्फोटक है। तीसरा मुद्दा यह है कि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में सौर और पवन ऊर्जा में निवेश की आवश्यकता होगी। यह पहलू ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन की तुलना में महंगा बना देगा। भारत ने 2030 तक इस मोर्चे पर आठ लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया है। अकेले इस क्षेत्र में छह लाख से अधिक नौकरियां सृजित होंगी। हाइड्रोजन वाहनों एवं उनका सर्विस नेटवर्क बनाकर और अधिक निवेश के साथ ही रोजगार विस्तार होगा। यह सब एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाता है, जहां हम न केवल स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे, बल्कि तेल की खरीद के खर्चे को बचाकर अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा सहारा देंगे।

(पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ हैं)

response@jagran.com

सौर क्रांति लाने वाली सूर्योदय योजना

देश में इन दिनों कई राजनीतिक दलों में चुनावों के दौरान मतदाताओं को मुफ्त बिजली देने का वादा करने की होड़ मची है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए एक क्रांतिकारी योजना पेश की है-प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके अंतर्गत एक करोड़ घरों पर रूफटाप यानी घर की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इससे लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी और भारत हरित ऊर्जा की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को भी पूरा कर सकेगा। सौर ऊर्जा में पारंपरिक बिजली उत्पादन माडल की तरह अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाने में आधारभूत ढांचे की उतनी जरूरत नहीं रहती है। सरकार अक्षय ऊर्जा को लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के निर्वाह के लिए कुल बिजली उत्पादन क्षमता के 50 प्रतिशत को अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हासिल करने की योजना पर काम कर रही है।

इससे पहले सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए कई योजनाएं बन चुकी हैं। वर्ष 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन शुरू किया गया था। 2015 में एक और योजना शुरू की गई जिसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 2017 में सरकार ने सोलर ट्रांसफिगरेशन आफ इंडिया (सृष्टि) योजना शुरू की। इसी तरह देश के ग्रामीण इलाकों के दूरदराज क्षेत्रों तक स्वच्छ और सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना शुरू की गई। इन योजनाओं के बावजूद रूफटाप सौर ऊर्जा की प्रगति संतोषजनक नहीं रही। 2024 तक 40 गीगावाट लक्ष्य की तुलना में उत्पादन 11 गीगावाट का ही हुआ। इसी से सबक सीखते हुए नई योजना में पहले की योजनाओं की खामियों को दूर किया गया है। रूफटाप सौर ऊर्जा में सबसे बड़ी बाधा है ऊंची लागत। इसीलिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में कुल परियोजना लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी रूप में होगा और शेष राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। जिस घर पर सोलर पैनल लगेगा उस परिवार को ऋण नहीं लेना होगा। यह ऋण वे सरकारी कंपनियां लेंगी जिन्हें राज्यों में इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये कंपनियां सोलर पैनल लगाएंगी और घरों को जितनी भी बिजली की जरूरत होगी उतनी बिजली देंगी और जो बिजली बढ़ेगी उसे संबंधित बिजली

रमेश कुमार दुबे

पीएम सूर्योदय योजना से लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली के साथ ही हरित ऊर्जा के लक्ष्य की पूर्ति में मदद मिलेगी

ऊर्जा आत्मनिर्भरता संग पर्यावरण संरक्षण भी। फाइल

वितरण कंपनियों को बेच देंगी। इस बिक्री से जो धन प्राप्त होगा उससे ऋण का भुगतान किया जाएगा। कर्ज की अदायगी पूरी होने के बाद सोलर सिस्टम उपभोक्ता का हो जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता बिजली बेचकर स्वयं भी धन कमा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और बची हुई बिजली को बेचने से एक उपभोक्ता को हर साल 18,000 रुपये तक की बचत होगी। इस योजना में उन घरों का चयन किया जाएगा जहां हर माह औसतन तीन सौ यूनिट बिजली की खपत होती है। सौर प्रणाली लगने के बाद इन घरों में बिजली से चलने वाले उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भी योजना है, जैसे बिजली से चलने वाला चूल्हा। इसीलिए सरकार चूल्हा बनाने वाली एजेंसियों से तालमेल कर रही है, ताकि इन परिवारों को मुफ्त इलेक्ट्रिक चूल्हा दिया जा सके।

बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोलियम पदार्थों के भारी-भरकम आयात बिल को देखते हुए सरकार बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल देश के 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन रूफटाप सौर ऊर्जा से चार्ज हो रहे हैं। सरकार इस अनुपात को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। अनुमान है कि भारत में वर्ष 2030 तक 10 करोड़ से अधिक बिजली से चलने वाले वाहन होंगे जिन्हें 29 लाख चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत पड़ेगी। सौर ऊर्जा चालित चार्जिंग स्टेशन विश्वसनीय, पर्यावरण हितैषी और किफायती होते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली संस्था टेरी के एक अध्ययन के अनुसार जहां सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली की लागत 2.50 से 3.50 रुपये प्रति यूनिट है वहीं ग्रिड आधारित बिजली की लागत छह से सात रुपये है। जिस ढंग से सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की तकनीक में प्रगति हो रही है उससे वर्ष 2030 तक प्रति यूनिट लागत और कम होने की उम्मीद है। सौर ऊर्जा चालित चार्जिंग स्टेशन ग्रामीण और दूरदराज के ऐसे इलाकों में स्थापित हो जाते हैं, जहां ग्रिड आधारित बिजली की पहुंच नहीं है।

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में बिजली उत्पादन के बजाय परिवारों की संख्या को लक्ष्य बनाया गया है। एक करोड़ घरों की छत पर रूफटाप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य देखने में भले ही भारी-भरकम लगे, लेकिन देश की सौर ऊर्जा क्षमता बहुत ज्यादा है। एक अध्ययन के अनुसार देश के 25 करोड़ घरों में यह क्षमता है कि वे अपनी छतों पर 637 गीगावाट सौर संयंत्र स्थापित कर सकें। देश के हर गांव-घर तक बिजली पहुंचाने के बाद मोदी सरकार देश भर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए मार्च 2025 का लक्ष्य तय करने जा रही है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा बिजली वितरण कंपनियों का घाटा है जिससे कंपनियां निवेश नहीं कर पा रही हैं। सरकार बिजली क्षेत्र को घाटे से उबारने के लिए दो मोर्चों पर काम कर रही है-स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर। उल्लेखनीय है कि पिछले 10 वर्षों में बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार आया है। सरकार ने सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिये देश के सभी गांवों को ग्रिड की बिजली से जोड़ दिया है। इसी का परिणाम है कि आज शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन 23.5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 20.5 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। उम्मीद है अब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य हासिल हो जाएगा।

(लेखक एमएसएमई मंत्रालय के दिल्ली निर्यात संवर्द्धन और विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विनम्रता

नदी समुद्र तक पहुंचती है तो अपने साथ पानी के अतिरिक्त बड़े-बड़े लंबे पेड़ भी ले जाती है। एक दिन समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम पेड़ों को अपने प्रवाह में ले आती हो, परंतु कोमल बेलों को अपने साथ में नहीं लाती हो। नदी बोली कि जब-जब पानी का बहाव बढ़ता है तब-तब बेलें झुक जाती हैं और पानी को रास्ता दे देती हैं इसलिए वे बच जाती हैं, जबकि पेड़ तनकर खड़े रहते हैं इसलिए वे अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। ठीक वैसे ही जीवन में जो विनम्र रहते हैं उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। विनम्रता न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है, बल्कि कई बार सफलता का कारण भी बनती है। उसके कारण जो सम्मान मिलता है, उसका एक अलग महत्व है।

कोमलता सदा जीवित रहती है, जबकि कठोरता का जल्द ही विनाश हो जाता है। विनम्र बनकर व्यक्ति सहनशील बनता है और जीवन की परिस्थितियों से सामंजस्य बैठा लेता है। कई लोग अपने विशेष कार्य में माहिर होते हैं, परंतु विनम्रता के अभाव में घर या कार्यालय में सदैव परेशानी का शिकार होते हैं। विनम्रता कायरता नहीं है। वह व्यक्ति को शांति, सहनशीलता, शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। मनुष्य यदि विनम्रता से जीवन जीना सीख ले तो उसकी अनेक परेशानियां चुटकी में समाप्त हो सकती हैं। केवल थोड़ा व्यवहार में बदलाव लाने मात्र से यह संभव हो सकता है।

भारतीय संस्कृति में विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम एवं अभिवादन करने की परंपरा है। हमारे जीवन में विनम्रता बनी रहे इसलिए प्रार्थना, वंदना, स्तुतियां आदि की जाती हैं। दूसरों की सेवा सहायता एवं दान किया जाता है। इससे हम अधिक विनम्र और कृतज्ञ बनते हैं। अर्थात हम सभी को अपने जीवन में विनम्रता को ही स्थान देना चाहिए, अहंकार को नहीं, क्योंकि अहंकार हमें तोड़ता है और विनम्रता हमें उच्च स्थितियों में पहुंचाती है।

अवधविहारी शुक्ल

पुस्तकों की ओर लौटते युवा

डा. मोनिका शर्मा

ब्रिटेन में हुए एक अध्ययन के अनुसार युवा पीढ़ी अब इंटरनेट मीडिया पर समय गंवाने के बजाय पुस्तकों की ओर लौट रही है

संसार के हर भूभाग पर पुस्तकें सदा से ही विचार-व्यवहार और संस्कार देने का माध्यम रही हैं। मानवीय मन को परिष्कृत करने का साधन रही हैं। तभी तो आज के तकनीकी के दौर से घिरती और गुम होती जीवनशैली में भी पुस्तकों की महत्ता बनी हुई है। हालांकि इंटरनेट मीडिया मंचों ने युवा पीढ़ी को पुस्तकों के पन्ने पलटने की आदत से थोड़ा दूर भी किया, पर किताबों का साथ आज भी अपना महत्व रखता है। यही वजह है कि समय के साथ बदलती जीवनशैली से जुड़ी नई बातों और हालातों से जूझने के बाद पुस्तकों का आश्रय ही सुहाता है। पिछले दिनों ब्रिटेन में हुआ एक अध्ययन बताता है कि युवा पीढ़ी अब इंटरनेट मीडिया पर समय गंवाने के बजाय पुस्तकों की ओर लौट रही है।

नीलसन बुक डाटा के अनुसार ब्रिटेन में पिछले वर्ष 67 करोड़ पुस्तकों की बिक्री हुई, इनमें 80 प्रतिशत खरीदार युवा थे। किताबों को खरीदने के मामले में ही नहीं, पुस्तकालयों में जाकर पुस्तकें पढ़ने के मामले में भी बड़ा बदलाव सामने आया है। ध्यातव्य है कि बीते कुछ बरसों में युवाओं की बड़ी आबादी में पुस्तकालय जाने की आदत कुछ छूट गई थी। इस सर्वे में सामने आया है कि पुस्तकालयों में जाकर किताबें पढ़ने वाले युवाओं की संख्या 71 प्रतिशत बढ़ी है। सुखद है कि स्क्रीन से बाहर झांकने और किताबों की ओर मुड़ने का व्यवहार कमोबेश हर देश में देखने को मिल रहा है।

वस्तुतः स्मार्ट गैजेट्स के बढ़ते उपयोग के दौर में यह आम धारणा बन गई है कि पुस्तकें पढ़ने में युवा पीढ़ी की रुचि घट रही है। कुछ हद तक बात सही भी है, पर पुस्तकों का संसार इतना व्यापक और रुचिकर होता है कि इनसे पूरी तरह कभी दूर नहीं हुआ जा सकता। छपी हुई किताबों का आकर्षण इसी बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका में पिछले वर्ष आडियो और ई-बुक्स की तुलना में मुद्रित पुस्तकों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। पुस्तकों से जुड़े मंच 'बुक्स आन द बेडसाइड' की सह-संस्थापक हैली ब्राउन के अनुसार कथा साहित्य, अनूदित और परंपरागत साहित्य, संस्मरण और कहानियां युवाओं द्वारा खूब पसंद की जा रही हैं। वहीं यूगांव के अध्ययन के मुताबिक 2023 में अमेरिकी नागरिकों ने कम से कम एक पुस्तक पढ़ी हैं। लोग वहां स्क्रीन पर कंटेंट पढ़ने से भी दूरी बना रहे हैं। सुखद है कि हमारे यहां भी युवाओं में पुस्तकें पढ़ने का रुझान बना हुआ है। इन दिनों दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में भी बड़ी संख्या में युवा किताबों की दुनिया से जुड़ने में रुचि ले रहे हैं। सुखद है कि मन-जीवन को सार्थक विचारों से सींचने, अनगिनत विषयों से जुड़ी जानकारियां देने और सामाजिक परिवेश से जुड़ाव को जन-जन तक पहुंचाती पुस्तक संस्कृति की महत्ता आज भी बनी हुई है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

विश्व को राह दिखाती हमारी विदेश नीति

भारत-अमीरात की बेमिसाल जोड़ी शीर्षक से लिखे अपने आलेख में श्रीराम चौलिया ने कहा है कि अमीरात में 'अहलन मोदी' का उद्घोष और बुर्ज खलीफा पर तिरंगे की रौनक दर्शा रही है कि यह मित्रता मजबूत होकर वैश्विक वैकल्पिक नेतृत्व में भूमिका निभाएगी। किसी शायर ने कहा है कि 'मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते बचाने हैं तो, लगा कर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं!' विदेश नीति एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के मुकाबले में अपने हितों को विकसित करने के लिए किए प्रयासों का मूल सार है। नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने विदेशी दौरे किए हैं उतने शायद ही किसी अन्य प्रधानमंत्री ने किए हों? मोदी ने विदेश में भारत को एक नई पहचान दी है। वैसे यूएई के साथ हमारा वर्ष 1970 से व्यापारिक संबंध है, लेकिन हाल के वर्षों में हुए आर्थिक समझौते के कारण उसके साथ भारत का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। अबूधाबी में मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होना हमारे देश की सभ्यता-संस्कृति के लिए बहुत गर्व की बात है। हालांकि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूएई के विकास में प्रवासी भारतीयों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर भारतीयों की आस्था का सम्मान करते हुए वहां मंदिर निर्माण किया गया तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हमारे देश में तो हर धर्म के धार्मिक स्थल हैं। भारत और यूएई से सभी मुस्लिम देशों को सबक लेना चाहिए। खासतौर पर पाकिस्तान को अपनी संकीर्ण मानसिकता त्यागते हुए एक-दूसरे के

मेलबाक्स

साथ संबंध मधुर बनाने चाहिए। पाकिस्तान, चीन और अन्य स्वार्थी देशों को यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के सभी देश किसी न किसी रूप में एक-दूसरे पर थोड़े-बहुत जरूर निर्भर हैं। विश्वव्यापी समस्याओं के लिए भी दुनिया के सभी देशों को एकजुट होने की बहुत आवश्यकता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

नई संभावनाओं वाला भारत

'भारत-अमीरात की बेमिसाल जोड़ी' शीर्षक से लिखा श्रीराम चौलिया का आलेख उस नए भारत के वैश्विक शंखनाद का द्योतक है, जो अपनी परंपरा, संस्कृति, विरासत एवं वसुधैव कुटुंबकम् की भावना के साथ संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है। लेखक ने ठीक ही कहा है कि समय बदलने के साथ सबकुछ बदलता है और जिस प्रकार से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने संभावनाओं की तलाश करते हुए तथा अपने हितों को महत्व देते हुए भारत के साथ अपने बहुपक्षीय संबंधों को तवज्जो दी है, वह आने वाले समय में न केवल भारत-अमीरात के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह उन देशों के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा, जो अपने हित को भारत से अलग करके देखते हैं। यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार से भारत की आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक वृद्धि दर से आगे चल रही है बेशक विश्व के तमाम देश भारत के साथ अपने विकास की गाड़ी को रफ्तार देना चाहेंगे। यही वजह है कि खाड़ी देश विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात भी भारतीय सांस्कृतिक विरासतों के माध्यम से अपने आर्थिक विकास को रफ्तार देने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। इस संदर्भ में वहां बना पहला हिंदू मंदिर इसका ताजा बड़ा उदाहरण है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। इस्लामिक देश में बना यह पहला हिंदू मंदिर भारत के आध्यात्मिक चेतना की वह अभिव्यक्ति है, जिसकी कीर्ति विश्व में आज गूंज रही है। यह नए भारत के सांस्कृतिक कूटनीति तथा भारत-अमीरात के मजबूत होते द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रिश्तों को भी दर्शाता है, जिससे न केवल यूएई को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर यूएई की सहिष्णुता और सह अस्तित्व को प्रोत्साहन देने वाली जो नीतियां हैं, उनको भी अन्य वैश्विक समुदाय द्वारा सराहा जाएगा। भविष्य में भारत और यूएई के रिश्ते इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत हों, इसके लिए दोनों देशों को इसी प्रकार से सकारात्मक एवं संयुक्त रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

binnichp2019@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

4.5 मीटर तक नीचे चला गया है झारखंड में भूजल का स्तर, मई 2020 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसका प्रमुख कारण उससे पहले तीन वर्षों के दौरान अनियमित वर्षा को माना गया।

कैलाश विश्नोई
उच्च शिक्षा मामलों के जानकार

सरकारी नौकरियां

सुनिश्चित हो भर्ती में पारदर्शी प्रक्रिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रोजगार मेले के तहत हाल ही में एक लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। केंद्र सरकार नई नौकरियां देने को प्राथमिकता से बढ़ावा देने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया को तेज करने, उसे अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर ध्यान दे रही है। वैसे इस संबंध में कई और चुनौतियां भी सामने आती रही हैं, जिनके समाधान की दिशा में आवश्यक कदम बढ़ाया जाना चाहिए

सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता कायम रखना संबंधित सरकारी एजेंसियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। फाइल

देशभर में अधिकांश युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां किसी सपने से कम नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में ईमानदारी व पारदर्शिता से सरकारी नौकरी देने की संस्कृति शुरू की है। नौकरियों के लिए आवेदन करने से लेकर परिणामों की घोषणा तक पूरी प्रक्रिया को आनलाइन किया गया गया है। आज दस्तावेजों को स्व-सत्यापित (सेल्फ अटेस्ट) करना भी पर्याप्त होता है और 'ग्रुप सी' और 'ग्रुप डी' के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार भी खत्म हो गए हैं। सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए जाने से नौकरियों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद खत्म हुआ है और इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। सरकारी भर्तियों में बहुत समय लगता था तथा पदों की संख्या भी अधिक होती थी और श्रेणियां भी अधिक बनती थीं।

भर्ती प्रक्रिया में बदलाव : केंद्र सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ-साथ भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया में उल्लेखनीय बदलाव किए जा रहे हैं। भर्ती की बोझिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लंबे समय से ऐसी किसी भर्ती एजेंसी की मांग हो रही थी जो सब नौकरियों के लिए कामन हो। इसके लिए अब सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया है। यह ऐतिहासिक सुधार है। इसके जरिये भर्ती, चयन, नौकरी तीनों में आसानी होगी। यह एजेंसी केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर बैंकों के नान गजेटेड पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में एकरूपता लाएगी। भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने वाले मौजूदा तंत्र पर दबाव कम होगा। इस नवीन व्यवस्था से बेरोजगार नवयुवकों को पूरी पारदर्शिता से प्रतिभा प्रदर्शन के इस एकीकृत प्लेटफार्म से नई ऊर्जा दी है। भर्ती एजेंसी प्रतियोगी परीक्षा संपन्न करने वाली वर्तमान में कार्यरत 20 से अधिक निकायों का विकल्प होगी। हर साल औसतन देश में केंद्रीय स्तर पर पांच लाख व राज्य स्तर पर नौ लाख पदों पर भर्तियां होती हैं। नवगठित नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए केवल प्राथमिक स्तर (प्रारंभिक परीक्षा) की ही परीक्षा आयोजित करवाएगी, अर्थात इससे नौकरी के लिए इच्छुक प्रतियोगी छात्र केवल अगले स्तर की परीक्षा देने हेतु पात्र माने जाएंगे, न कि सीधे नौकरी मिल जाएगी। साथ ही अभी भी विभिन्न भर्ती बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने से केवल प्रारंभिक परीक्षाओं से ही निजात मिली है, अगले चरण की परीक्षाओं के लिए आवेदन तथा परीक्षाओं में सम्मिलित होने की जरूरत अभी भी रहेगी। यहां एक सुझाव यह है कि सरकार को अगले स्तर की परीक्षाओं को करवाने का जिम्मा भी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को सौंपे जाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, साथ ही सी तथा डी ग्रुप की सरकारी नौकरियों में बहुस्तरीय परीक्षा करवाने का विकल्प हटा देना चाहिए। इसे समय, धन और संसाधनों की बर्बादी होती है। अगर इस सुझाव पर अमल की दिशा में आगे बढ़ा जाता है तो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ कीमती समय व संसाधनों की भी बचत होगी।

पेपर लीक पर प्रभावी रोक : ऐसे समय में जब नौकरियों से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल तथा पेपर लीक जैसी धांधलियों की खबरें अक्सर आती हैं, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया हालिया लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से नौकरियां तलाश रहे युवाओं में नई उम्मीद जगी है। वस्तुतः नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार युवा समाज में कुंठा और अवसाद पैदा करता है तथा परीक्षाओं में गड़बड़ियों की बातें सामने आने के बाद कई उम्मीदवार टूट जाते हैं। हमारे देश में राज्यों के स्तर पर सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जो दुर्गति है, उसका खामियाजा बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ता है। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात, रिश्वत, रसूख, सिफारिश वगैरह का बोलबाला छिपी बात नहीं है। वर्तमान में रोजगार की कमी युवाओं को पहले से ही बेचैन किए हुए है, ऊपर से चयन प्रक्रिया से उनका भरोसा भी उठ जाए तो इसके घातक नतीजे हो सकते हैं। आम लोगों में यह विश्वास बन जाना घोर दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना सिफारिश के सरकारी नौकरी नहीं मिलती। हालांकि केंद्रीय सेवाओं की नौकरियों में भ्रष्टाचार की समस्या कम गंभीर है, लेकिन राज्यों की भर्ती आयोगों का हाल ज्यादा खस्ता है। उम्मीद की जा रही है कि पेपर लीक से जुड़ा सख्त कानून अमल में आने पर परीक्षा व्यवस्था के प्रति परीक्षार्थियों का भरोसा बढ़ेगा।

आगे की राह : आज हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ इस तरह की है कि शिक्षण संस्थाओं में युवाओं को नौकरी हासिल लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता रहा है। अब वक्त की मांग है कि शिक्षण संस्थाएं युवाओं को केवल नौकरी खोजने के लिए नहीं, बल्कि नौकरी पैदा करने के लिए शिक्षित व प्रशिक्षित करने पर भी ध्यान दें, ताकि हम नौकरी की तलाश करने वाले देश से आगे बढ़कर नौकरी देने वाला देश बन सकें। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में स्टार्टअप के महत्व को समझते हुए इस दशक को स्टार्ट-अप के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु उद्यमियों, निवेशकों और सरकार के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। इसके अलावा, सरकार को इस बात पर भी नजर बनाए रखनी होगी कि देश का स्टार्टअप सिस्टम न केवल मजबूत बना रहे, बल्कि आगे चलकर विश्व में उसकी रैंकिंग और बेहतर हो।

नौकरियों में फर्जीवाड़ा करके बेरोजगार युवाओं से छल करने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए भी फास्ट ट्रैक अदालतों में मामले निपटा कर उन्हें तुरंत सख्त दंड देने का प्रविधान किया जाए। इसके अलावा एक नियम यह भी बनाया जाना चाहिए कि किसी भी सरकारी भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ यह तय हो कि भर्ती कितने समय में पूरी होगी। सरकार यह तो कड़ाई से सुनिश्चित कर ही सकती है कि परीक्षाएं समय पर हों और जो छात्र परीक्षा पास कर लेते हैं, उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले। यूपीएससी की तर्ज पर राज्यों में भी भर्ती कैलेंडर जारी होना चाहिए। समय पर भर्ती विज्ञापन निकले, नियमित परीक्षा होने के साथ ही साक्षात्कार भी समय पर हो, ताकि भर्तियां लंबित न रहें।

युवाओं में सरकारी नौकरी का आकर्षण

भारत में सरकारी नौकरियां निकलने पर कई बार एक पद पर एक हजार तक दावेदार होते हैं। मसलन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के फार्म निकलने पर लगभग एक हजार पद के लिए लगभग 10 लाख के आसपास अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। आवेदकों की ये फौज डिग्री की क्षीण होती ताकत के साथ-साथ सरकारी नौकरियों के बढ़ते आकर्षण और बेरोजगारी के बावजूद अपने स्तर पर कोई काम-धंधा शुरू नहीं करने की मानसिकता को भी उजागर करती है। देखने में आता है कि आज का युवा एक के बाद एक डिग्रियां तो पा लेता है, परंतु कोई स्वतंत्र आजीविका तलाश करने की जहमत नहीं उठाता। कई बार यह भी देखने में आता है कि जब उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलना कठिन हो जाता है तो मजबूरी में वे सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं।

आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी मात्रा में और अधिक पढ़े-लिखे युवा सी और डी संवर्ग की सरकारी नौकरियों के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। रोजगार की सुरक्षा व आमदनी की गारंटी पहली वजह है। एक दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि मुफ्त में मेडिकल सुविधाओं का मिलना। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या और निजी क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसर की वजह से भी हमारे देश में सरकारी नौकरी के लिए बहुत मोह है। युवा शक्ति सरकारी नौकरियों में अपना भविष्य सुरक्षित समझती है। एक तथ्य यह भी है कि प्राइवेट सेक्टर में आकर्षक सैलरी पैकेज के बाद भी कोरोना काल में लाखों युवाओं को नौकरियां खोनी पड़ी थी। सरकारी नौकरी में रोजगार स्थायित्व के साथ अपने तथा परिवार के भविष्य की सुरक्षा होने के कारण उत्तर भारत खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के युवाओं में अब भी सरकारी नौकरी का आकर्षण बहुत अधिक है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि सरकारी नौकरी एक तिलिस्मी चाबी है जो एक निम्नवर्गीय व्यक्ति को भी समाज के विशिष्ट वर्ग में पहुंचने का रास्ता दिखाता है। समाजशास्त्री इन्हें लोगों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से जोड़कर भी देखते हैं। खासकर उत्तर भारत में अभी भी कस्बाई, ग्रामीण समाज अर्द्ध-सामंतवादी मानसिकता का समाज है। ऐसे समाज में सरकारी नौकरी का मतलब उच्च प्रतिष्ठा से है।

आज हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ इस तरह की है कि शिक्षण संस्थाओं में युवाओं को नौकरी प्राप्त करने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता रहा है। समय की मांग है कि शिक्षण संस्थाएं युवाओं को केवल नौकरी खोजने के लिए नहीं, बल्कि नौकरी पैदा करने के लिए शिक्षित प्रशिक्षित करने पर भी ध्यान दें, ताकि हम नौकरी की तलाश करने वाले देश से आगे बढ़कर नौकरी देने वाला देश बन सकें। प्रत्येक भारतीय युवा को सरकारी नौकरी या व्हाइट कालर जाब मिलना संभव नहीं है। इन परिस्थितियों में एक ही रास्ता है जो सभी समस्याओं का बेहतर समाधान कर सकता है, वह है उद्यमिता विकास। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में स्टार्टअप के महत्व को समझते हुए वर्तमान दशक को स्टार्टअप के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उद्यमियों, निवेशकों एवं सरकार के संयुक्त प्रयासों की जरूरत है। साथ ही केंद्र सरकार को इस संबंध में भी निगरानी रखनी होगी कि देश का स्टार्टअप सिस्टम मजबूत बना रहे और विश्व में उसकी रैंकिंग बेहतर हो।

(कैलाश बिश्नोई)

खरी-खरी

ऋतु और राज

मुकेश रावत

एक बार फिर ऋतुराज बसंत का आगमन हो गया है। वातावरण में बासंती हवा बह रही है। इस हवा में पत्ता-पत्ता, बूटा-बूटा उड़े जा रहे हैं। जो न उड़ रहे वो ठूंठ बनकर खड़े हैं। ठूंठ निर्जीविता का प्रतीक है, क्योंकि वह स्थिर होता है। श्वसन, परिसंचरण भर कर लेने से कोई सजीव नहीं हो जाता। सजीव कहलाने के लिए गति और प्रचलन भी चाहिए। पोषण तो खैर चाहिए ही चाहिए, तभी वृद्धि और विकास संभव है।

भैया जी की इनकमिंग के आउटसोर्स बंद क्या हुए, उनकी एक्सट्रा ग्रोथ ही रुक गई। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, लेकिन भैया न तो भींग सके और न गरज सके। काले बादल ही गरजते और बरसते हैं, वरना तो वह धुएं से ज्यादा कुछ नहीं। बसंत भी आए, किंतु भैया मजबूरीवश संत बने रहे। वैसे भी आजकल संत बने रहने में ही भलाई है। इससे पहले कि कोई पेट सफा टाइप चूर्ण लेकर आ धमके, भैया जी ने पलटी का मन बनाया। हालांकि वे पलटूराम नहीं, लेकिन नेता हो या रोटी, कुर्सी और तवे पर चढ़ने के बाद कम से कम एक बार पलटना ही चाहिए। ऐसा न हो तो ऊपर से फटने और नीचे से जलने का भय रहता है। जली रोटी किसी काम की नहीं।

सोच विचार कर उन्होंने पलटने का मन बनाया और फिर अंततः एक दिन पलट ही गए। देखने वालों ने भले दांतों तले उंगलियां दबा ली हों, परंतु भैया जी को अपने पलटने पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने न तो उंगली और न हाथ दबाए। दबने-दबाने का काम था ही नहीं। चूंकि उनके लिए पलटने का यह पहला अवसर नहीं था, लिहाजा भैया जी पलटने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते थे। मौसम बदलने पर समझदार आदमी को बदलाव कर ही लेना चाहिए। हम कोई फिल्मी नायक तो हैं नहीं, जिनसे किसी नायिका ने "मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह" जैसा कोई वचन दे रखा हो। भैया जी पलटे तो ठूंठ पर कोपलें फूटने लगीं। लगा जीवन में एक बार फिर से बसंत आ गया। जब ऋतु आ गई तो फिर राज भी आ ही जाएगा, यही सोचकर तो वे उधर से इधर आए हैं।

पोस्ट

भाजपा पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वहां दो लोग ही पार्टी और सरकार चलाते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस पार्टी एक ही आदमी चला रहा है।

आदेश रावल@AadeshRawal

अशोक चव्हाण जैसे नेताओं के लिए भाजपा जब अपने दरवाजे खोलती है तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। आदर्श घोटाले को इतनी जल्दी भुला दिया? चुनावी गणित साधने के लिए भी क्या-क्या करना पड़ता है।

सुशांत झा@jhasushant

पहले नीतीश कुमार, फिर जयन्त चौधरी और अब फारूक अब्दुल्ला। आइएनडीआइए से एक के बाद एक घटक दल अलग होते जा रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी से बात नहीं बनी और न ही पंजाब में आम आदमी पार्टी से।

पंकज झा@pankajjha_

सरफराज खान की तकनीक पिछली सदी के आखिरी दौर वाले कुछ दिग्गज भारतीय बल्लेबाजों की याद दिलाती है, जो घरेलू पिचों पर स्पिनर को गेंदबाज ही नहीं समझते थे। सरफराज में उसी आत्मविश्वास और बैकफुट तकनीक की झलक दिखती है। आखिर कई साल तक रणजी में 80 का औसत मजाक नहीं होता।

विपुल मिश्रा@vipulmishra_1

जागरण जनमत

कल का परिणाम

सोनिया गांधी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाना कांग्रेस के रक्षात्मक रवैये को दर्शाता है?

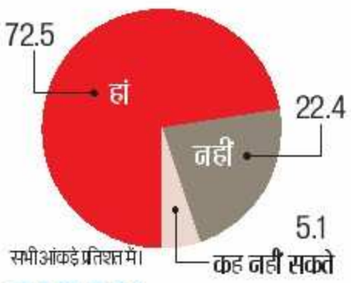

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या संदेशखाली मामले में केंद्र को बंगाल में हस्तक्षेप करना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

रायबरेली हो गई देखो आज 'अनाथ',
मैडम ने भी आज जब छोड़ा उसका साथ।
छोड़ा उसका साथ 'हाथ' पर आया संकट,
राज्यसभा की राह तभी तो पकड़ी झटपट।
जिस आंगन में तीन पीढ़ियों 'खाई-खेली',
अब बंजर मैदान हुई वह रायबरेली!

– ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

जल संकट की ओर बढ़ता झारखंड

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में राजफाश किया था कि झारखंड के रांची, धनबाद, रामगढ़ और कोडरमा में जल के दोहन का जो स्तर है, उसके अनुरूप यदि तेजी से भूजल रिचार्ज के इंतजाम नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में संकट पैदा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, धनबाद में 74.34 प्रतिशत, कोडरमा में 66.44 प्रतिशत और रामगढ़ में 63.3 प्रतिशत भूजल का दोहन हो रहा है। सबसे कम पश्चिमी सिंहभूम में 10.45 प्रतिशत भूमिगत जल का दोहन हो रहा है। पूरे राज्य की बात करें तो 1.8 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीक्यूएम) भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने अपने सर्वे में पाया है कि सर्वाधिक भूजल का दोहन बोकारो, धनबाद, जुगसलाई, जमशेदपुर, रामगढ़ में हो रहा है।

इनके अलावा कई अन्य शहरों-प्रखंडों की स्थिति भी चिंताजनक है। मई 2020 में एक आंकड़ा आया था, जिसमें बताया गया था कि पिछले तीन वर्षों में अनियमित वर्षा के कारण भूजल का स्तर 4.35 मीटर से 4.50 मीटर तक नीचे गया है। कई स्थानों पर डीप बोरिंग भी इसकी बड़ी वजह है। जंगल, पहाड़, झरनों तथा अन्य विविधताओं और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण झारखंड में पानी का संकट इसकी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक स्वरूप के उलट लगता है, लेकिन हालत यह है कि हर साल राज्य के अलग-अलग इलाकों में दो-तीन फीट तक पानी का स्तर नीचे चला जाता है। वहीं गर्मी की दस्तक के साथ ही जलसंकट की स्थिति शुरू हो जाती है। राज्य की छोटी-छोटी नदियां और कई स्थानों पर बड़ी नदियां भी अब गर्मी के दिनों में सूखने लगी हैं।

अनुपयोगी हो चुकी खदानें भी जल संग्रह का अच्छा माध्यम बन सकती हैं। फाइल

झारखंड में मानसून की बारिश से ही लगभग 70 प्रतिशत तक भूजल स्तर रिचार्ज होता है। ऐसे में मानसून के दगा देने से उत्पन्न स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। पलामू जैसे जिले तो हर एक-दो वर्ष के बाद सूखे जैसे हालात से जूझते हैं। ये हालात खतरे का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में हमें सचेत होकर जल संरक्षण के आवश्यक उपाय करने होंगे। झारखंड में एक ओर पानी का संकट है तो दूसरी ओर वर्षा का पानी भारी मात्रा में बेकार बह जाता है। हाल के दिनों में छिटपुट प्रयास जल संरक्षण के हुए हैं और पौधारोपण के अभियान भी चले हैं, लेकिन इन गतिविधियों को रफ्तार दिए जाने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि पानी हम बना नहीं सकते।

जल संकट से उबरने का एक ही उपाय है कि हम वर्षा जल को संरक्षित करें। इसके लिए हमें घर से लेकर कार्यालय, खेत, मैदान, पहाड़ व सभी जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पहल करनी चाहिए। सरकारी कार्यालयों, कंपनियों, अपार्टमेंटों, माल सहित बड़े-बड़े घरों के लिए इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। राज्य में औसतन 1100 से लेकर 1442 मिमी बारिश होती है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है। हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तालाबों का उन्नयन इस तरह किया गया है कि उसमें वर्षा का जल जाता ही नहीं। नदियों से तालाबों तक जल पहुंचने के भी अधिकांश मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। झारखंड में काफी संख्या में बंद हो चुकी खुली खदानों का उपयोग भी हम वर्षा जल संचयन के लिए कर सकते हैं। झारखंड में इन खदानों के अंदर जो चट्टानें हैं, उनमें पानी सोखने की क्षमता बहुत कम है। जहां लंबी दरारें या फाल्ट होंगे, वहीं पर संचयन अधिक हो सकता है। इसलिए हमें भूजल का दोहन भी कम से कम करना चाहिए।

वर्षा के जल का संचयन अधिक से अधिक कैसे हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र ने भी इसे लिए आधा दर्जन योजनाएं बना रखी हैं और राज्य सरकार भी भूजल को लेकर गंभीर है, परंतु यह गंभीरता कागज से बाहर आए तभी बूंद-बूंद जल को संरक्षित किया जा सकता है। जल है तो जीवन है, इसे गंभीरता से लेना होगा। अन्यथा प्राणी ही संकट में आ जाएंगे।

मंथन

समावेशी विकास को प्रोत्साहन

प्रेम प्रकाश
वरिष्ठ पत्रकार

समाज और संस्कृति मिलकर समावेशी विकास की आवश्यकता को कैसे पूरा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'ज्ञान' की अवधारणा इसी विलक्षणता के केंद्र में है।

कुछ ही दिन के अंतराल में एक के बाद एक आए तीन बजटीय प्रस्ताव देश में राजस्व और विकास के बीच प्राथमिकताओं की एक नई अवधारणा को रेखांकित करती है। यह अवधारणा विकास और सुशासन के साझे को तो पुख्ता करता ही है, परंपरा, विकास और संस्कृति को भी एक सीध में लाकर खड़ा करता है। इसमें कई तथ्यों का योगदान होता है। इन्हीं में 'ज्ञान' भी शामिल है। वस्तुतः 'ज्ञान' यानी जीवाइएएन एक एक्रोनिम है। यह सूचकाक्षर या एब्रिविएशन से भिन्न है। एक्रोनिम अपने उच्चारण के साथ जहां अलग से अर्थ बोध देते हैं, वहीं इसमें प्रयुक्त अक्षर अलग-अलग शब्दों के संकेतक होते हैं। इस लिहाज से 'ज्ञान' की अवधारणा को देखें तो यह भारत के 'ज्ञान' और बोध परंपरा की तरफ इशारा है, जहां अंग्रेजी के अक्षर जी से गरीब, वाइ से युवा, ए से अन्नदाता किसान और और एन से नारी के साथ विकास का एक सामाजिक समाहार सामने रखता है। यह सर्व समावेशी समाहार विश्व आर्थिक जगत के सामने विकास के उस बोध का भी प्रदर्शन है, जिसे हम भारतबोध कहते-मानते हैं। इस तरह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विमर्श में अर्थ और उससे जुड़े सरोकारों का विनियोग भारत पहली बार देख रहा है।

केंद्र सरकार के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के अंतरिम व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्ण सालाना बजट को देखें तो अंतरिम बजट होने के कारण केंद्र ने कोई बड़ी योजनागत घोषणा तो नहीं की, पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी सशक्तीकरण की प्राथमिकता को जरूर सामने रखा। साथ ही सुशासन के आवश्यक पहलू को इसमें समेटा गया है। अंतरिम बजट को कुछ हद तक आर्थिक घोषणा पत्र के तौर पर जरूर देखा जा सकता है, पर इसे चुनावी बजट की नजर से देखना सही नहीं होगा। इस वर्ष अप्रैल और मई में 18वीं लोकसभा का गठन होना है, फिर भी बजट में लोकलुभावन घोषणाओं की जगह प्राथमिकताओं को गिनाया गया है, सरकार की आर्थिक दूरदर्शिता पर फोकस रखा गया है। पिछले एक दशक में योजनागत लक्ष्यों की तार्किकता पर जहां सरकार आगे के लिए भरोसा दिखा रही है, वहीं बाजार और वित्तीय व्यवहार का भी संकेत इस अंतरिम बजट में साफ झलकता है। उल्लेखनीय है कि सुशासन में लोक कल्याण और संवेदनशील शासन के साथ पारदर्शी व्यवस्था का होना अपरिहार्य है। अंतरिम बजट होने के कारण आयकर में कोई संशोधन सरकार की तरफ से प्रस्तावित नहीं है। यह आठ करोड़ से अधिक आयकरदाताओं को निराश भले करे, पर समावेशी विकास की अवधारणा के साथ विकसित भारत की परिकल्पना उन्हें नए विश्वास से भी भरा होगा।

बात करें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की तो इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की प्राथमिकता को 'ज्ञान' की अवधारणात्मक धुरी पर पहले से कसना शुरू कर दिया था। प्रदेश सरकार के आठवें बजट में ने गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानी 'ज्ञान' पर तो फोकस रखा। इस बजट की सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम रखा है और बेरोजगारी दर भी उत्तर प्रदेश में कम हुई है। आर्थिक विशेषज्ञों ने यूपी के बजट में आस्था के साथ आजीविका और विकास के समावेशी पहलू को भी महत्वपूर्ण माना है। इस महत्व को इस लिहाज से समझा जा सकता है कि अयोध्या और वाराणसी के सियासी व सांस्कृतिक मायने अब धर्म और आस्था से जुड़े आर्थिक पहलुओं को मजबूती दे रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ही नहीं, बल्कि बीते सौ वर्षों के विश्व इतिहास में यह अपने तरह का नया प्रयोग है। एक ऐसा प्रयोग जिसके सिरे जहां जमीन पर उतरती नई विकास योजनाओं से जुड़े हैं, वहीं उद्यम जगत को इसमें अपने लिए कई संभावनाएं दिख रही हैं। इस बजट में महिला, किसान, गरीब व युवा सशक्तीकरण पर तो जोर है ही, सुशासन को लेकर चुस्ती का संकल्प भी दोहराया गया है।

सभी गरीबों को केंद्र सरकार के सहयोग से आवास उपलब्ध कराने से सशक्त बन रहा देश। फाइल

वहीं राजस्थान सरकार ने भी अपने अंतरिम बजट को 'ज्ञान' के साथ विकास से जुड़े सबका साथ और सबका विकास की समावेशी कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश की है। 25 लाख ग्रामीण घरों को नल से जल, लाडो प्रोत्साहन योजना गरीब किसानों के बच्चों को पीजी तक निशुल्क शिक्षा और पांच लाख घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का राजस्थान सरकार का संकल्प यह दिखाता है कि बीते पांच वर्षों के कांग्रेस सरकार की आर्थिक अदूरदर्शिता से निकलकर प्रदेश सरकार अब सुविचारित लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में पहले से भाजपा सरकार थी। लिहाजा नई सरकार ने भी लाडली सहित सभी ऐसी योजनाओं को पूर्ववत जारी रखने का एलान किया है, जिससे विकास का सामाजिक चेहरा इकहरा नहीं, बल्कि समावेशी और सर्वस्पर्शी दिखे।

उल्लेखनीय है कि नीति आयोग ने हाल ही में एक बहुआयामी सूचकांक जारी किया है, जिसके अनुसार देश में 2013-14 से 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। देश के सामाजिक चरित्र में आया यह चमकदार प्रदर्शन दर्शाता है कि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का नया सर्ग 'ज्ञान' से जुड़ा नया भारत बोध है। एक ऐसा बोध जहां भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक विलक्षणता एक साथ महत्व और स्थान पाती है।

****